राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६० का १९वां दिवस [संख्या १३

गुरुवार, ८ सितम्बर, १९६०

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १० मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, कृषि, गृह, योजना एवं विकास, पशुपालन, खनिज, उद्योग, पंचायत, समाज कल्याण एवं यातायात-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ४४४

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

उनियारा कस्बे में नव निर्मित भवन में हाई स्कूल का स्थानान्तरण

४४५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या यह सही है कि उनियारा कस्बे में हाई स्कूल के लिए भवन निर्माण हो रहा है ?

(ख) क्या यह पूर्ण हो चुका है ? अगर हां, तो क्या उपरोक्त भवन में स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है ?

(ग) अगर नहीं, तो यह स्कूल कब तक शिफ्ट कर दिया जावेगा ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) भवन का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है । स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है ।

(ग) शिफ्ट हो चुका है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कहा कि स्कूल शिफ्ट कर दिया गया है और साथ ही कहते हैं कि निर्माण पूर्ण नहीं हुआ, तो क्या अधूरे में ही शिफ्ट कर दिया गया ? समझ में नहीं बैठा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना काम पूरा हो गया और जितने कमरे बैठने लायक बन चुके उनमें शिफ्ट कर दिया। बाकी का काम ऊपर चल रहा है जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेन्स नहीं होता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितने कमरे बन चुके हैं, कितने बाकी हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको जितनी जानकारी है उतनी मुझे नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसीलिए तो कह रहा हूं कि इनकम्प्लीट है। एक हॉल और एक कमरा बनना बाकी है जिसके लिये गत सैशन में भी यहां पर पूनमचन्दजी बिश्नोई ने आश्वासन दिया था कि ४० हज़ार की मन्जूरी हो गई है इसके लिये, पर वह मन्जूरी न मालूम किस टोकरी में पड़ी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका तो मुझे पता नहीं। पर यह मैं कह सकता हूं कि बन रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब स्कूल को शिफ्ट कर दिया और पांच सौ छ सौ की तादाद लड़कों की है तो जल्दी उनको बनाने की कृपा करें।

संचालक, पशु-पालन विभाग द्वारा पांच हजार रुपयों में मच्छी ठेकों की स्वीकृति

४४६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Will the Agriculture Minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that the Director of Animal Husbandry is authorised to sanction fish contracts upto Rs. 5,000/- only? If so, how many fish contracts above this amount he has sanctioned so far by him and why?

2. Was any objection raised for using excessive powers and if so, what action did the Government take on it?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बगड़ी के सब इन्सपेक्टर श्री बालमुकन के विरुद्ध हुई शिकायतें

४४७. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास बगड़ी सब-इन्सपेक्टर श्री बालमुकन के विरुद्ध काफी शिकायतें पेश हो चुकी हैं? यदि हां, तो कितनी व किस किस तारीख को?

(ख) क्या उपरोक्त शिकायतों की जांच की गई? यदि हां, तो कब व किस अधिकारी द्वारा तथा शिकायत होने के कितने समय बाद जांच की गई?

(ग) उपरोक्त शिकायत की जांच का क्या परिणाम निकला तथा सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

Page No.3

(श्री बेनाराम गहलोत)

(घ) उपरोक्त शिकायतों की जांच की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ङ) उक्त थानेदार बगड़ी थाने में किस तारीख से कार्य कर रहे हैं ?

(च) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त थानेदार को कई बार रिवर्ट किया गया था ? यदि हां, तो कब कब व किस किस केस में ?

(छ) उपरोक्त सब-इन्सपेक्टर के रिवर्शन के क्या क्या कारण थे तथा वापिस थानेदार बनने के क्या क्या कारण थे ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) चार शिकायतें प्राप्त हुईं। क्रमश: दिनांक २३-१२-५८, ६-१-५६, १२-१-५६, तथा २१-२-६० को।

(ख) प्रथम तीन शिकायतों की जांच डी. एस. पी., सोजत द्वारा तथा चतुर्थ की एस. पी., पाली द्वारा शीघ्र ही की गई ;

(ग) प्रथम शिकायत पर सब-इन्सपेक्टर की सालाना तरक्की छ: माह के लिए बन्द कर दी गई। अन्य दो शिकायतें बेबुनियाद पाई गईं तथा चौथी पर उसका तबादला पुलिस लाइन में किया गया।

(घ) उपरोक्त शिकायतों की जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना जन-हित मे नहीं होगा।

(ङ) दिनांक २२-४-५८ से २३-४-६० तक थाना बगड़ी में रहे।

(च) जी हां, एक बार। सन् १६५७ में जब वह पुलिस थाना सिरियारी में थे उस समय की एक विभागीय जांच के सम्बन्ध में महानिरीक्षक आरक्षी, जयपुर द्वारा ८ माह के लिये सब-इन्सपेक्टर से हैड कॉन्सटेबल दिनांक १५-१-५७ के आदेश से बनाये गये और दिनांक २४-१०-५७ को वापिस सब-इन्सपेक्टर बनाये गये।

(छ) शिकायत साबित होने से केवल आठ माह तक अवनत करने की सजा दी गई थी, अत: अवधि के बाद पुन: सब-इन्सपेक्टर बनाये गये।

श्री बेनाराम गहलोत : यह जांच किस तारीख को की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : कौन सी जांच; चार-पांच जांचें हैं ?

श्री बेनाराम गहलोत : जिसमें सब-इन्सपेक्टर दोषी पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया न कि ६ महीने तक तरक्की रोक दी।

मेजर श्री फतहसिंह (भीम): शिकायत किस बात की थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : This is a very relevant question, Sir. What were these complaints about ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह डिटेल मेरे पास नहीं है।

मेजर श्री फतहसिंह : क्या भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में थी ? यह अफसर बड़ा भ्रष्टाचारी था। १६५५ में मैंने भी इसके खिलाफ शिकायत की थी। क्या हम यह समझें कि माननीय गृह मन्त्री ऐसों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह केस रजिस्टर नहीं किया था, यह शिकायत थी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): जब कि जिस व्यक्ति को पहले ८-६ महीने रिवर्ट किया फिर ६ महीने ही रिवर्ट क्यों किया ?

श्री रामकिशोर व्यास : जुर्म यहा था।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : चारों शिकायतें क्या इसी नेचर की थीं ? किस किस नेचर की थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : वे अलग अलग तरह की थीं।

श्री होतीलाल (भरतपुर) : क्या सब इन्सपेक्टर ने केस इसलिये रजिस्टर नहीं किया कि वह एक्यूज्ड पार्टी से मिल गया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : But the House would like to know what were these four complaints ? Why beat about the bush ?

श्री रामकिशोर व्यास : You would certainly get the nformation, if you so require.

अहिन्दी भाषी प्रान्त

४४८. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राज्य सरकार कौन कौन से प्रन्तों को अहिन्दी भाषी प्रान्त मानती है ?

(ख) राज्य सेवा के लिये सरकार ने अहिन्दी भाषी प्रान्त से आनेवाले व्यक्तियों तथा हिन्दी भाषी प्रान्त से आनेवाले व्यक्तियों के लिये हिन्दी में क्या योग्यता निर्धारित कर रखी है और यदि इनमें कोई अन्तर है तो क्यों ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) राजस्थान,उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एवं हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर अन्य सभी प्रान्तों को अहिन्दी भाषी प्रान्त मानती है।

(ख) समस्त नवीन कर्मचारियों के लिए (जिनमें दोनों आ जाते हैं) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ कर राज्य-सेवा के लिए हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है। नियुक्ति के बाद परिविधि काल (प्रोबेशन पीरियड) के भीतर हिन्दी में मैट्रिक कक्षा के स्तर की परीक्षा प्रत्येक कर्मचारी को पास करना अनिवार्य है। इसमें कोई अन्तर नहीं है, अतः परिभाषा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ० बहादुरसिंह(धौलपुर): यह मौजूदा कर्मचारियों के लिये क्यों नहीं रखा गया ? भविष्य के लिये है या मौजूदा के लिये भी यह है कि ग्रेड इन्क्रीमेंट तभी दी जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : पर्टिक्युलर टाइम में हिन्दी की परीक्षा पास नहीं करेंगे तब तक

Page No.5

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ग्रेड इन्क्रीमेंट नहीं होगा, इससे स्पष्ट है कि यह मौजूदा के लिये भी है।

श्री भैरोंसिंह : यह आज्ञा कब जारी की गई थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह की गई थी १३–१०–५६ को।

श्री भैरोंसिंह : इसमें हाई स्कूल परीक्षा के समानान्तर किस परीक्षा को पास करने का उल्लेख है ? क्या इस सम्बन्ध का भी आदेश जारी किया है कि ये परीक्षाएं हाई स्कूल के समकक्ष हैं ! या निर्धारित की गई हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसकी एक डिटेल सामान्य प्रशासन (ख) विभाग से जारी किया हुआ छपा हुआ आॅर्डर है। वह आप देखें।

श्री भैरोंसिंह : अब तक हाई स्कूल के इक्विवेलेन्ट कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी ? इसके सम्बन्ध में कोई भी निर्धारण सरकार की ओर से नहीं किया गया है, क्या यह सही नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको सर्क्युलर का अभी जिक्र किया है। उसमें यह है कि जिन्हें हिन्दी के बराबर स्थान दिया गया है वे सारी मान्य हैं। यह सबको पहले से मालूम है, नये सिरे से करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा कुछ नहीं है कहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा आॅफ हैण्ड तो नहीं कह सकता। पर आलरेडी हिन्दी की मैट्रिक की नाॅलेज के बराबर हिन्दी की कौन कौन सी परीक्षाएं हैं वह जानकारी है सब को।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : वही तो जानना चहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पाकिस्तान से आने वाले कौन से प्रान्त के माने जावेंगे ? हिन्दी भाषी या अहिन्दी भाषी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शरणार्थी भाई जो हिन्दी नहीं जानते वे तो हिन्दी जानने वाले कैसे माने जावें ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वे सन् ४७ से यहां आकर बस गये हैं और यहां के निवासी हैं। अब उनको हिन्दी भाषी प्रान्त के मान कर उनके लिये परीक्षा देना जरूरी नहीं होगा या अहिन्दी भाषी प्रान्त के मान कर हिन्दी की परीक्षा देना जरूरी होगा, यह अन इक्विवोकल टर्म्स में सिन्ध और पंजाब से आनेवालों के बारे में आप बता दीजिये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इनमें से जो सरकारी सर्विस में हैं उनको हिन्दी सीखनी ही पड़ेगी; लिखना और पढ़ना। अब जो हिन्दी नहीं जानते उनको परीक्षा पास करनी होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको माना काहे में जावेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अहिन्दी के बराबर माना जावेगा।

Page No.6

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जो राजस्थान में डोमीसाइल्ड हैं तो उनको हिन्दी भाषी प्रान्त के ही क्यों नहीं मान कर इस परीक्षा के बन्धन से मुक्त करते हैं ? अब उनको आप हिन्दी भाषी ही प्रान्त के मानेंगे या अहिन्दी भाषी प्रान्त के मानेंगे ? Your definition is that people coming from non-Hindi speaking areas have to pass this examination. Now the people who have got domiciled in Rajasthan, whether they will be treated as coming from Hindi speaking area or non-Hindi speaking area ?

श्री अध्यक्ष : These are all questions of opinion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनके रूल्स क्लियर नहीं हैं । इन्होंने सर्कूलर निकाल दिया पर मैट्रिकुलेट के इक्विवालेन्ट कौन कौन से इम्तिहान हैं; यह प्रैस्क्राइब नहीं किया । अब दिसम्बर लास्ट डेट उनके लिये रख दी है । सिंध और पंजाब से आनेवाले जो आज यहां के डोमीसाइल्ड हैं १९४७ से वे कहते हैं हम हिन्दी भाषी प्रान्त के हैं, इसलिये उनके लिये परीक्षा आवश्यक नहीं होनी चाहिये ; तो उनके बारे में भी सरकार को कन्फ्यूजन हो गया है । नॉन–हिन्दी प्रदेश से भी आये हैं, पर हिन्दी भाषा जानते हैं उनके लिये परीक्षा देना लाजिमी किया गया है और बहुत से हिन्दी भाषी इस प्रान्त के ऐसे अनेकों लोग हैं जो उर्दू पढ़े हैं; हिन्दी नहीं जानते; उनके लिये परीक्षा जरूरी नहीं समझी गई है पर बहुत से ऐसे हैं जो अहिन्दी प्रान्तों से आये हैं पर हिन्दी जानते हैं । अब जो हिन्दी भाषी प्रान्त के हैं, पर हिन्दी नहीं जानते उनको लिये हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का सर्टीफिकेट ही पर्याप्त मान लिया जावेगा । तो इसी तरह से जो अहिन्दी भाषी प्रान्त के हैं, पर जो हिन्दी जानते हैं उनके लिए भी हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट का सर्टीफिकेट पर्याप्त होना चाहिये और इसी कारण से इस प्रकार के लोगों में एक विचित्र सी स्थिति पैदा हो गई है :

श्री अध्यक्ष : यह तो आपने आपत्ति रखी है मन्त्री महोदय के समक्ष ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये रखी है कि इस पर सरकार रीकन्सीडर करे । इससे सर्विसेज़ में डिस्सेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा । सरकार पुनर्विचार करके इस पर निर्णय ले ; क्या सरकार इसके लिए तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : Next

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : बस जाने के बाद, यहां के वासिन्दे अगर हो गये तो उसके बाद हक हो जाता है । उतना तो माना जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो बसे हुए हैं उनको हिन्दी भाषी मान कर इससे एग्जेम्ट किया जावे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है; यही बात है न ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनका रिप्रेजेन्टेशन अगर आता है तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी ।

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप इस समस्या पर पुन: विचार करें ।

Page No.7

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग): मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से इस प्रकार का एक सर्कुलर तमाम विभागों में निकाला था कि जो अहिन्दी भाषा-भाषी हैं उनकी सूचना भेजी जाये; तो क्या इस प्रकार की सूचना आई है कि जिससे अपने आप मालूम हो जाये कि कौन कौन अहिन्दी भाषा-भाषी हैं और उन पर सरकार विचार करे, ऐसा कमेटी में निर्णय हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

टोंक के लोगों को प्रदत्त हाउस लोन

४४६. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या योजना एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान निर्माण से अब तक टोंक में किन २ लोगों को कितना २ हाउस लोन किन किन सालों में दिया गया ?

(ख) यह लोन किन किन शर्तों पर दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं ? अगर हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे।

(ग) अब तक किन किन लोगों से कितनी कितनी रकम किश्तों में जमा हो चुकी है और कितनी बाकी है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) योजना एवं विकास मन्त्री की ओर से टोंक जिले में अल्प आय गृह निर्माण योजना वित्तीय वर्ष १६५८-५६ से चालू हुई है तथा तब से अब तक जिन जिन लोगों को जितना जितना ऋण विभिन्न वर्षों में दिया गया, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) यह ऋण अल्प आय गृह निर्माण योजना सम्बन्धी नियमों के आधार पर दिया जाता है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) अल्प आय गृह निर्माण योजना ऋण ३० वर्षों में चुकाना होता है तथा उक्त ऋण में से जो रकम अब तक ड्यू हुई तथा उसमें से जो वसूल हो चुकी है, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि अल्प आय के अन्दर उनको कर्जा दिया गया और उसकी मयाद ३० वर्षों की है, तो अल्प आय का मूल्यांकन कौन करता है; कलेक्टर करता है या पंचायत करती है या कौन करता है कि उनकी आय अल्प है या जो अल्प आय की स्कीम है उसमें से दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं समझा नहीं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): अल्प आयु।

(विराम)

रावराजा श्री सरदारसिंह : उनकी आमदनी अल्प है या अल्प आमदनी के अन्दर ही स्कीम बना रखी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपकी बात को समझा नहीं क्योंकि आपने 'अल्प',

(श्री नाथूराम मिर्धा)

'अल्प' चार बार कह दिया। फिर भी मैं जहां तक समझा हूं वह यह है कि अल्प आमदनी है उनको ही यह ऋण दिया जाता है। जिनकी आमदनी ५,००० सालाना तक है या ६००० तक है उनको ही यह लोन दिया गया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो उनकी आय है उसका मूल्यांकन किसके द्वारा कराया जाता है कि वाकई में इनकी आमदनी ५,००० की है या ५०,००० की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो आदमी एप्लाई करता है वह अपनी आय लिख कर देता है और कलेक्टर उसको वेरीफाई करता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आदमी तो बतायेगा कि मेरी तो आमदनी कम है लेकिन उसको आप तस्दीक किसके द्वारा कराते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कलेक्टर उसकी जांच करता है कि वाकई में इसकी आमदनी कितनी है ?

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यह कर्जा केवल राज्य कर्मचारियों को ही दिया जाता है या सब पब्लिक को दिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सबको दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री फार्मिंग हेतु दिये गये मुर्गे तथा मुर्गियां

४५०. **श्री भैरोंसिंह** (श्रीमाधोपुर) : क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि संचालक, पशु पालन विभाग ने सन् ५८-५९ व ५९-६० में विभागीय सेमिनार में विकास अधिकारियों के समक्ष पॉल्ट्री फार्मिंग के लिए ५०,००० के लगभग मुर्गे, मुर्गियां देने का आश्वासन दिया था ?

(ख) यदि हां, तो इस आश्वासन के अनुसार अब तक कितने मुर्गे मुर्गियां दिये गये ? यदि कम दिये गये तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि इस आश्वासन पर कई विकास अधिकारियों ने जनता से पैसा इकट्ठा करके संचालक के नाम ड्राफ्ट भेज दिये ?

(घ) यदि हां, तो कहां कहां से, कब कब, कितने कितने का ड्राफ्ट आया था और उसके अनुसार कहां कहां कितने कितने मुर्गे, मुर्गियां भेजे गये तथा कहां कहां ड्राफ्ट अभी तक संचालक के कार्यालय में है और क्यों ?

पशु-पालन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां।

(ख) २१,२६५ मुर्गे, मुर्गी वितरित किए गए। प्रदत्त आश्वासन में कम वितरण का कारण वैज्ञानिक पद्धति सहित होने नवीन कुक्कुट शालाओं का निर्माण न हो सकना, तथा पुरानी कुक्कुटशालाओं में इच्छानुसार

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पक्षियों का पालन-पोषण न हो सकना।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां. पूर्ण विवरण सहित सूत्र१ संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : जिस समय यह आश्वासन दिया था कि ५०,००० बर्ड्स दे दी जायेंगी तो उस समय क्या इस प्रकार की परिस्थिति नहीं थी कि ५०,००० का आश्वासन पूरा नहीं किया जा सकेगा, डाइरेक्टर के सामने ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस परिस्थिति का अन्दाजा लगा कर आश्वासन दे दिया था कि नई कुक्कुटशाला की मकान जल्दी बन जायेगा और उसकी सेंक्शन जल्दी हो जायेगी और मकान भी जल्दी हो जायेगा जैसा वह सोच रहे थे वह नहीं हो पाया ?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन कारणों को लेकर बताया है कि ५०,००० मुर्गे सप्लाई नहीं कर सके तो यह परिस्थिति तो उस समय भी थी जिस समय कि आश्वासन दिया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय भी कुक्कुटशाला का भवन बना हुआ तैयार नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से स्कीम गवर्नमेंट को भेज रखी थी जिसके सेंक्शन होने में, स्क्रुटिनी होने में फिर भी पी० डब्ल्यू० डी० के पास स्वीकृति के लिए जाने में इसमें जो पीरियड उन्होंने सोच रखा था उस पीरियड के अन्दर पूरी नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सेमिनार के अन्दर जो आश्वासन दिया गया था कि इमीजियेटली यदि कोई भी बी० डी० ओ० रुपया भेजता है तो फौरन ही उसको बर्ड्स सप्लाई कर दी जायेंगी; पर न तो उनको रुपया दिया गया और न मुर्गियां ही दी गई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह ठीक है कि उन्होंने यह कहा। जिस समय उन्होंने यह कहा उस समय कुल बर्ड्स तो उनके पास ५०,००० थीं और २१,००० दी थीं। ऐसी उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना रुपया इकट्ठा होकर और इतनी बर्ड्स की डिमाण्ड उनके पास आ जायेगी। उनको उम्मीद थी कि वह ५०,००० को रखने में समर्थ हो सकेंगे और सप्लाई कर सकेंगे। पर जो पॉल्ट्री के लिए डिमाण्ड आई वह बहुत बड़ी तादाद में आई और उम्मीद से भी ज्यादा रुपया जमा हो गया और कुछ बी. डी. ओ. की वजह से डिमाण्ड भी ज्यादा आई और कुछ एक्सपेक्टेशन यह था कि जैसा मैंने बताया कि जो टाइम सोचा था उसमें डिले हो गया।

श्री भैरोंसिंह : जो ब्लॉक्स का रुपया जमा हो गया और जितनी बर्ड्स सप्लाई करनी थीं वह नहीं की और रुपया भी उनका बाकी है तो उसका क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से बी० डी० ओ० के पैसे अभी भी जमा है। कुक्कुटशाला अब करीब करीब तैयार हो

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रही है और उनकी डिमाण्ड को अब मीट कर देंगे । इसके अलावा उन्होंने रुपया ड्रॉ करना उचित नहीं समझा और हम उनको बर्ड्स दे देंगे और उनको बर्ड्स की अब भी जरूरत है ।

श्री अध्यक्ष : श्री मोगजी भाई ।

पंचायत समिति, बांसवाड़ा, तलवाड़ा के क्षेत्र में वितरित फसल प्रतियोगिता पारितोषिक

४५१. श्री मोगजीभाई (बांसवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बांसवाड़ा, तलवाड़ा के क्षेत्र में फसल के प्रतियोगिता पारितोषिक वितरण ३१ मार्च, ६० को दिया गया था ? यदि हां, तो पारितोषिक मिलने वाले व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) उक्त फसल प्रतियोगिता में पारितोषिक में खेती के औजार दिये गये या नकद रुपये वितरित किये गये ?

उप–मंत्री कृषि (श्री दौलतराम सारण): (क) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

माइनिंग इन्जीनियर, भीलवाड़ा के कार्यालय से गायब हुई फाइलें

४५२. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) क्या यह सही है कि माइनिंग इन्जीनियर, भीलवाड़ा के कार्यालय से प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स की कई फाइल्स तथा कई माइनिंग लीज़ फाइल्स तथा अन्य प्रकार की कई फाइल्स गायब हो गई थीं ?

(ख) यदि हां, तो कितनी तथा किन-किन नामों की तथा किस–किस वर्ष की ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(ग) ये फाइल्स किस प्रकार की थीं और इनके गायब होने का कब-कब पता लगा ?

(घ) इस संबंध में क्या जांच की गई और क्या कार्यवाही हुई तथा इसके लिए कौन दोषी पाया गया ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा):

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस संबंध में सरकार द्वारा जांच की गई थी कि फाइल गायब हुई है या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जांच कराने की जरूरत ही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन को पोस्टपोन कर दिया जाये और संबंधित मंत्री महोदय ही जवाब दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह बड़ा सीरियस मामला है ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय तो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जांच नहीं हुई और इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि फाइल गायब ही नहीं हुई । मिनिस्टर महोदय कह रहे हैं कि इस बारे में कोई जांच नहीं हुई । फिर भी अगर मंत्री महोदय को ज्यादा जानकारी हो तो वे बता दें ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : फाइल ही गायब नहीं हुई तो फिर इसमें सीरियसनैस क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : इस मामले से उद्योग मंत्री परिचित हैं इसलिए वे ही जवाब दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने कहा कि फाइल गायब है; पर मैं कह रहा हूं कि नहीं है, मामला बिल्कुल साफ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस मामले की शिकायत होने पर माननीय उद्योग मंत्री ने इस मामले की जांच कराई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री सिखबचन्द धारीवाल): बहुत अर्सा हो गया मुझे तो याद नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे खेद है कि आपकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई । मैंने पहले सत्र में भी इसके लिए कहा था कि वे इसकी जांच करायें और इस बारे में मेरी स्वयं की मंत्री महोदय से बात हुई थी और उन्होंने सेठी साहब को इसके लिए कहा था । आप कहते हैं कि फाइल गायब नहीं हुई और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो फाइल गायब हुई है वह मेरे पास मौजूद है, यदि आप लेना चाहें तो मैं सदन के सामने रख सकता हूं । मैं स्टेटमेंट भी भेजता हूं और जो फाइल ओरीजिनल गायब हुई है उसी को ओरीजिनल रूप में मैं हाउस के सामने रखता हूं ।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, अब तो बहुत ही सीरियस मामला है जब कि फाइल गायब है और वह फाइल माननीय सदस्य के पास मिल गई है ।

श्री भैरोंसिंह : वह कहते हैं कि गायब ही नहीं हुई ।

श्री अध्यक्ष : अब यह कैसे कहेंगे कि वास्तव में यह ऑफिस की ही फाइल है ? उसके ऊपर नोटिंग्स के पेपर्स लगे हुए हैं ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): फिर यह फाइल कहां से आई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : लोगबाग रद्दियों में बेच जाते हैं ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This is a very serious matter, Sir, how the file came in the possession of the Hon'ble member ?

Page No.12

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : The Hon'ble Minister should state now whether these are Government files or not ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फाइल मौजूद है, गायब नहीं है।

श्री श्रीमानसिंह : अब तो मामला सीरियस हो गया और उसमें क्लियरली आपका रौंग रिप्लाई है। मैं चाहूंगा कि इसको सीरियसली टेक-अप किया जाये। फाइल गायब नहीं हुई, ऐसा जवाब दे दिया जाता है और फाइल माननीय सदस्य के पास मौजूद है। ऐसी हालत में हाउस में क्या प्रोसीजर एडोप्ट किया जाये और हाउस को क्या अधिकार रहते हैं, इस पर विचार किया जाये।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य कहते हैं कि फाइल मेरे पास है और गायब है; मैं कहता हूं कि गायब नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो एफीशियेन्सी है कि आपको हाउस के ही सामने कह दिया कि गायब हुई है और फाइल आपके सामने बता दी है। पहले भी ऐसे ही रौंग रिप्लाई दिए गए हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य फाइल को पेश कर दें हम उसकी जांच करा लेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): इसकी जांच क्यों नहीं इसी समय करा ली जाती है कि यह फाइल दूसरी है या वही फाइल है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य फाइल को सदन की मेज पर रख दें तो मंत्री महोदय पुनः जांच करके सदन को सूचित कर देंगे।

(फाइल जांच हेतु प्रस्तुत की गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस पर इन्क्वायरी करा ली जाये और इस सदन के तीन मेम्बरों की कमेटी बना दी जाये जो कि इसकी जांच करें।

श्री अर्जुनदास : This is a contempt of the House itself, Sir.

श्री श्रीमानसिंह : That is a matter to be referred to the Privileges Committee.

श्री अध्यक्ष : It would be premature to take that decision at this stage. The file is here and in the light of this the Hon'ble Minister would re-examine the question and inform the House.

श्री श्रीमानसिंह : The question of re-examination does not arise. The question is whether the Hon'ble Minister has given a wrong reply in the House, and to give a wrong reply in the House is contempt of the House.

श्री अध्यक्ष : I am telling the Hon'ble Member that the file is still there and it has yet to be examined.

श्री श्रीमानसिंह : In that case my motion can be dropped by the Chair, but I move that this matter may

(श्री श्रीमानसिंह)

be referred to the Privileges Committee.

श्री अध्यक्ष : It is not allowed to be moved.

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Speaker, it is within the rights of an Hon'ble Member to move a motion.

श्री अध्यक्ष : The question is, certain answer was given by the Hon'ble Minister...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इन्क्वायरी जो कराई जावेगी वह ऑफिसर्स से कराई जायेगी तो यह निश्चित बात है कि एक तरफ तो ऑफिसर्स को बचाने की कोशिश की जायेगी और दूसरी तरफ माननीय मंत्रीजी ने जो गलत उत्तर दे दिया है तो प्रिविलेज मोशन का डर उन्हें रहेगा और इसलिए इसमें जरूर गड़बड़ होगी। इसलिए अभी सदन के तीन सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त कर दी जाय जो इससे पहले कि इसकी डुप्लीकेट फाइल बना ली जाय, क्योंकि इसके अनेकों उदाहरण आज भी मौजूद हैं। जो फाइल आज पेश की गई है उसकी कॉपी करके रखी जा सकती है। इसलिए तीन सदस्यों की एक समिति बना कर पहले जो डिपार्टमेंट में फाइल है, जैसा कि अभी मंत्रीजी ने कहा तो पहले उस फाइल को जब्त कर लिया जाय और उसमें देखा जाय कि क्या सारी कॉरेसपोन्डेंस उसमें मौजूद है और सारी जांच करके इस सदन में इस प्रकार की रिपोर्ट प्रेषित करे।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष, फाइल के ऊपर के जो कुछ कागज़ हैं वे मैंने अभी देखे हैं, उससे मुझे लगता है कि यह फाइल नहीं है खुले हुए कागज़ हो सकते हैं। यह फाइल गुम होने के बारे में जिस आदमी के द्वारा जानकारी दी गई है उसमें हो सकता है कि उस आदमी को भी मालूम न हो कि इसमें से कुछ कागज़ गायब हैं। अभी जो फाइल यहां रखी गई है मैंने एक सैकिंड के अन्दर उसे देखा तो मुझे लगता है कि यह फाइल नहीं है, फाइल के अन्दर के कुछ कॉन्टेन्ट्स हो सकते हैं। इसलिए तीन सदस्यों की समिति बनाने जैसी तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया है कि हम इस बात की जांच करा लेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्या यह फाइल है या यह फाइल की तारीफ में आती है या फाइल का कोई हिस्सा है या दूसरे कागजात हैं, इन सारी बातों की जानकारी किए बिना कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती। फिर इसमें किसी अफसरान को बचाने का क्वेश्चन मेरे ख्याल से पैदा नहीं होता है। इसमें प्रिविलेज मोशन का भी कोई सवाल नहीं है। जैसी भी स्थिति होगी हम जांच करवा कर सब स्थिति आपके सामने पेश कर देंगे।

श्री अर्जुनदास : इसकी डुप्लीकेट कॉपी आप नहीं बनवा लेंगे, इसकी क्या गारंटी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि यह फाइल है या नहीं ? सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह फाइल है या नहीं, या कोई कागज़ ही हैं या क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : वही तो मंत्रीजी कह रहे हैं कि सारे मामले को देखेंगे फिर से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये पर्टिक्युलर फाइल के कागजात भी हो सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : इसमें बहस का कोई प्रश्न नहीं है।

इसके ऊपर माननीय सदस्य ने आपत्ति की। उन्होंने कहा कि फाइल गायब है और उसकी कॉपी यहां पर रख दी, मंत्रीजी कहते हैं कि फाइल गायब नहीं है। तो जो फाइल यहां पर रखी गई है उसकी लाइट में वे जांच करके सदन के समक्ष सारी स्थिति को रख देंगे।

श्री अर्जुनदास : दूसरी फाइल नहीं बना लेंगे उसकी क्या गारंटी है, हमें यह तो बताओ ?

श्री भैरोंसिंह : उद्योग मंत्रीजी ने जवाब दिया कि उन्हें याद नहीं है। यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां पर उपस्थित होते तो मैं उनसे निवेदन करता कि ऐसा व्यक्ति जिसकी याददाश्त इतनी कमजोर हो गई हो वह मंत्रिमंडल में रहने के लायक नहीं है। मैंने इस सम्बन्ध में....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं ऐसी बेकार बातें याद नहीं रखता।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि मुझे याद नहीं है। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप डाइरेक्टर साहब से फोन पर पूछ लीजिए कि मेरे सामने मंत्री महोदय ने टेलीफोन किया था या नहीं। इस बात की जांच की जाय कि सेठी को टेलीफोन किया था या नहीं, जब कि मंत्रीजी कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है; तो फिर याद क्या है ? क्या यह याद है कि फाइल मिल गई या यह याद है कि डिपार्टमेंट में कोई गड़बड़ी ही नहीं है या उनके डिपार्टमेंट में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होती है, आखिर उनको याद क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह कितने अर्से की बात है ?

श्री भैरोंसिंह : पिछले सेशन में ही कहा था।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : पिछले सेशन में नहीं कहा था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पिछले सेशन में नहीं कहा था, तो कब कहा था ?

श्री मुरलीधर व्यास : अब तो आपने मंजूर कर लिया न ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मालूम कर लें कि माननीय मंत्रीजी ने इन्क्वायरी की थी या नहीं ? मैंने स्वयं मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में बात की थी और उनको सारी स्थिति से अवगत कराया था कि कौन २ सी फाइलें गायब हैं, किस तरह से प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस की फाइलें गायब होती हैं। पहले तो माल निकलने दिया जाता है और उसके छः-छः महीने बाद फाइलें बनती हैं और इस तरह जो प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस की फीस होती है उसको बचाने के लिए ये सारी कार्यवाहियां चलती हैं। ये सारी बातें हुई थीं और इसकी

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

जांच उद्योग मंत्रीजी ने कराई थी और आज वे यह कहते हैं कि उन्हें याद नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि अभी मंत्रीजी ने कहा था कि उन्हें याद नहीं है और फिर कहा कि पिछले सेशन की बात नहीं है उसके पहले की बात है। यह भी सदन को एक प्रकार से गुमराह करने की बात है। यह भी प्रिविलेज मोशन में आता है और इस बात की भी जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने तो कहा कि मुझे याद नहीं है।

(विराम)

नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सन् १९५९ में बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग के वास्ते भेजे गये अध्यापकों में से कुछ को छात्रवृत्ति न मिलना

४५३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सन् १९५९ में कुछ व्यक्ति बेसिक एस. टी. सी. ट्रेनिंग के वास्ते भेजे गये थे? क्या यह भी सही है कि इन सबको २५) रु० माहवार सरकार की ओर से छात्रवृत्ति दी गई थी?

(ख) क्या यह सही है कि सामोद, जिला जयपुर में जो १३६ अध्यापक ट्रेनिंग के लिए गए थे उनमें से ३६ को यह छात्रवृत्ति अभी तक भी नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों?

(ग) क्या यह सही है कि इसी प्रकार अमरसर, जिला जयपुर से जो व्यक्ति गए थे उनमें से १२ व्यक्तियों को यह छात्रवृत्ति अभी तक नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों?

(घ) यह रुपया छात्रवृत्ति का इन लोगों को कब तक मिल जायेगा?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। सामोद में १३६ अध्यापक ट्रेनिंग के वास्ते गये थे। बजट में केवल १०० अध्यापकों के वास्ते ही प्रोविज़न था इस कारण ३६ अध्यापकों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी।

(ग) जी हां, अमरसर जिला जयपुर में भी उपरोक्त कारणवश १२ अध्यापकों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी।

(घ) इनको छात्रवृत्ति दिलाये जाने की कार्यवाही हो रही है और जल्द ही पेमेन्ट कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

बुनियादी शिक्षा की स्थिति की जांच करनेवाली समिति की सिफारिशों पर हुई कार्यवाही

४५४. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

Page No.16

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(डीग) : क्या शिक्षा मंत्री (बुनियादी शिक्षा) निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त बुनियादी शिक्षा की स्थिति की जांच करनेवाली समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या यहां उन पर अमल भी आरम्भ हो चुका है ?

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों पर कहां कहां और क्या क्या अमल हो रहा है ? इस सम्बन्ध की सूचना सदन की मेज पर रखी जावे ।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रत्येक सिफारिश पर जहां तक अमल हुआ है तथा हो रहा है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : यह जो बुनियादी शिक्षा की रिपोर्ट है, वह किस सन् में प्रकाशित हुई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तारीख तो मेरे पास नहीं है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को फिर दूसरे दिन रखा जाये क्योंकि इसमें सूचना काफी है । ४८ के करीब सिफारिशें की गई हैं और उनमें से अधिकांश सिफारिशें अधूरी हैं, तो कितने ही सवाल इसमें निकलते हैं । मैं समझता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय जब यहां हों उस समय इस प्रश्न को पूछा जाय ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे ख्याल से आपने जो सूचना चाही कि कितनी चीजों पर क्या अमल हुआ, वह सब डिटेल के साथ दे दी गई है; फिर दूसरे दिन क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सारी रिपोर्ट पर तो बहस होगी नहीं, किसी खास पॉइन्ट पर आपको जानकारी करना हो तो फिर पूछ सकते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें सबसे पहले तो यह है कि यह रिपोर्ट मुझे जहां तक ....

श्री अध्यक्ष : बहस नहीं, प्रश्न पूछ लें । बहस रेज़ करनी हो तो और किसी तरह रेज़ कीजिये आप ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें लिखा है : "To make the above programme a success, Educational officers at all levels should be given short and effective course of training in seminars of Basic Education arranged by the State Government." तो मैं यह जानना चाहूंगा किन किन ऑफिसर्स को इस ट्रेनिंग में भेजा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग प्रश्न है और अलग नोटिस की आवश्यकता है। किन किन को भेजा गया और उसके तहत कितनों को भेजा गया, यह बिल्कुल जुदा प्रश्न है जो कि इस रिपोर्ट से सम्बन्धित नही है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैंने इसी सवाल में....

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो ठीक है, हर एक को भेज सकते हैं। इसमें क्या क्या कार्यवाही की गई और अमुक ऑफिसर को भेजा गया, यह रिपोर्ट में है। आप रिपोर्ट पढ़ लें।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इसमें दिया भी है, लेकिन इसमें समझ में नहीं आता है कि आई. ए. एस. ....

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट काफी बड़ी है, आप पढ़ लें। अगर किसी तरह से रूल्स में आवश्यकता हो तो डिस्कशन रेज़ कर सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जो डिस्कशन पर....

श्री अध्यक्ष : जी हां, उस पर विचार कर सकते हैं।

प्रश्न संख्या ४५५

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रभुलाल पुरोहित

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह

डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज, जयपुर को अदालत अथवा अधीनस्थ अदालत से फाइल की चोरी

४५६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज, जयपुर डिस्ट्रिक्ट की अदालत अथवा इसके अधीनस्थ किसी अदालत से एक फाइल चोरी चली गई ? यदि हां, तो कब ?

(ख) क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई ? यदि हां, तो कब और पुलिस द्वारा अब तक इसमें क्या क्या कार्यवाही हुई है ?

(ग) इस फाइल से सम्बन्धित मुकदमा किसकी तरफ से और किसके विरुद्ध और किस सम्बन्ध में था तथा जिस स्टेज पर फाइल चोरी गई वह स्टेज क्या थी ?

(घ) इस चोरी के मुकदमे की तफतीश में किस किस अफसर ने कब कब भाग लिया है व किन किन व्यक्तियों को तफतीश के सम्बन्ध में कब कब थाने में बुलाया गया अथवा गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, यह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जयपुर के न्यायालय से दिनांक ७-४-५६ को चोरी गई।

(ख) जी हां, रिपोर्ट १-६-५६ को

(श्री रामकिशोर व्यास)

की गई जिस पर धारा ३७६ ताजीरात हिन्द के अन्तर्गत थाना माणक चौक में मामला दर्ज किया गया और अनुसंधान के बाद २-१२-५६ को सुबूत की कमी के कारण बन्द किया गया।

(ग) यह फाइल दीवानी दावा नम्बर २७।५० श्री रामनारायण बनाम श्री दामोदर दावा तादादी रु० ११,०००) की थी। चोरी के समय प्रतिवादी को सफाई के लिये साक्षी प्रस्तुत करना था।

(घ) तत्कालीन इन्चार्ज, थाना माणक चौक ने इस मामले की अनुसन्धान की निम्नांकित साक्षियां ली गई थीं :-

सर्व श्री अम्बालाल, राधेश्याम, छगनलाल, हनुवंतराय, दामोदरदास खंडेलवाल, लाभचन्द, प्रभुनारायण, राधागोपाल और हरिदास।

श्री लाभचन्द रीडर को दिनांक ३०-८-५६ को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय, सेकिण्ड क्लास मजिस्ट्रेट, जयपुर द्वारा दिनांक १०-६-५६ को जमानत पर छोड़ा गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में आपने जिन लोगों का नाम बताया, राधेश्याम वगैरह दूसरे लोगों का उनमें से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने एक को ही गिरफ्तार करने के लिए कहा है।

श्री भैरोंसिंह : एक क्लर्क को गिरफ्तार किया था, बाकी के जो आदमी हैं जिनको कि बुलाया था उनमें से किसको गिरफ्तार किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसकी सूचना नहीं है। मेरे ख्याल से और किसी को नहीं किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : यह दफा ३७६ में किस किस के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था और किन किन को बरी किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक रीडर का मैंने बताया था।

श्री भैरोंसिंह : केवल रीडर का था ? लेकिन जो आदमी जिनका कि आपने जिक्र किया, बुलाये थे तो उनमें किस किस व्यक्ति के ऊपर संदेह प्रकट किया गया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुद्दायलेह पर शक किया था कि शायद उन्होंने कुछ किया हो।

श्री भैरोंसिंह : मुद्दायलेह पर शक किया गया था तो क्या पुलिस ने इस बात की आवश्यकता नहीं समझी कि मुद्दायलेह को बुला कर गिरफ्तार किया जाये ?

श्री रामकिशोर व्यास : गिरफ्तार तो जब शहादत हो तभी किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि लाभचन्द नामक क्लर्क पर केवल इस बात का शक था कि फाइल उसके अधिकार में थी और कोई सुबूत नहीं था ?

Page No.19

श्री रामकिशोर व्यास : सुबूत नहीं था तब तो हुआ।

श्री भैरोंसिंह : सुबूत नहीं था, फिर भी उसको गिरफ्तार कर लिया और दूसरों को संदेह में गिरफ्तार नहीं किया तो दोनों में अन्तर क्यों है ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्राइमा-फेसी फाइल इनके पास थी. उसको दिया गया था।

श्री भैरोंसिंह : फाइल देने में चोरी होना शामिल हो गया क्या ? फाइल उनकी कस्टैडी में थी और उनकी कस्टैडी में से चोरी चली गई तो जिसकी कस्टैडी में से चोरी चली गई उसको तो गिरफ्तार कर लिया और जिस पर शक था और जिसके खिलाफ डिक्री होने वाली थी और जिसने फाइल चुराने का काम किया, इस संदेह में उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, इसका कारण क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा था कि तारीख की पेशी थी उसके मुताल्लिक फाइल अहलमद के पास आ गई; ऐसा सरिश्तेदार कहता है कि फाइल भेज दी और दूसरा कहता है कि मेरे यहां नहीं है। इसके बाद पौने दो महीने में रिपोर्ट आई कि फाइल कहीं खो गई है, चोरी गई या क्या हुआ; उसके पूरे एवीडेन्सेज़ नही मिले।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह समझा जाये कि पुलिस इत्मिनान पर नहीं पहुंची कि फाइल चोरी गई या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : रिपोर्ट चोरी की है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यह है।

श्री भैरोंसिंह : फाइल रिपोर्ट एज़ अनअॉर्कड और अनट्रेस्ड है ?

श्री रामकिशोर व्यास : फॉर वान्ट ऑफ प्रूफ है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि पुलिस ने इस बात को माना है कि फाइल चोरी गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : टेक्निकली वैसी बात नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट की कि फाइल जो थी वह यहां पर मिसिंग है, इसलिए अन्दाज हो जाता है। किसी तरह की फुल एवीडेन्स किसी को आई नहीं तो क्या हो सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि फाइल चोरी गई, उसके बारे में इत्मिनान नहीं हुआ। एक तरफ तो यह कहते हैं कि फाइनल रिपोर्ट फोर वान्ट ऑफ प्रूफ मन्जूर की गई है तो इसका मतलब यह है कि फाइल तो चोरी गई; लेकिन कहां पर चोरी गई, इसका सुबूत नही मिलता है।

श्री रामकिशोर व्यास : फाइल गायब हुई है।

श्री भैरोंसिंह : फाइल गायब होने और चोरी होने में फर्क है कानूनी दृष्टि से ?

श्री रामकिशोर व्यास : 'गायब होना' वाइडर टर्म है। उससे ज्यादा वह मायने रखता है और चोरी होना उससे कम मायने रखता है। एपेरेन्टली जो है, सरकमस्टान्सेज़ ऐसे हैं कि रीडर की साजिश से चोरी गई है।

Page No.20

(श्री रामकिशोर व्यास)

किसी तरह से फाइल वहां से गायब कर दी गई। चोरी के रूप में गई है या और किसी तरह से, एग्जेक्ट कोई एवीडेन्स नहीं आई कि किस तरह से दूर की गई, उसका, क्या हुआ कोई सवाल एवीडेन्स का नहीं है।

श्री अध्यक्ष: डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में सरकारी स्कूल एवं कॉलेज की लड़कियों के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था करना

४५७. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर शहर में कुल लड़कियों के कितने ऐसे सरकारी स्कूल और कॉलेजेज़ हैं जिनमें बस-व्यवस्था है ?

(२) ऐसे प्रत्येक स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी है व प्रत्येक में बसों की संख्या कितनी है ?

(३) क्या यह सच है कि सब संस्थाओं की एक सम्मिलित बस-व्यवस्था है ? क्या छात्राओं की संख्या की दृष्टि से बसों की संख्या अपर्याप्त नहीं है ?

(४) क्या यह सच है कि बसों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण छात्राओं का बहुत समय बर्बाद होता है ?

(५) क्या सरकार बसों की संख्या बढ़ा कर छात्राओं की असुविधा दूर करेगी ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां, उन्हें ऊंची ग्रेड का मालूम है और उन्हें ऊंची ग्रेड भी दी गई है:-

डॉ० चन्द्रकला : यह किसका उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ४५७

श्री नाथूराम मिर्धा : (१) तीन उच्चतर माध्यमिक शाला तथा १ कॉलेज।

(२) बसों व लड़कियों की निम्नलिखित संख्या है:—

शिक्षा संस्था का नाम	लड़कियों की संख्या	बस प्रयोग करनेवाली लड़कियों की संख्या	बसों की संख्या
१. महाराजा बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, जयपुर	६२३	४२१	४
२. महारानी बालिका उच्च विद्यालय, जयपुर	७०५	११२	३
३. कमला नेहरू बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर	५२५	११२	३
४. महारानी कॉलेज, जयपुर	१२००	६००	५

(३) जी हां। इन्हीं बसों द्वारा लड़कियों को लाने व ले जाने का प्रबन्ध इस प्रकार कर लिया जाता है कि जिससे बसों की संख्या अपर्याप्त नहीं पड़ती।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महारानी कॉलेज बस व्यवस्था अलग है।

(४) बसों की संख्या अपर्याप्त अवश्य है, लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि लड़कियों का अधिक समय बर्बाद नहीं होता। प्रत्येक छात्रा को बस का समय दे रखा है, इस वास्ते उसी समय बालिकायें अपने अपने केन्द्र पर उपस्थित रहती हैं।

(५) सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अभी बसों की संख्या बढ़ाना संभव नहीं है;

डॉ० चन्द्रकला : ये बसेज़ कॉलेज व स्कूल खुलने के समय से कितने पहले से चलना शुरू हो जाती हैं और स्कूल या कॉलेज बन्द होने के कितने समय के बाद तक चलती रहती हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब पौने दो घन्टे के बाद तक चलती रहती हैं और पौने दो घन्टे पहले से शुरू हो जाती हैं।

डॉ० चन्द्रकला : तो क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि हर छात्रा को जो पहले बस में बैठ जाती है उसको पौने दो घन्टे बस से स्कूल तक पहुंचने में लगते हैं और इसी तरह से जाने में पौने दो घन्टे लगते हैं?

श्री अध्यक्ष : यह इसमें लिखा है। यह सारी स्थिति सामने है। वे खुद ही कहते हैं कि बसें अपर्याप्त हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने से नहीं बढ़ा सकते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : दूसरी बसेज़ खड़ी रहती हैं। सेक्रेटेरियेट और असेम्बली मेम्बर्स के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था है, इस तरह का बसों का इन्तजाम सरकार नहीं कर सकती है क्या?

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

मेसर्स पूसालाल मानसिंहका, मालिक महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा को मिल के सम्बन्ध में मिली भूमि का मसला

४५८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) मैसर्स फूसालाल मानसिंहका, मालिक महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा को इस मिल के संबंध में कितनी भूमि मिली हुई है? इस भूमि में से कितनी भूमि काश्त की है? यह भूमि कितनी २ और किस किस कार्य के लिये मिली हुई है?

(ख) सरकार और मिल मालिकों में इस भूमि के संबंध में क्या एग्रीमेंट है? इस एग्रीमेंट के अनुसार इस भूमि पर मिल मालिकों के क्या क्या अधिकार हैं?

(ग) वर्तमान स्थिति में मिल मालिकों को इस भूमि पर क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं?

(घ) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्राप्त इस भूमि में से मिल मालिकों ने कुछ भूमि बेच दी है? यदि हां, तो कितनी?

(ङ) क्या यह सही है कि एग्रीमेंट के अनुसार इस भूमि का उपयोग नहीं हो रहा

(श्री भैरोंसिंह)

है ? कृपया एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(च) इस भूमि में से अब कितनी भूमि में काश्त होती है ? कितनी काबिल काश्त भूमि पड़त है तथा कितनी भूमि बंजर है ? जो भूमि काश्त होती है उसके काश्तकार कौन कौन हैं तथा कब कब से ?

(छ) क्या इस भूमि का कभी लगान अथवा एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस वर्ष का तथा कितना कितना ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) श्री पूसालाल मानसिंहका, मालिक महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा, को मिल स्थापित करने के लिये कुल १५६।) १ (एक सौ सवा छप्पन बीघा ६ बिस्वा) भूमि प्राप्त है । कुल भूमि हल्के आबादी के अन्दर है काश्त की नहीं । कुल १५६।) १ भूमि मिल लगाने के लिये प्रदान की गई है ।

(ख) एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है । मिल मालिक के अधिकार एग्रीमेंट में दर्ज हैं ।

(ग) मिल मालिक को एग्रीमेंट के अनुसार ही अधिकार प्राप्त हैं ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) सरकार द्वारा भूमि मिल चलाने एवं तत्संबंधी कार्य हेतु प्रदान की गई थी परन्तु मिल नहीं चल रही है और भूमि कृषि कार्य हेतु प्रयोग की जा रही है । एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(च) इस भूमि में से ७३।।) २ बीघा भूमि पर कृषि की जाती है । ४८) ३ बीघा भूमि पड़त है और शेष ३४।।) १ बीघा में कारखाना व मकान है । काश्त की भूमि को खुद मालिक अपने नोकरों द्वारा काश्त कराता है ।

(छ) वार्षिक नजूल टैक्स एग्रीमेंट के अनुसार ५४७. ५० न. पै. वसूल होता है । वर्ष संवत् २०१५ व २०१६ का १,६०५)रु० बकाया है जिसकी नियमानुसार कार्यवाही जारी है । जहां तक एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का प्रश्न है श्री पूसालाल मानसिंहका नाम एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के करदाताओं की पत्रावली में शामिल नहीं है । इसलिये उनके बाबत कर निर्धारण का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही उन्होंने कृषि आय-कर दिया है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि एग्रीमेंट के अनुसार इस भूमि पर खाली मिल ही लगाई जा सकती है, काश्त नहीं की जा सकती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो एग्रीमेंट में दर्ज है ।

श्री भैरोंसिंह : एग्रीमेंट के अनुसार ही पूछ रहा हूँ कि क्या यह सही है कि पूसालाल मानसिंहका इस मिल की भूमि के अन्दर मिल लगा सकता है काश्त नहीं कर सकता ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : एग्रीमेंट

Page No.23

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

में जो कुछ दर्ज है वही है । आपके पास एग्रीमेंट की कॉपी है ।

श्री भैरोंसिंह : वह क्लियर नहीं है ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : क्लियर नहीं है, तो नहीं है । टाइप की हुई दूसरी कॉपी दे दूंगे । एग्रीमेंट में जो कुछ है उसको देख लीजिये ।

श्री भैरोंसिंह : सब के पास एग्रीमेंट की कॉपी नहीं है ।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : सब को एग्रीमेन्ट सुनाना नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सच है कि भीलवाड़ा की हाई स्कूल की भूमि में से कुछ भूमि श्री फूसालाल मानसिंहका ने भीलवाड़ा के नागरिकों को प्लॉट बना कर बेची है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मिल से सम्बन्धित चीज़ नहीं है । हाई स्कूल के बारे में दूसरा सवाल पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा, "जी नहीं" भीलवाड़ा के अन्दर हाई स्कूल बिल्डिंग के पास कुछ भूमि प्लॉट्स के रूप में बेची है और उस पर लोगों के मकान बन चुके हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि जहां तक इस भूमि का सवाल है, मिल के लिये मेवाड़ स्टेट के जमाने में दी गई थी । हमारे पास यह इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें से भूमि बेची गई या नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) : यदि उसमें से कुछ जमीन प्लॉट्स के रूप में बेच दी गई है तो क्या सरकार उसकी जांच करके श्री फूसालाल मानसिंहका के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये सारे प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपने बताया था कि आबादी लैंड है काश्त की नहीं, फिर इसमें परिवर्तन क्यों किया गया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ये सारे प्रश्न कि एग्रीमेंट की खिलाफवर्जी की है या नहीं, सरकार के विचाराधीन हैं । The matter is pending before the Government.

प्रश्न संख्या ४५६

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६०

श्री मोहब्बतसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह ।

सी० आई० डी० में नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां

४६१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : Will the Home Minister be pleased to state:—

(श्री भैरोंसिंह)

1. Since 1952 how many persons were appointed directly as Sub-Inspectors, Assistant Sub-Inspectors and Head Constables in the C. I. D.? Please state the names and the date of appointment.

2. How many of them were promoted to the next higher rank, when and by whom ? Please state their names and the ranks to which they have been promoted.

3. What were the qualifications of those who have been directly appointed to the above mentioned posts and what were the additional qualifications after their appointment which secured for them their promotion ?

4. What are the rules for the direct appointment on these posts and promotion to the higher ranks? Please lay a copy of such rules on the table of the House.

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) तीन व्यक्तियों को हैड कॉन्स्टेबल के पद पर दिनांक २५-६-५३, १३-१-५४ एवं १-७-५४ को व एक को २७-१०-५५ को सब-इन्सपेक्टर के पद पर लिया गया। गुप्तचर विभाग में नियुक्त नॉन गजटेड स्टाफ के द्वारा किये जाने वाले कार्यों को दृष्टि में रखते हुए सदन में उनका परिचय देना जन-हित में नहीं होगा ।

(२) केवल एक हैड कॉन्स्टेबल को सिलेक्शन बोर्ड, जिसमें डी० आई० जी०, अजमेर, कलेक्टर व एस० पी०, अजमेर थे ने प्रतियोगिता परीक्षा के फलस्वरूप एस० आई० की ट्रेनिंग १६५८-५६ के सत्र के लिये विभागीय परीक्षार्थी के रूप में चुना । यह गुप्तचर विभाग में कार्य कर रहा है, अतः उसका परिचय देना जन-हित में नहीं होगा ।

(३) जिस व्यक्ति को एस० आई० लिया गया वह बी० ए० था एवं हैड कॉन्स्टेबल क्रमशः हिन्दी जाननेवाला, नवीं कक्षा पास व मैट्रिकुलेट थे और तीनों ही टेक्निशियन या कलाकार थे । जिसको उन्नत किया गया उसने कोई विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की और न ही यह आवश्यक था क्योंकि उसे नियमित सिलेक्शन बोर्ड द्वारा चुन लेने के पश्चात् ही बाद में उन्नत किया गया; जैसा कि ऊपर अंकित किया जा चुका है ।

(४) स्टेट स्पेशल ब्रान्च मेन्युअल के अनुसार पुलिस कर्मचारियों की इस विभाग में सीधी नियुक्ति की जा सकती है । यह अत्यन्त गुप्त पत्रावली होने के कारण इसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जन-हित में नहीं होगा । पदोन्नति सेवा काल व योग्यता को ध्यान में रख कर बनाई जानेवाली स्वीकृत सूची (एप्रूव्ड लिस्ट) के बल पर दी जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : जिसकी नियुक्ति सब-इन्सपेक्टर की पोस्ट पर की गई जिसका नाम बताने से सरकार हिचकती है क्या इस प्रकार की नियुक्ति करने का विभाग को अधिकार है ? यदि अधिकार है तो किस कानून या किस नियम के अन्तर्गत है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हिचकने की

(श्री रामकिशोर व्यास)

कोई बात नहीं है, आप नाम पूछते तो मैं बता सकता था।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि नाम नहीं बताया जा सकता, आपने नियमानुसार चुना है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने नाम के बारे में नहीं कहा। नाम आप पूछें तो बता सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : उसका क्या नाम है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मिस शारदा वर्मा, बी० ए०।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है और वह यह है कि क्या डाइरेक्टली जिन्होंने सब-इन्सपेक्टर अपोइन्ट किया है उनको ऐसा करने का अधिकार है ? यदि है, तो किस आधार पर है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जबाव फिर पढ़ कर सुना दूं। स्टेट स्पेशल ब्रांच मेन्युअल के अनुसार पुलिस कर्मचारियों की इस विभाग में सीधी नियुक्ति की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सब-इन्सपेक्टर की नियुक्ति की जा सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : की जा सकता है, तभी तो अर्ज किया है।

जालोर की जेल का सुरक्षा की दृष्टि से नव-निर्माण

४६२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जालोर के जालोर जेल भवन में से माह जुलाई, १९६० में कोई डाकू फरार हुआ है ? यदि हां, तो कौन व वह कैसे फरार हुआ है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि जालोर की जेल सुरक्षा के लिहाज से अच्छी नहीं है और इस जेल को नई बनाने का सुझाव सरकार के पास आया है ? यदि हां, तो कब और किन किनके सुझाव आये हैं ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। जालोर में नया उप-जेल भवन प्रथम श्रेणी बनाने की आज्ञा राज्य सरकार ने जून, ६० में जारी कर दी है।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौन आदमी फरार हुआ था और फरार होने का क्या कारण है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने बताया, 'जी नहीं'।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या फरार नहीं हुआ जेल तोड़ कर ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी नहीं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : यह तो आपने माना है।

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने 'जी नहीं' कहा।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

नागोर में आयोजित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रदर्शनी व राजस्थान प्रदर्शनी, १६५६ में आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग में लगे स्टालों के इन्चार्ज

४६३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नागोर में आयोजित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रदर्शनी व राजस्थान प्रदर्शनी, १६५६ में आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग के लगे स्टालों पर कितना व्यय किस प्रकार किया गया है ? व्योरेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

(ख) विभाग द्वारा प्रदर्शनी में स्टाल पर इन्चार्ज किस अधिकारी को बनाया गया ? इन अधिकारी की शैक्षणिक एवं विशेष योग्यता क्या है ? इस विभाग में इनकी नियुक्ति कब हुई ? इस विभाग से पूर्व यह अधिकारी राज्य सेवा में कहां कहां और किस किस पद पर कार्य करते रहे ? इनको वहां कितना वेतन मिलता था और अब कितना मिलता है? विवरण सहित बताने की कृपा करें।

(ग) औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग की स्टाल जो राजस्थान प्रदर्शनी में लगी उसके इन्चार्ज अधिकारी का क्या पद है ?

(घ) क्या उक्त अधिकारी को विभागीय नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के चयन में सिफारिश का अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम के अंतर्गत ?

(ङ) क्या उक्त अधिकरी ने सरकार से कृषि हेतु कोई ऋण प्राप्त किया था ? यदि हां, तो वह कितनी धन-राशि है? उसकी अदायगी हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(च) आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग में कुल कितने गजटेड अधिकारी हैं ? इन अधिकारियों की नियुक्ति करते समय किन किन विशेष योग्यताओं का ध्यान रखा जाता है ? विभाग के सभी अधिकारियों का वेतन, शैक्षणिक योग्यता, राज्य सेवा में नियुक्ति की तिथि एवं विशेष योग्यता? पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : नागोर में आयोजित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रदर्शनी में इस विभाग ने ७५६ रु० व्यय किये और राजस्थान प्रदर्शनी, १६५६ में इस विभाग ने कुल ३,६४६) रु० व्यय किये। व्यय के व्योरे की सूची संलग्न है।

(ख) विभाग द्वारा प्रदर्शनी में स्टाल पर इन्चार्ज सांख्यिक एवं प्रकाशन अधिकारी श्री मोहनप्रसाद पुरोहित बनाए गये थे। यह अधिकारी बी० ए०, एलएल० बी० है और उन्होंने सन् ४६-४७ में नागपुर में संवाददाता के कार्य की शिक्षा ली और ५ साल १६५० से ५५ तक वकालत व संवाददाता का काम किया। इस विभाग में इनकी नियुक्ति १७ जनवरी, १६५६ को हुई ! इस विभाग से पूर्व ये अधिकारी राशनिंग इन्सपेक्टर, जोधपुर, ऑफिस अधिक्षक, भूलेख, एवं सर्वेक्षण विभाग, त्रिपुरा राज्य (अगरथला) व नायब तहसीलदार कस्टोडियन विभाग (भारत सरकार) जयपुर के पद पर कार्य कर रहे थे। इनको कस्टोडियन विभाग में १७५) रु. वेतन मिलता था और अब

(श्री नाथूराम मिर्धा)

३००) रु. वेतन मिलता है। शिक्षा, योग्यता वेतन व राज्य सेवा की सूची संलग्न है।

(ग) राजस्थान प्रदर्शनी में विभाग के जो इन्चार्ज अधिकारी थे उनका पद सांख्यिक एवं प्रकाशन अधिकारी है। हर सांख्यिक अधिकारी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करके काबिल उम्मीदवारों की सूची संचालक के पास नियुक्ति के लिए भेजता है और इसी प्रकार उक्त अधिकारी भी ऐसी सूची संचालक के पास भेजता है। यह ऑफिस विधि के नियम के अन्तर्गत है।

(घ) उक्त अधिकारी ने सरकार से (जब वह राज्य सेवा में नहीं था) कृषि हेतु १९५२-५३ में ऋण लिया था। कुल ऋण राशि ४,७००) रु. थी। करीबन १,३००) रु. की किश्तें अदा कर दी गई हैं और बाकी की रकम जमा कराने के बारे में सम्बन्धित अधिकारी से पत्र-व्यवहार चल रहा है।

(च) इस विभाग में कुल १२ गजटेड अधिकारी हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति करते समय इनकी इस विभाग के कार्य के लिए योग्यता, कार्यकुशलता, पूर्व अनुभव एवं शिक्षा आदि सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। विभाग के सभी अधिकारियों का वेतन, शैक्षणिक योग्यता, राज्य सेवा में नियुक्ति की तिथि एवं विशेष योग्यता की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : क्या जो १२ गजटेड अधिकारी हैं उनको भी स्थानों के लिए साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : जो १२ अधिकारी थे उनको भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, बुलाया था।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि बुलाया गया, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की क्वालिफिकेशन्स थीं, बी. ए., एलएल. बी., इनमें से जो ग्रेजुएट थे, उनको सीनियोरिटी के हिसाब से क्यों नहीं रखा गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मेरे हाथ की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह !

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। जो आंकड़े दिये गये हैं, उतमें आपने पानी की मूण की कीमत ५.५० रुपये बताये हैं। क्या राजस्थान में पानी का घड़ा साढ़े पांच रुपये का आता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किस जगह ?

श्री अध्यक्ष : कई घड़े होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : पानी का घड़ा साढ़े पांच रुपये का बताया है।

Page No.28

श्री नाथूराम मिर्धा : किस जगह लिखा हुआ है ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो हिसाब आपने दिया है उसमें है, जो सूची संलग्न की है उसमें है।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : कई घड़े होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कौन से पेज पर बता रहे हैं, सूची में से पेज बतायें ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): यह पानी से भरा हुआ था या पाप से ?

(विराम)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह सूची काफी बड़ी है, आप किसको रेफर कर रहे हैं, वह मुझे मालूम नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने ट्यूब लाइट फ्यूज़ होने के कारण १३ रुपये का खर्चा बताया है। जब आपने कॉन्ट्रेक्ट दिया था, तो १३ रुपये क्यों दिये ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, रावराजा श्री सरदारसिंह।

जिला परिषद् व पंचायत समितियों की जांच हेतु मुकर्रर मूल्यांकन कमेटी द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट

४६४. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने जिला परिषद् व पंचायत समितियों की जांच के लिए कोई मूल्यांकन कमेटी मुकर्रर की है ? अगर हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी है ?

(ग) क्या उपरोक्त कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट टोंक की जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों का मूल्यांकन किया है और रिपोर्ट पेश कर दी है ? अगर हां, तो क्या और किन आधारों पर ?

पंचायत मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं। सरकार ने एक मूल्यांकन कमेटी विकास सम्बन्धी योजनाओं के मूल्यांकन के लिये नियुक्त की है। यह कमेटी लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना का भी मूल्यांकन करेगी। कमेटी के सदस्य निम्नांकित हैं :-

१. श्री मोहनसिंह मेहता वाइस चान्सलर, राजस्थान युनिवर्सिटी	चेअरमैन
२. श्री मुरलीधर व्यास, एम. एल. ए.	सदस्य
३. श्री पी. के. चौधरी, एम. एल. ए.	सदस्य
४. श्री आर. पी. लड्ढा, एम. एल. ए.	सदस्य
५. डॉ० ए. राठोड़, प्रि. एग्रीकल्चर कॉलेज, उदयपुर	सदस्य

Page No.29

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

६. डॉ० डी. एल. गुप्ता, रीडर, राजस्थान युनीवर्सिटी — सदस्य

७. संचालक, मूल्यांकन संगठन — सदस्य सचिव

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने कब इस कमेटी का गठन किया था ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पिछली ३१ मई को हुआ था ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मई से अब तक कमेटी ने क्या किया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अब तक एक मीटिंग हुई थी २७–६–६० को, जिसमें प्रारम्भिक बातों पर विचार किया किन-किन बातों का पहले मूल्यांकन करना है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस समिति में रूरल एरिया में से कोई सदस्य नहीं लिया गया ? पंचायत समिति और जिला परिषद् के कार्य से परिचित एक भी सदस्य नहीं लिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपके सामने नाम हैं, जो हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इधर बैठे हुए दलों में से किसी को नहीं लिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : श्री मुरलीधर व्यास जो हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मुरलीधरजी व्यास तो हैं, लेकिन जनसंघ में से राम राज्य परिषद् में से किसी को नहीं लिया गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब आपने पूछा है तो मैं बता दूँ कि पार्टी बेसिस पर नहीं लिये हैं........

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वैसे श्री मुरलीधरजी व्यास मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर के नायकों की वर्षाग्रस्त बस्ती के लोगों को प्रदत्त सहायता

४६५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) बीकानेर के नायकों की बस्ती जिसमें सैकड़ों मकान गत वर्षा में गिर गये थे उन्हें पुनः बसाने के लिये सरकार ने क्या सहायता देने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या इन लोगों ने गृह निर्माण सहकारी समिति बना कर सहायता के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया ? यदि हां, तो उन्हें क्या सहायता देने का सरकार सोचती है ?

Page No.30

(श्री मुरलीधर व्यास)

(ग) क्या बीकानेर समाज कल्याण विभाग ने इनको सहायता देने के लिये सिफारिश की है ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : (क) गत वर्ष बीकानेर में लगभग ५० नायक परिवारों के मकान वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए। नायक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की सूची में न होने से समाज कल्याण विभाग से सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) जी नहीं। इस विभाग में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

(ग) जी नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : नायक अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सूची देख लीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास : सूची में देख लिया है; नायक, भील लोग जो हैं ये उसके अन्तर्गत आते हैं।। उनको सहायता दी जाती है समाज कल्याण विभाग की ओर से।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप बता दीजिये, अगर सूची में हैं तो।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री मुरलीधर व्यास : सूची में आप बता दीजिये।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा, नहीं है !

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बता दूंगा।

श्री **लादूराम सुलाणिया** (दूदू-मु०) : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री किशनाराम।

चूरू जिले के पुलिस कर्मचारीगण व अधिकारीगण को समय पर टी. ए. डी. ए. न मिलना

४६६. श्री **किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) चूरू जिले के पुलिस कर्मचारीगण व अधिकारीगण को १ अप्रेल, १९५९ से १ जुलाई, १९६० तक कितना टी. ए. तथा डी. ए. दिया गया तथा कितना कितना किन किन को कब का देना बकाया है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या सरकार को विदित है कि इन बिलों को पास करने में आवश्यकता से अधिक समय लगा है जिससे सारे जिले में असंतोष फैल रहा है ? यदि हां, तो इस असंतोष को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) १-४-५९ से १-७-६० तक ५,६०७) रु० की धन-राशि पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यात्रा भत्ते के रूप में दी गई और ७,६३३ रु० ५३ नये पैसे अभी देने बाकी हैं।

(ख) पिछले वर्ष १-१०-५९ से

(श्री रामकिशोर व्यास)

२६–२–६० तक अतिरिक्त मांग के अभाव में यात्रा भत्ते के बिलों का भुगतान नहीं हो सका अतः इस वर्ष यात्रा भत्ते की मद की मंजूरी प्राप्त होने पर पास करा कर उनका भुगतान कर दिया है। इस सम्बन्ध में चूरू में नियुक्त आरक्षी दल में किसी प्रकार का कोई असंतोष नहीं है। अतः इसे दूर करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री किशनाराम : मैंने सुना नहीं, फिर से दोहरायें।

श्री अध्यक्ष : टी. ए., डी. ए. का रुपया बकाया था, अब उसकी सैंक्शन करके मंजूरी कर दी गई है।

श्री वीराराम।

श्री किशनाराम : वहां के पुलिस कर्मचारियों के सामने बड़ी भारी समस्या है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न सं० ४६७।

श्री किशनाराम : टी. ए., डी. ए. का बिल अगर समय पर पास नहीं होता है तो....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री वीराराम।

ग्राम धनारी, जिला सिरोही के स्कूल भवन को पूरा करवाना

४६७. **श्री वीराराम** (सिरोही–सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या जिला सिरोही के ग्राम धनारी के स्कूल भवन में वर्षा में पानी पड़ता है व बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्कूल भवन को पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा): अध्यक्ष महोदय, ४६७ का उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : इसकी सूचना नहीं आई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने निवेदन किया, इसकी सूचना नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

जयपुर शहर में गुंडागर्दी एवं स्त्रियों के साथ होनेवाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकना

४६८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि जयपुर शहर में गुंडागर्दी एवं स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं ?

(२) क्या स्कूल और कॉलेज के खुलते ही छात्रों में जो अवांछनीय तत्व हैं वे तथा उनसे मिल कर दूसरे लोग स्कूल, कॉलेज जाती हुई छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(३) क्या यह सच है कि शहर के अधिकांश रेस्टोरेन्ट और पान की दूकानें ऐसे गुंडों का अड्डा बनी हुई हैं।

(४) क्या सरकार इस अवांछनीय प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़ा कदम उठायेगी ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी नहीं।

(२) मौका पाकर कुछ व्यक्ति ऐसी हरकतें कभी कभी करते हैं किन्तु पुलिस में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

(३) जी नहीं।

(४) शहर में नियुक्त किये गये हुए वर्दी वाले तथा बिना वर्दी वाले पुलिस अधिकारी सदैव इस ओर सचेत रहते हैं तथा इस प्रकार की हरकत करनेवाले व्यक्ति जब कभी दृष्टिगत हों तत्काल ही उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सही है कि परसों रामनिवास बाग में एक घटना हुई जिसकी सूचना पुलिस को दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : अगर पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस के पास होगी, वह कार्यवाही करेगी।

डॉ० चन्द्रकला : किस आधार पर कहते हैं कि ये बढ़ी नहीं हैं ? क्या यह मानते हैं कि अभी मौजूद है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कहा कि वाकये ऐसे होते हैं।

डॉ० चन्द्रकला : उन वाकयों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जवाब में कहा, शायद आपने सुना नहीं। वर्दी वाले तथा बिना वर्दी वाले पुलिस अधिकारी सदैव इस ओर सचेत रहते हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु.) : आपने प्रश्न के उत्तर में नहीं बताया कि पहले १९५७–५८ में ऐसी छेड़छाड़ की रिपोर्ट होती थी, उनमें १९५९–६० में कुछ फर्क आया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले से कम हैं।

श्री लादूराम सुलाणिया : पहले से कम हैं या ज्यादा हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कम हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

लाडपुरा ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के हितार्थ बसाई गई बस्तियां

४६६. **श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा)**: क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(१) लाडपुरा ब्लॉक में अभी तक समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के हितार्थ किन किन स्थानों पर बस्तियां बसाई हैं ?

(२) इन बस्तियों के बसाने का कार्य

Page No.33

(श्री दयाकृष्ण विजय)

किस सन् में प्रारम्भ किया गया है ?

(३) तब से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितने और घर बढ़े तथा प्रत्येक वर्ष में कितना कितना खर्च किया गया ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(४) क्या यह सही है कि ये बस्तियां प्रत्येक बरसात में गिर जाती है और इनकी दुरुस्ती के लिये अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में कितना कितना रुपया किस किस बस्ती में खर्च किया गया ?

(५) क्या सरकार को कभी यह अनुभव हुआ है कि ये अनुसूचित जाति के व्यक्ति मकान के बजाय प्रारम्भ में भूमि, बैल व बीज का अनुदान लेना पसन्द करते हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) समाज कल्याण विभाग द्वारा लाडपुरा ब्लॉक में एक अनुसूचित जातियों की बस्ती रामनगर ग्राम में बनाई गई है ।

(२) इस बस्ती को बसाने का कार्य सन् १६५५-५६ में प्रारम्भ किया गया ।

(३) इस बस्ती में स्वीकृत घरों के अलावा कोई घर नहीं बढ़ा । इस विभाग द्वारा सन् १६५५-५६ में २० परिवारों के लिये ७००० रु० स्वीकृत किये गये और सन् १६५८-५६ में ३००० रु० इन्हीं परिवारों को अतिरिक्त सहायता के रूप में अपूर्ण घरों को पूरा करने के लिए स्वीकृत किये गये । ७००० रु० खर्च हो गये हैं ।

(४) जी नहीं ।

(५) घरों की सहायता के अतिरिक्त इस तरह की योजना अनुसूचित जातियों के लिए नहीं है ।

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : क्या यह बस्ती पूरी हो गई है ?

श्री रखबचन्द धारीवाल : जी हां, करीब करीब हो रही है, इसमें थोड़ा सा काम और बाकी है ।

श्री रामचन्द्र : कितना काम और बाकी है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : १६५८-५६ में जो विभाग द्वारा रुपया दिया गया है इसमें से १५,६६२ रुपये तो खर्च हो चुके हैं और कुछ काम बाकी है ।

श्री रामचन्द्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि बस्ती के अन्दर कितना हिस्सा बन चुका है, कितने मकान बन चुके हैं, कितने अधूरे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके सिलसिले में जैसा कहा ७००० ...

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न और है और जवाब और दे रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि बस्ती में कितने मकान बनाये गये हैं ।

(विराम)

श्री रिखबचन्द धारीवाल : कितने मकान बन चुके हैं और कितने बाकी हैं, मकान करीब करीब सब बन चुके हैं, प्लास्टर बाकी है ।

श्री रामचन्द्र : मकानों पर छत पड़ गई है क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां ।

श्री भैरोंसिंह : किस तरह पड़ गई है, ऊपर से डाली गई या नीचे पड़ गई है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कोलोनी बसाई है, इसमें पिछली वर्षा में कुछ मकान गिर गये थे और अभी बारिस हुई, इसमें भी गिरे हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसी सूचना नहीं आई है कि उनमें से मकान गिरे हैं ।

श्री रामचन्द्र : कभी आपने मकानों का मुलाहिजा किया ?

श्री अध्यक्ष : ४७० ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नक्शों में किया है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : जिस बस्ती को सरकार बसाती है पन्द्रह हजार में, और उनकी छत गिर जाती है और लोग मकानों के बाहर पड़े रहते हैं....

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं गिरे हैं । आप गलत क्यों कह रहे हैं ?

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या आपने देखा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपने देखा है ?

श्री लादूराम सुलाणिया : जी हां। क्या अब आप चल कर मकान देखने के लिए तैयार हैं ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं बता सकता हूँ कि पिछली साल उस बस्ती में मकान गिरे थे, जिनको बसाया गया । इस साल भी बरसात में मकान गिरे हैं । मेरे साथ आप चलें, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन कर दिया कि कोई सूचना नहीं है कि कोई मकान गिरा हो ।

श्री अध्यक्ष : श्री भोगजी भाई ।

बांसवाड़ा जिला जेल निरीक्षण हेतु निर्मित कमेटी

४७०. श्री भोगजी भाई (बांसवाडा) : (श्री हीराभाई (कुशलगढ़) द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिला जेल निरीक्षण के लिये सरकार ने कोई कमेटी का निर्माण किया है ? यदि हां, तो कब ? उक्त कमेटी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(ख) जिला जेल निरीक्षण कमेटी का जब से निर्माण किया गया है अब तक

(श्री भोगजी भाई)

कितनी बार उक्त कमेटी के सदस्यों की बैठक बुलाई गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) जेल के अन्दर हैड वार्डर तथा वार्डमैन से कितने घन्टे की ड्युटी ली जाती है ? उक्त जेल के कितने कर्मचारी हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि उक्त जेल में सज़ायाफ़्ता बन्दियों से और हवालाती बन्दियों से एकसा व्यवहार किया जाता है और काम बराबर लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या हवालाती बन्दियों को सुबह कोई नाश्ता नहीं दिये जाने का क्या कोई सरकारी आदेश या नियम है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) किसी कमेटी का निर्माण तो इस सम्बन्ध में नहीं किया गया है लेकिन गैर सरकारी (नोन ऑफिशियल) व्यक्तियों की जरूर नियुक्ति की गई है ताकि समय समय पर सम्बन्धित जेल का निरीक्षण करके सरकार को अपने सुझाव जेल में सुधार की दृष्टि से दे सकें। बांसवाड़ा जेल के लिये श्री सवाईलाल गुप्ता, श्री छगनलाल एडवोकेट व श्री नटवरलाल भट्ट की नियुक्ति नॉन ऑफिशियल विज़ीटर के रूप में अगस्त १६५६ में की गई है।

(ख) जिला जेल बांसवाड़ा के निरीक्षण के लिए किसी कमेटी का निर्माण नहीं किया गया। लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऊपर लिखित तीन गैर सरकारी व्यक्तियों (नोन ऑफिशियल विज़ीटर्स) की नियुक्ति की गई थी कि जिनको कमिश्नर द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुसार एक मास में एक मरतबा जेल पर निरीक्षण के लिये जाना चाहिये। अभी तक उपरोक्त व्यक्तियों में से कोई भी निरीक्षण के लिये जेल बांसवाड़ा पर नहीं आये हैं।

(ग) जेल पर हैडवार्डर तथा वार्डरों से नौ घन्टे ड्यूटी ली जाती है; दिन में ६ घन्टे और रात में ३ घन्टे और जो वार्डर बन्दूक के साथ संतरी ड्यूटी पर होता है उससे ६ घन्टे ड्यूटी ली जाती है।

बांसवाड़ा कारागृह पर निम्नलिखित कर्मचारी हैं :

डिप्टी जेलर १, एल. डी. सी. १, हैडवार्डर २, वार्डर १२, पार्ट टाइम डॉक्टर १, कम्पाउन्डर १, धोबी १ और हरिजन १।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी उत्तर देना बाकी है।

(घ) नहीं, यह सही नहीं है। सिर्फ सख्त सजा वाले बन्दियों से ही जेल पर काम लिया जाता है। दूसरे बन्दियों को उनके रहने के स्थानों की सफाई वगैरह जेल रूल्स के अनुसार कराई जाती है, और कोई काम उनसे नहीं लिया जाता।

श्री हीराभाई : अगर कोई शिकायत करे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : किस बात की शिकायत करें।

श्री हीराभाई : कोई बे-जाब्तगी की।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई बे जाब्तगी की शिकायत करे तो एक्शन लिया जा सकता है।

श्री हीराभाई : मैं यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, कि उनसे ज्यादा काम लिया जाता है। माननीय मंत्री ने कहा, उसको हमने सुना कि उनसे कमरा साफ कराया जाता है जहां वे रहते हैं। मैं यह कहूंगा कि उनके पास सिर्फ एक दरी और कम्बल होता है। उनके लिये कौनसा काम है ? उनसे बहुत काम लिया जाता है, उनसे पानी भराने का काम लिया जाता है। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन लोगों से इस प्रकार का काम लिया जाता है उनका समय समाप्त हो जाने के बाद या जेल से बरी हो जाने के बाद उनको उसकी मजदूरी दी जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the question, Sir.

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि मंत्री महोदय ने जो बताया है उससे ज्यादा काम लिया जाता है।

(विराम)

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४७१.

श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालौर की पंचायत समितियों में लाइबिलिटीज् के विचाराधीन बिलों का भुगतान

४७२. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) जिला जालौर की कौन कौन सी पंचायत समितियों में २ अक्टूबर, १६५६ से पहले के लाएबिलिटीज के बिल पेंडिंग हैं ? समिति वाईज़ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सम्बन्धित डिपार्टमेंट की ओर से इनके अगेन्स्ट में उतने ही फंड्स अलॉट नहीं किए गये हैं, जिनके कारण बिलों का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन बिलों के भुगतान की रकम की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

विकास मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) पंचायत समिति आहोर को छोड़ कर जालौर जिले की किसी भी अन्य पंचायत समिति में २ अक्टूबर, १६५६ से पहले की लाइबिलिटीज़ के बिल्स पैन्डिंग नहीं हैं। पंचायत समिति आहोर में जो बिल पैन्डिंग हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं। उक्त पंचायत समिति में जो बिल पेंडिंग हैं, वह फन्ड्स की कमी के कारण नहीं है किन्तु खर्च की गई रकम की स्वीकृति के न प्राप्त होने के कारण।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द : इसका मतलब यह है कि स्वीकृति से उन्होंने ज्यादा खर्च कर दिया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यही बात है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उनको इन बिलों का भुगतान किया जाएगा या उनको ही भुगतना पड़ेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: उन्होंने मंजूरी से ज्यादा खर्च कर दिया । मैं समझता हूँ कि बिलों का पेमेंट हो जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

बापूनगर, जयपुर के क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना

४७३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बापूनगर जयपुर के क्षेत्र में कोई पुलिस चौकी कायम किये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

(ख) यदि हां, तो यह चौकी कब तक कायम हो जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं, किन्तु वहां थाना कायम करने का निर्णय ले लिया गया है ।

(ख) थाने की इमारत का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिसीज़न हो गया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मण हीरात ।

अनुसूचित जन–जाति सलाहकार मंडल

४७४. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुन्दा सु.) क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) शिड्यूल ट्राइब्ज़ एडवाईज़री बोर्ड की सन् ५७ से ६० तक कितनी बैठकें हुईं ? उन बैठकों में जो कार्यवाही हुई उन पर सरकार ने अमल किया अथवा नहीं ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो क्या क्या प्रस्ताव कार्यान्वित किये गये ?

(ग) माह जनवरी ६० के बाद अब तक बैठक क्यों नहीं बुलाई गई ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री खिबचन्द धारीवाल) : (क) अनुसूचित जन जाति बोर्ड की स्थापना सन् १९५८ में हुई । इस बोर्ड की अब तक दो बैठकें हुई हैं । सुझावों पर सरकार ने उपयुक्त कार्यवाही की है ।

(ख) जी हां । जो प्रस्ताव कार्यान्वित किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । शेष मुद्दे विचाराधीन हैं ।

(ग) इस बोर्ड की बैठक १३–७–६० को जयपुर बुलाई गई थी ।

(सूची अति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लक्ष्मण हीरात : क्या यह सही है इसकी जितनी भारतीय संविधान के अनुसार बैठकें होनी चाहिये थीं, नहीं हो रही है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसमें देरी जरूर हुई है ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु०): क्या यह सही है कि ये बैठकें ७ बार बुलाई गईं और ७ बार ही कैंसल हुईं ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह बात गलत है ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल': एक बार तो यह सूचना मिली थी कि गांधी कैम्प में होगी, दूसरी बार सूचना मिली कि वहां नहीं होकर झालावाड़ में होगी । फिर सूचना मिली को कोटा में होगी, फिर मिली की जयपुर में होगी । इस प्रकार सात दफे मीटिंग के स्थान बदलते गये और इसमें कितना खर्चा हुआ, क्या यह खर्चा उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल किया जावेगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ७ बार मीटिंग बुलाने की खबर गलत है ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल': माननीय मंत्रीजी कहते हैं कि यह ७ बार बुलाने की बात गलत हैं, मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल सही है। मैं इसके लिये यह कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय या तो इसी बात पर अपना पद छोड़ दें या मैं कहता हूं सो गलत हो तो मैं सदन को छोड़ने के लिये तैयार हूँ। आप इमानदारी से बता दें । या तो मैं बैठ जाऊंगा या मन्त्री महोदय बैठ जावें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री कहते हैं कि ७ बार नहीं बदली गई ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल': आप कहें तो मैं अलग अलग तारीख बता सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : जब ये विधान सभा को छोड़ने के लिये तैयार हैं तो आप इनके प्रश्न का उत्तर दें, दिलावें ।

श्री भैंरवलाल 'कालाबादल': अध्यक्ष महोदय, पहले कहा गया कि गांधी कैंप में मीटिंग होगी । हम गांधी कैंप गये, वहां फूलजी भाई से पूछा । वहां से मालूम हुआ कि वहां पर नहीं होगी, वह झालावाड़ में होगी; वहां से झालावाड़ पहुंचे तो पता लगा कि वहां पर नहीं कोटा में होगी । वहां से रोते रोते कोटा गये...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री लादूराम सुलाणिया : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य इधर से उधर घूमे उनको टी० ए० और डी० ए० का भुगतान हो गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला ।

जयपुर नगर के लिए एक स्थायी एवं सुविधाजनक बस स्टेन्ड की अपेक्षा

४७५. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) इस समय जयपुर शहर में कहां कहां पर किस किस जगह के बस स्टेन्ड हैं ?

(२) इनमें से किन किन बस स्टेन्ड्स पर

(डॉ० चन्द्रकला)

छाया, पानी आदि की सुविधा है ? क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश स्टेन्ड बड़ी असुविधाजनक हालत में हैं ?

(३) क्या विभाग की ओर से सब का एक अथवा अलग अलग स्थायी बस स्टेन्ड बनवाने का इरादा है ? यदि हां, तो कहां कहां पर ? ये बस स्टेन्ड कब तक बन जायेंगे ?

(४) क्या यह सच है कि पोलो विक्टरी के पास एक बड़ा स्थायी बस स्टेन्ड बनने वाला है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित होगी ?

यातायात मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): (१) निम्नलिखित बस स्टेन्ड हैं :-

१. राजामल का तालाब।

२. चांदपोल गेट बाहर।

३. घाट दरवाजा बाहर।

४. चांदपोल गेट बाहर।

५. झोटवाड़ा सड़क।

६. पोलो विक्ट्री।

७. रामलीला मैदान के समीप।

८. मानक चौक।

९. अजमेरी गेट बाहर।

१०. सांगानेरी गेट बाहर।

(२) पानी का प्रबन्ध सब स्टेन्डों पर है। छाया का प्रबन्ध केवल घाट दरवाजे बाहर वाले स्टेन्ड पर है। असुविधाजनक होने की कोई शिकायत नहीं आई।

(३) प्रश्न विचाराधीन है।

(४) ऐसी कोई योजना नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : जिन बस स्टेन्डों पर छाया का प्रबन्ध नहीं है वहां पर छाया के प्रबन्ध करने की कोई योजना है या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास: वही है जो है।

डॉ० चन्द्रकला : इसके बारे में सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : गवर्नमेंट तो साइट फिक्स करती है। बाकी मैंने आपको जानकारी बता दी कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : आपने (४) में जानकारी दी कि कोई योजना है नहीं छाया की।

श्री अध्यक्ष : वह भी सरकार नहीं बनाने वाली है। यह माननीय मन्त्री कहने वाले हैं।

डॉ० चन्द्रकला : जहां छाया का प्रबन्ध नहीं है वहां पर कब तक प्रबन्ध कर दिया जायेगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : हम तो केवल साइट फिक्स करते हैं। हमने नाम बता दिये कि कहां कहां बस स्टेन्ड हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिक्षा विभाग में अध्यापकों को मिलने वाली पदवृद्धि के नियम

४७६. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा):

(श्री दयाकृष्ण विजय)

क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) शिक्षा विभाग, राजस्थान में अध्यापकों को उनकी योग्यतानुसार अपग्रेड करते समय उनकी सीनियोरिटी, नियुक्ति तिथि से आंकी जाती है या पाते हुए ग्रेड से या योग्यता बढ़ाने की तिथि से ?

(२) क्या निरीक्षक, शिक्षा विभाग, कोटा के कार्यालय से दिनांक १४-११-५६ की आज्ञा के अनुसार ३१ अध्यापकों को १-७-५६ की आज्ञा के अनुसार ३१ अध्यापकों को १-७-५५ से मैट्रिक ग्रेड की मन्जूरी दी गई थी ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) क्या इस आज्ञा के विरुद्ध कितने ही अध्यापकों ने आपत्ति प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो कितने अध्यापकों ने तथा उनके सामूहिक क्या आधार है ?

(४) क्या इन आप-त्तिपत्रों का निर्णय सुना दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) राजस्थान में अपग्रेड करते समय अध्यापकों की सीनियोरिटी यदि वे दिनांक १-४-५० से जिस ग्रेड में फिक्स किये गये हों उसी ग्रेड में कार्य कर रहे हैं तो उनकी प्रथम नियुक्ति से मानी जाती है और जिनको १-४-५० के बाद प्रोमोशन मिला हो या जो नये नियुक्त हुये हैं उनकी सीनियोरिटी ग्रेड पाने के तिथि से मानी जाती है। सीनियोरिटी योग्यता वृद्धि की तारीख से नहीं मानी जाती है।

(२) जी हां। शिक्षा विभाग कोटा के कार्यालय से दिनाक १४-११-५६ की आज्ञानुसार ३१ अध्यापकों को १-७-५५ से मैट्रिक ग्रेड में प्रमोट किया गया। जिन अध्यापकों की नियुक्तियां दिनांक ८-७-५५ तक हो चुकी थीं और जिन्होंने सन् १६५५ तक हाई स्कूल परीक्षा पास कर ली थी उन्हीं अध्यापकों को १-७-५५ से अपग्रेड किया गया था।

(३) जी हां। इस आज्ञा के विरुद्ध तीन अध्यापकों ने आपत्ति उठाई थी, इनका सामूहिक आधार सन् १६५५ से यान पदोन्नति दी जाने से पहले मैट्रिक पास होना था।

(४) जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि जिनको अप ग्रेड किया है वे पहले से सर्विस में थे और पहले से ज्यादा पैसा पाते थे और इस संबन्ध में जो नियम था उसका पालन नहीं किया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नही, ऐसा नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट अभी नहीं बनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जबाब दे दिया है....

श्री भैरोंसिंह : कोटा जिले के अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट अभी तक नहीं बनी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सीनियोरिटी लिस्ट बनी है। ओब्जेक्शन भी किये गये हैं।

Page No.41

श्री भैरोंसिंह : आप केटेगेरिकली बता दें। उन्होंने जो ओब्जेक्शन किये हैं उनमें एक ओब्जेक्शन यह भी है कि अभी तक सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है। क्या सरकार ने ऐसी कोई सीनियोरिटी लिस्ट बनाई है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपके प्रश्न के (१) के उत्तर में बताया कि सीनियोरिटी डेट से मुकर्रर की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : जब आपकी सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है तब आप लोगों को प्रोमोशन कैसे दे सकते है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब की डेट तो हमारे पास है।

श्री भैरोंसिंह : कोई आदमी कोटा डिविजन में है। अगर जयपुर में सिनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी होगी तो कैसे मालूम होगा कि कौन सीनियर है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन लोगों के रिप्रेजेन्टेशन का निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निर्णय ले लिया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या निर्णय लिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रिजेक्ट कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मिनिस्टर इन्चार्ज होते हैं वे ही हमेशा यहां पर प्रश्नों के उत्तर दें और उपस्थित रहें तो ज्यादा अच्छी बात है, अन्यथा दूसरों को पूरी जानकारी नहीं होती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपने किस आधार पर खारिज किया है ? क्या पहले से नियुक्ति नहीं हुई थी ? नये ग्रेड में पहलेवालों को अपग्रेड कर दिया और ५३ से जो काम करते आ रहे हैं उनको अपग्रेड नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, रावराजा श्री सरदारसिंह।

सरपंच नगर, तहसील देवली के विरुद्ध अदालत टोंक में किया गया चालान

४७७. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि सरपंच नगर, तहसील देवली के खिलाफ दफा ४२० और ४०६ के केसेज़ एन्टीकरप्शन विभाग ने पूर्ण रूप से बना कर अदालत टोंक में चालान कर दिये थे ?

(ख) क्या यह सही है कि हस्ब कायदा लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट से इजाजत चाही गई थी ? अगर हां, तो कब और वह इजाजत दे दी गई या नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

Page No.42

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) सरपंच नगर, तहसील देवली के विरुद्ध दफा ४०६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत दो मामले दर्ज किये जाकर तफतीश पूरी की जा चुकी है। इनमें से एक मामले में अपराध प्रमाणित नहीं हो सका और इसी कारण इसका चालान अदालत में नहीं किया गया।

(ख) इसका सम्बन्ध संयुक्त विकास आयुक्त (पंचायत), राजस्थान से है। सरकार द्वारा चालान किये जाने की स्वीकृति दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। नेक्स्ट

(१२. २६ म० प०)

राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन) विधेयक, १९६० पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को असहमति पत्रों सहित उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगे।

मांग संख्या ५८—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदानों की मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३,६७,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : Motion moved.

[इस अनुपूरक अनुदान की मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या ५८

डॉ० बहादुरसिंह :

१. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (पंचायत समिति श्रीमाधोपुर को कुए बनाने के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

२. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (पंचायत समितियों को बाढ़ सहायता कार्यों के लिये ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

१. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (बाढ़, आग आदि से पीड़ित व्यक्तियों को ऋण की अपर्याप्ता पर विचार करने हेतु)

२. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

१) रु० की कटौती कर दी जाय (राजनैतिक पीड़ितों को ऋण की स्थिति पर विचार करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द :

१. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (मध्यम आय वर्ग गृह योजना के लिये ऋण की धन राशि पर विचार करने हेतु)

२. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती कर दी जाय (बाढ़ व अग्नि पीड़ित लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

१. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १००) रु० की कटौती कर दी जाय (अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट अलवर को ऋण देने के संबंध में विचार करने हेतु)

२. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १००) रु० की कटौती की जावे (राज्य में बाढ़ व अग्नि पीड़ितों को समय पर व पर्याप्त ऋण देने में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु)

३. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १००) रु० की कटौती की जावे (राजस्थान में मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के लिये ऋण देने पर विचार करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी :

That the Demand No LVIII Major Head P-Loans and advances be reduced by Rs. 1/– (to discuss the Government's failure to utilise the funds advanced for Middle Income Group Housing Schemes for Construction of Houses).

श्री दयाकृष्ण विजय :

मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जावे (वन सहकारी संस्थाओं को वन अलॉट करने में वन विभाग द्वारा प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु)

श्री भैरोंसिंह (१४) :

१. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम आइटम (४) में बाढ़, आग आदि से पीड़ित लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु १) रु० की कटौती की जाय।

२. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम आइटम (५) में मध्यम आय वर्ग गृह-योजना के अन्तर्गत ऋण के उपयोग पर विचार करने के लिये १) रु० की कटौती की जाय।

३. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम आइटम (६) में वन सहकारी समितियों को कार्यकारी पूंजी के लिये ऋण के सम्बन्ध में

(श्री भैरोंसिंह)

विचार करने हेतु १) रु० की कटौती की जाय।

४. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण अग्रिम आइटम (७) पोलीटिकल सफरर्स के लिये निर्धारित धन-राशि में से १) रु० की कटौती की जाय (राजनैतिक पीडितों को ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु)]

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं अर्ज कर दूं कि आज पांच डिमान्ड्स रखी गयी हैं और दूसरी नहीं रखी गई हैं। बहुत से सदस्यों की यह मांग थी कि दूसरी मांगें भी आनी चाहिये थीं। खास कर पुलिस की मांग है। वह कल ही आ जाय तो अच्छा है, नहीं तो उस पर विचार नहीं प्रकट किये जा सकेंगे। शिक्षा की भी मांग है। इसलिए पांच ही मांगें आज समाप्त हो जायं ताकि दूसरी मांगों के लिए भी माननीय सदस्यों को मौका मिल सके।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य चाहें और संक्षेप में बोलें तो वह भी संभव है।

डॉ० बहादुरसिंह : तो इस मांग संख्या ५८ पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं और मैं उन दोनों को ही सदन में प्रस्तुत करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले माननीय मन्त्री महोदय संक्षेप में यह बता दें सदन को कि किस सम्बन्ध में यह मांग प्रस्तुत कर रहे हैं, वह जरा एक्सप्लेनेटरी नहीं है कि जिससे यह ठीक तौर पर मालूम हो सके कि वास्तव में मांग क्या है। इससे कट मोशन्स पेश करने में सहूलियत भी रहेगी और उसमें समय भी कम लगेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : सब समझ रहे हैं।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने मन्त्री महोदय से पूछा है कि संक्षेप से में इस मांग के सम्बन्ध में बता दें तो अच्छा होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): जो नोट प्रस्तुत कर दिया गया है वह इसी उद्देश्य से किया जाता है कि माननीय सदस्य उसको पढ़ कर आवें। माननीय सदस्य अपना परिश्रम और समय बचाना चाहते हैं और मन्त्री पर उसका भार डालना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा यही भाषण है इस पर।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री महोदय पर भार डालने का प्रश्न नहीं है। सदस्य तो पढ़ कर ही आते हैं, शायद मन्त्री महोदय उसको पढ़ कर नहीं आये हैं। यदि शोर्ट में बता दिया जाय तो सदस्यों को कट-मोशन्स पर बोलने में अधिक सहूलियत हो जायगी। नहीं तो कट मोशन्स के जरिये दूसरी बातें माननीय सदस्य बतायेंगे और उसके बाद आप कहेंगे वह नहीं है। इससे पहले ही स्पष्ट बता दीजिये जिससे समय बच जाये।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, यह जो मांग है वह करीब ७ लाख रुपयों की है। जिसमें नगर सुधार अलवर के लिये १,५०,०००) रुपया, पंचायत समितियों को बाढ़ सहायता कार्यों के लिए ५०,०००) रु०, श्री माधोपुर की पंचायत समिति को २,००,०००) रु० और वन सहकारी संस्थाओं को ३,००,०००) रु० है। मैं दो के लिए निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमाधोपुर की पंचायत समिति को किस काम के लिए दो लाख रुपयों का ऋण दिया गया, यह इससे जाहिर नहीं होता है और श्रीमाधोपुर की पंचायत समिति को ही क्यों दो लाख रुपया दिया गया, यह मैं जानना चाहूंगा ?

पंचायत समितियों को बाढ़ व अन्य सहायता कार्यों के लिए ५०,०००) रु० की व्यवस्था की है। पंचायत समितियों में तकावी वितरण होता है। जो रुपया अलॉट करते हैं उसके वितरण के बारे में विचित्र समस्या हमारे सामने है। तकावी के लिए रूल्स बनाये लेकिन उनका कहां तक पालन किया जाता है, यह भी सदन जानना चाहता है। लेकिन इतना अवश्य है कि कई पंचायत समितियों की विभिन्न तरह की समस्यायें हैं। यहां तक कि ८० हजार रुपया एक सरपंच में बाकी है, उसको एडवान्स किया हुआ है; या तो वहां पर काम नहीं हो रहा है या सरपंच ले गया है, उसको अपने पास रखा है। जो बाढ़ कार्यों के लिए रुपया दिया गया है उसमें मुझे डाउट है। पंचायत समितियों में वितरण हुआ या नहीं और हुआ तो किस तरह से हुआ ? इसके साथ साथ मेरा इलाका विशेषतया वहां वर्षा का बाहुल्य हो जाया करता है, पिछले दिनों एक दिन में वहां पर ६ इन्च वर्षा हुई। उससे काफी हानि हुई, बाढ़ नहीं आई अवश्य। यदि बाढ़ नहीं आई तो वह इलाका इससे वंचित क्यों रहे ? हानि तो वहां अवश्य काफी हुई है। यदि बाढ़ पीड़ितों के लिये रुपया दिया जाय तो उसका इक्वल डिस्ट्रिब्युशन हो। सूखे इलाके में देने की आवश्यकता नहीं है, यदि वर्षा से और नदियों से बाढ़ आवे तो उन पंचायत समितियों को आवश्यक सहायता कार्य के लिए रुपया दिया जाय तो मुझे इसमें एतराज नहीं है।

रुपयों का वितरण एक सरपंच पर छोड़ देते हैं तो यह देखा जाना चाहिये कि एक सरपंच उसका वितरण ठीक प्रकार से करता है या नहीं। कई पंचायत समितियों में इस प्रकार की शिकायतें आती हैं। बराबर माननीय सदस्य पंचायत समितियों के सम्पर्क में आते हैं, वे सब जानते हैं कि किस तरह से सरपंच बैठ कर किस प्रकार से रुपया अलॉट कर रहे हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ५० हजार रुपयों से कितने बाढ़ पीड़ितों को सहायता देना चाहते हैं ? यदि ५० हजार रुपया भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में दिये जायं तो मैं उसको उस क्षेत्र के लिए अपर्याप्त समझता हूं। पंचायत समिति श्री माधोपुर को दो लाख रुपया दिया, वह किस काम आता है ? मैंने सुना है शायद वह बात सही प्रतीत नहीं होती है। यह केवल इर्रिगेशन के लिए दिया गया है। दूसरे गांवों में क्या ऐसे काम नहीं हैं ?

वहां जो दो लाख रुपया दिया जा रहा है उसके देने के क्या कारण हैं ? क्या दूसरी पंचायत समितियों को इस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता नहीं है या इस प्रकार का

(डॉ० बहादुरसिंह)

कोई काम नहीं जिससे दूसरी पंचायत समितियों को तो आप देना नहीं चाहते और इसी को दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त जिन इलाकों में पानी की अव्यवस्था है वहां के लिए धन की बहुत आवश्यकता है, उसको तो आप देते नहीं इसलिए मेरा निवेदन है कि पंचायत समितियों को जो भी रुपया दिया जाय वह सब को समान वितरण हो, यही मेरा निवेदन है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस मांग के अन्तर्गत अपने दो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं । जैसा कि प्रायः इस सदन में स्वीकार किया जाता है कि भरतपुर का अधिकांश इलाका प्रतिवर्ष बाढ़ पीड़ित रहता है, वहां का अधिकांश भाग पानी में डूब जाता है, फसलें नष्ट हो जाती हैं; मकान गिर जाते हैं, इस तरह से जन और धन की काफी हानि होती है । प्रायः हर साल हम जिस जिले से आते हैं इस बात की मांग करते हैं कि बाढ़ पीड़ित इलाके के लोगों को सहायता दी जाय लेकिन सरकार की ओर से जो सहायता दी जाती है वह मैं समझता हूं न देने के ही बराबर मानी जायगी । किसी को बीस, किसी को तीस और ज्यादा से ज्यादा पचास रुपया तक दी जाती हैं । अभी जो कुछ मांग रखी गई है मैंने इसको अपर्याप्त माना है जैसा कि मुझ से पूर्व वक्ता जो बोल चुके हैं उन्होंने बताया कि इस साल भी भरतपुर जिले में बाढ़ का प्रकोप ज्यादा रहा है । संबन्धित मंत्री महोदय इसे अस्वीकार कर दें लेकिन कल–परसों ही इस आशय का प्रस्ताव लाया गया था, उस पर यह उत्तर दिया गया था कि केवल एक गांव में पांच हजार की हानि हुई है, और कोई विशेष क्षति नहीं हुई । मैंने उस दिन भी कहा था । मैं कुल जिले की बात न रखता हुआ केवल मात्र अपने क्षेत्र की कह रहा हूं । नगर तहसील में इस साल रूपारेल नदी से करीब ३०–४० गांव पर बुरा प्रभाव पड़ा है, सारी फसलें नष्ट हो गई हैं । कल ही मुझे इस प्रकार के खत मिले हैं जिसमें कहा गया है कि जो खरीफ की फसल थी वह सब की सब पानी में डूब गई है । तीस साल में रूपारेल नदी में इतना पानी नहीं आया जितना कि पानी इस साल आया है । माननीय मंत्री महोदय यह कह दें कि कोई हानि नहीं हुई लेकिन मैं अधिकारपूर्वक यह कह सकता हूं कि वहां की खरीफ की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है अतः सहायता की बहुत आवश्यकता है । मैं इस प्रकार का प्रावधान चाहता हूं जहां कहीं भी इसी प्रकार का प्रकोप होता हो वहां तुरन्त जांच करके और वह जांच जो आजकल राज्य अधिकारी करते हैं और जो सूचना देते हैं उसको ही अधिकृत न मानकर वास्तव में देखना चाहिये कि वहां पर इस प्रकार की बाढ़ आदि से क्षति हुई है या नहीं । नहीं होने की सूरत में तो कोई भी सरकार सहायता देने को तैयार नहीं होगी । ऐसी हालत में जहां इस प्रकार के प्रकोप से हानि होती ही रहती है और इस साल भी हानि हुई है उसके लिये जो रकम रखी गई है वह बहुत अपर्याप्त है । उस रकम को और बढ़ायी जाय जिससे वहां के लोग जिनकी फसल बरबाद हो गई है जब तक अगली फसल नहीं आयगी उनके खाने के लिये कहां से आयेगा ? खाने के लिये और अगले साल के बीज के लिये जितने भी अनाज की जरूरत हो उसके लिये पर्याप्त

Page No.47

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सहायता उन लोगों को दी जानी चाहिये । यह मेरा एक कटौती प्रस्ताव है।

दूसरे कटौती के प्रस्ताव में मैंने राजनैतिक पीडितों की सहायता के लिये रखा है, उनको ऋण देने के लिये। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले राज्य सरकार से यह सूचना चाहूंगा कि वे कितने लोगों को राजनैतिक पीड़ित यहां मानते हैं और उनको कितना कितना ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से लोग हैं जो राजनैतिक पीड़ित होने के अधिकारी हैं लेकिन अभी तक उनको राज्य सरकार ने राजनैतिक पीड़ित माना नहीं है। मैं उनकी सूचना के लिये यह भी बता दूं ।....

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम): कई ऐसे भी हैं जो राजनैतिक पीड़ित नहीं होते हुए भी पेन्शन ले रहे हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : हो सकते हैं। मैं सदन की सूचना के लिये बता दूं। अपने पड़ौसी प्रान्त हैं; एक तो पंजाब और दूसरा यू० पी०। मुझे यह सूचना है कि मैं वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं उत्तर कि प्रदेश में इस वक्त ११,००० राजनैतिक पीड़ितों को सहायता दी जा रही है। मैं समझता हूं, हमारे राजस्थान में उनकी संख्या २०० से अधिक नहीं होगी जिनको राजनैतिक पीड़ित मानकर सहायता या ऋण दिया जा रहा है। यह जो सरकार द्वारा सहायता और ऋण देने की राशि रखी गई उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह बहुत अपर्याप्त है। हमारी सरकार को और सरकार में बैठने वालों को शायद यह स्मरण न रहा हो कि जिन लोगों ने उनके साथ आजादी की लड़ाई में कन्धे से कंधा भिड़ा कर काम किया आज उन्हीं के साथी इस अवस्था में भी हैं जिनके पास दो वक्त पेट भर खाने तक को नहीं है। जिन दिनों वे अच्छी तरह कमा कर बुढ़ापे के लिये कुछ संचित कर सकते थे वे दिन तो उन्होंने देश-सेवा में बिता दिये लेकिन आज जब उनकी राष्ट्रीय सरकार आई और जिन लोगों के बलबूते पर आयी उनकी अवस्था की ओर हम ध्यान दें तो वे बहुत दयनीय दशा में हैं, आज उनको सहायता की बहुत आवश्यकता है। राज्य सरकार की इस सम्बन्ध में जो नीति है उसमें राज्य सरकार को चाहिये कि वे इस बात की जांच करें और जो नियम राजनैतिक पीड़ितों की सहायता के लिये बनाये गये हैं वे भी इस प्रकार के हैं कि वास्तव में राजनैतिक पीड़ित होते हुए भी सहायता पाने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार इस बारे में पूरी जांच करे कि कितने लोग ऐसे हैं वास्तव में जो राजनैतिक पीड़ित हैं और सहायता पाने के एवं ऋण पाने के अधिकारी हैं। जहां तक ऋण का सवाल है उनको कम से कम इतना ऋण अवश्य दिया जाना चाहिये जिससे वे अच्छी तरह से स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपना जीवनयापन कर सकें। जो रकम इसके अन्दर रखी गई है वह पर्याप्त नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वे इस रकम को और बढ़ायें और उन लोगों को पूरी पूरी सहायता देने का प्रयत्न करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव तो यह है कि मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के लिये ऋण की धन राशि पर विचार करने हेतु और दूसरा यह है कि बाढ़ व अग्नि पीड़ित लोगों को ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करते हेतु :

अध्यक्ष महोदय, यह जो धन-राशि मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के लिये रखी है इसका विभाजन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। अगर हम यह मान कर चलें कि इसमें जो धन-राशि रखी गई है वह तमाम पंचायत समितियों और म्युनिसिपैलिटीज़ को ही जायगी तो यह तो २३ लाख ४७ हजार रुपया जो रखा गया है अगर इसका विभाजन किया जाय तो कम से कम ७० तो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं और करीब २३२ पंचायत समितियां हैं। इन सब को मिला कर ३०० की संख्या होती है और सब में समान रूप से यह रुपया बांटा जाय तो एक को दस हजार रुपया मिलता है ; जब कि हम मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण के लिये १८ हजार तक लोन देने के लिये प्रावधान करते हैं। जहां हमारे पास केवल १० हजार रुपये की ही धन-राशि है इस ढंग से विभाजन होता है तो एक मध्यम आय वाले का मकान नहीं बन सकता और न हम किसी मध्यम आय-वाले को पूर्णतया लोन देकर स्थापित ही कर सकते हैं। इस अल्प राशि से हम गृह निर्माण योजना में सहयोग नहीं दे सकते। अमूमन हम देखते हैं कि इसका विभाजन भी ठीक प्रकार से नहीं होता। मैं यहां तक कह सकता हूं कि जिले के जिले भी इससे वंचित रह जाते हैं। मैं आपको जालोर जिले के लिये निवेदन करूं कि आज दिन तक किसी भी मध्यम वर्ग हाउसिंग स्कीम के तहत किसी को भी लोन स्वीकृत नहीं हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि हमको को लोन का कोटा नहीं मिलता और कोटा न मिलने के कारण ये हैं कि उसके लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसके लिये पर्याप्त धन राशि उपलब्ध करनी चाहिये। कम से कम हर पंचायत समिति और हर जिला इस धन राशि से कम से कम एक, दो व्यक्तियों को तो ऋण दे सके और उससे भवन बनाया जा सके। मेरा इस कटौती प्रस्ताव के रखने का मूल उद्देश्य यही है कि इसका विभाजन ठीक ढंग से होना चाहिये और इसके लिये पर्याप्त धन राशि होनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऋण दिया जा सके और उससे हम लोगों को फायदा पहुंचा सकें।

बाढ़ और अग्नि पीड़ितों के लिये ८० हजार रुपये की मांग की गई है। बाढ़ और अग्नि से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको बहुत नुकसान होता है। इसलिये उनको इमीजियेट रिलीफ की आवश्यकता रहती है और सहायता जो नहीं पहुँचती है उसका मुख्य कारण पैसे का अभाव है, पर्याप्त धन उसके लिये न होना है। जो हमारे यहां के कलेक्टर या जिला प्रधान हैं वे यह कहकर टाल देते हैं कि हमारे पास इसके लिये पर्याप्त धन नहीं है इसलिये हम आपको पर्याप्त मात्रा में ऋण और सहायता नहीं दे सकते। अगर हमें ऋण देना है और उनके नुकसान को पूरा करना है उनकी जरूरतों को पूरा करना है, तो उनके लिये पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करनी होगी।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

जो सहायता की रकम रखी गई है उसका भी हम सब जगह विभाजन करते हैं तो एक जगह के लिये २०० रुपये से ज्यादा उपलब्ध नहीं हो सकते ।

आप दो सौ रुपये की राशि देकर किस ढंग से उसे स्थापित कर सकते हैं ? दो सौ रुपयों में तो एक फूस का झोंपड़ा भी नहीं बन सकेगा । जिसकी सारी आजीविका के साधन समाप्त हो जाते हैं, जल जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं तो आप उनको दो सौ रुपये देकर कैसे पुर्नसस्थापन कर पावेंगे । इसलिये यह व्यवस्था करनी है कि पर्याप्त मात्रा में ऋण देने की व्यवस्था हो । आप उसकी पूरी आवश्यकता को, उसकी ख्वाहिश को पूरा करें । अब कम देने से पचास दर्ख्वास्तें आ गईं तो अब क्या आप उसमें से बांट कर एक-एक को पांच-पांच रुपया ही ऋण देंगे ? यह ऋण नहीं होगा । यह पांच रुपया तो उसका घिसाई का ही हो जावेगा । आठ आने की चटपटी और एक रुपये की हजामपट्टी हो जावेगी ।

जब हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया कि बाढ़ पीड़ितों और अग्नि पीड़ितों को सहायता दी जावे तो आपको इस मात्रा के निर्धारण में फर्क करना होगा । उसका सुचारु रूप से प्रबन्ध करना, आपको वितरण का लक्ष्य निर्धारण करना होगा और उसका दो तरह से निर्धारण करना होगा । एक तो पापुलेशन के हिसाब से या जहां अमूमन ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं उसके हिसाब से ; अन्यथा आज की व्यवस्था तो आपकी ऐसी है कि सही आदमी पांच रुपयों का ऋण लेकर ही चुप कर दिया जाता है और मन चाहा अधिकारी का तो लाखों रुपया भी दे सकता है, नहीं तो टाल भी सकता है; कह सकता है जाओ, उपलब्ध नहीं है । इसलिये मैंने ये दोनों कटौती के प्रस्ताव रखे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, इस पर मेरे भी कटौती के प्रस्ताव हैं ।

जहां तक अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को ऋण देने के लिये धन राशि दी जाती है इसके सम्बन्ध में किसी को आपत्ति नहीं है । राजस्थान में यह पहला ही अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड है जिसने मांग की ! यह अच्छी बात है, पर ऐसा लगता है कि सरकार की योजना स्पष्ट नहीं है ।

पिछले सदन में हमने अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के लिये कानून बनाया । उनमें जिनको ऋण की जरूरत होती है सरकार ऋण देती है, पर सरकार ने पक्षपात किया है । केवल एक अलवर में ही ट्रस्ट बनाया है । इससे क्या झलकता है ? सब जगह की मांग होते हुए भी एक जगह बनाया । वह इसलिये बनाया कि अलवर मिनिस्टर इन्चार्ज का खुद का घर है । अब इसके कारण बड़े शहरों का विकास रुका हुआ है ।

दूसरी मांग भी है जिसमें २३ लाख रुपयों की मन्जूरी मध्यम आयवालों को ऋण देने के लिये मन्जूर किया गया है । यह अलॉटमेंट पहले भी मनी का आया था । कलेक्टर ने एप्लीकेशन्स भी मांगी थी । पर लोगों को मकान बनाने के लिये जगह नहीं मिली, प्लॉट नहीं मिले । वहां सरकार

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

के पास कोई प्लान नहीं था। इस कारण वह सारा रुपया लैप्स हो गया। अब यह रुपया सरकार के पास आ गया है फिर। लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन को इसका ब्याज भी सरकार दे रही है। पर इसका उपयोग फिर नहीं होगा। आज भी सरकार ने कोई प्रबन्ध या स्कीम नहीं बनाई कि लोगों को बड़े बड़े शहरों में प्लॉट मिल सकें। कानून बना दिया अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का। पर उसे आज तक सरकार लागू नहीं कर पाई है। इसके अभाव में विकास की योजनाएं शहरों की बेकार पड़ी हैं। इस २३ लाख की भी योजना सरकार के पास नहीं है।

अलवर में जरूर १.५० हजार रुपया दे दिया है। बाकी २३ लाख की कोई योजना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब तक आप अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड नहीं बनाते तब तक सारी योजना ठप्प है। अब यह तो बाद में मालूम होगा कि इस रुपये के ब्याज का भार सरकार अपने पर लेगी या इसे बाद में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों पर डालेगी। गलती राज्य सरकार की है कि वह पहले योजना नहीं बनाती और रुपया ले लेती है। लोग आज तैयार हैं लोन लेने के लिये। पर उनके पास प्लाट नहीं हैं और प्लॉट नहीं होने से सरकार लोन देती नहीं और प्लॉट इसलिये नहीं हैं कि सरकार ने नियम नहीं बनाये। तो सारी गलती सरकार की है। न नियम वह बनाती है न ट्रस्ट बनाती है और न आज जो नगर पालिकाएं हैं उनको अधिकार देती है और रुपया पहले ही उधार लेकर बैठ गई है, ब्याज उस पर चढ़ना शुरू हो गया है। यह सरकार की व्यवस्था है। सरकार इस पर विचार करके जल्दी से जल्दी कुछ तय करे।

इसके बाद में बाढ़ पीड़ित लोगों को ऋण देने के लिये रुपया दिया है। वास्तव में ऐसे लोगों को ऋण देना गलत नहीं है। पहले तो यह था कि रेवेन्यू एजेन्सी से सरकार करती थी। कलेक्टर और तहसीलदार ही दे दिया करते थे, पर जब से पंचायत समितियां बनीं यह काम उनको सौंप दिया गया है। अब गांवों में यह समस्या पैदा हो गई कि पहले तो कलेक्टर के द्वारा दे दिया जाता था यह ऋण, पर अब कहां से मिले। विशेषतौर से मई, जून में आग की घटनाएं हुआ करती हैं और हर साल होती हैं, इस साल भी हुईं। लोग कलेक्टर के पास गये। उन्होंने कहा, पंचायत समिति के पास जाओ। तो इस तरह बहुतों की सरकारी सहायता बन्द हो गई। उनको किसी प्रकार से सहायता मिले, इसके लिए सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट के द्वारा ऋण की तजबीज की है।

तो इस प्रकार के लोग जिनको कि पहले सरकार सहायता दिया करती थी उन लोगों को अब सरकार ऋण दे, यह किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। एक तो उनके ऊपर दैवीय विपत्ति आ जाती है और दूसरी ओर जो धनवान् लोग हैं वे सरकार के पास रुपया मांगने को आयेंगे भी नहीं। जो लोग गरीब हैं और जो गांवों में रहने वाले हैं उनके साथ इस प्रकार की घटनायें होती हैं उनके लिए सरकार यह कहे कि पहले सहायता दिया करते थे अब हम तुमको पैसा उधार देंगे तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनके पास है ही क्या, सब कुछ तो उनका आग में जल जाता है? घर में जब आग

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लगती है तो काश्तकारों के पास जो कुछ होता है सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार उनको ऋण न देकर सहायता की तजवीज़ करे और यह सहायता भी पंचायत समितियों के द्वारा दे। इसके अन्दर सरकार ने दो प्रकार की व्यवस्था की है। एक तो कुछ रुपया पंचायत समितियों को देना चाहती है और दूसरे सीधे रेवेन्यू एजेन्सीज़ के जरिये देने की व्यवस्था की है। पंचायत समितियों के द्वारा जो रुपया देना चाहती है उसकी राशि केवल ५०,०००) रु. की है और एक राशि ३ लाख रुपये की है जो कि रेवेन्यू एजेन्सी के जरिये दिया जायेगा। इसका मतलब यह है कि पंचायत समितियों को ५०,०००) रुपया दिया जायेगा और राजस्थान के अन्दर २३२ पंचायत समितियां हैं तो इनके अन्दर यह ५०,०००) रुपया कहां कहां बंटेगा। विशेष रूप से शेखावाटी और बीकानेर डिविज़न के अन्दर जो गांव हैं वहां पर अग्नि की इतनी घटनायें होती हैं कि एक-एक जिले के अन्दर आठ-आठ और नौ-नौ हजार रुपया बांटना पड़ता है और इस तरह से यह ५०,०००) रुपया तो चार-पांच जिलों में ही खर्च हो जायेगा। यह पंचायत समितियों के जरिये देंगे या रेवेन्यू एजेन्सीज़ के जरिये दिया जायेगा; इस संबंध में कोई बात स्पष्ट नहीं की गई है। मेरा यह निवेदन है कि बाकी जो ३ लाख रुपया है वह भी पंचायत समितियों को दिया जाये और उनको ट्रान्सफर कर दिया जाये। पहले वह रुपया रेवेन्यू एजेन्सीज़ दिया करती थीं और वह पहले भी पंचायतों के रिकमन्डेशन से देते थे, सरपंच कहता था कि इसके इतने का नुकसान हुआ है, उसके बाद ही कलेक्टर उनको रुपया दिया करता था, पर वह सहायता के रूप में देता था। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि यह ५०,०००) रुपया पंचायत समितियों को दिया जायेगा। तो यह २३२ पंचायत समितियों के पास ५०,०००) रुपया बहुत कम है। इसके अलावा जो ३ लाख रुपया रखा है वह सरकार ने रेवेन्यू एजेन्सीज़ के पास रख दिया है तो मेरा सुझाव है कि दोनों रकमों को एक साथ कर देना चाहिए और सारी की सारी रकम पंचायत समितियों को दे देनी चाहिए। नहीं तो फिर डीसेन्ट्रलाइज़ेशन का मतलब ही क्या हुआ? पंचायत समितियों के सरपंच भी मौजूद होते हैं, पंचायत समितियों की स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं, कहीं पर आग लगी है और कितना नुकसान हुआ है और १।४ या १।६ जितना भी देना चाहिए उस आधार पर एक आदमी को रिलीफ दी जा सकती है। वर्ना यदि कलेक्टर और पटवारी के मार्फत दें तो इसमें डिले होगी और जो पीड़ित लोग हैं उनको राहत नहीं मिल पायेगी। इस रकम को ऋण के रूप में नहीं देकर सहायता के रूप में दी जाये, यही मेरा मंत्री महोदय को कहने का मतलब है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्षजी, आपकी आज्ञा से कुछ स्पष्ट कर दूँ। बाढ़ के मुताल्लिक जो आइटम है उसके लिए दो मिनट ही बोलूंगा। माननीय सदस्य ने ऐसा सवाल पेश किया है कि जिससे आपका कहना यह है कि २ लाख रुपया भी पंचायत समितियों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के सुपुर्द कर दिया जाये और यह ऋण के रूप में वितरण नहीं करना चाहिए और इसके अलावा ५०,०००) रु० के लिए भी आपत्ति की है। मेरा अर्ज करना यह है कि जो बजट है उसमें फ्लड, फायर की ग्रान्ट है उसमें पंचायत समितियों को पहले ही पैसा दिया गया है और अलग अलग पंचायत समितियां उसको देती हैं। ५०,०००) रु० की एडीशनल राशि की आवश्यकता पड़ी इसलिए यह सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट यहां पेश की गई। इस बार सरदारशहर में काफी पानी पड़ा और वहां पर फ्लड की स्थिति उत्पन्न हो गई। सरदारशहर एक म्युनिसिपल टाउन है और वह पंचायत समिति का क्षेत्र नहीं है और यह ३ लाख रुपया इसलिए रखा गया है कि वहां पर कोई १,५०० मकान गिर गये थे इसलिए वहां पर फ़्लड रिलीफ कमेटी बनाई गई है। मैं खुद भी मौके पर गया हूँ और मैंने देखा है। इसलिए न तो वह पंचायत समिति का कार्य-क्षेत्र है और न पंचायत समितियों को रुपया दिया जा सकता था। यह तो ऑफिशियल और नोन-ऑफिशियल की एक फ्लड रिलीफ कमेटी बनाकर उसकी सलाह से रेवेन्यू एजेन्सी के बतौर कर्जे दिये हैं। इसके अलावा बाढ़ का जहां तक प्रश्न है मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जहां तक भरतपुर जिले का प्रश्न है न तो वहां पर बाढ़ है और न किसी तरह का उससे कोई नुकसान ही हुआ है। हां, यह जरूर है कि एक गांव के अन्दर ५,०००) रुपये का नुकसान हुआ है और वहां पर रिलीफ के लिए कार्यवाही की जा रही है। अभी हनुमानगढ़ में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, घग्घर की वजह से, तो उसके लिए जो एक्शन लिया जाना चाहिए वह बराबर लिया जा रहा है कॉलोनाइज़ेशन डिपार्टमेंट से और इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से दोनों से और जितनी वहां रिलीफ की आवश्यकता है वह दी जायेगी और इसके अलावा न तो कहीं बाढ़ की स्थिति है और न होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : फिर ५०,०००) रु. का वितरण कैसे होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : एडीशनल ग्रान्ट है, क्योंकि कमी पड़ गई थी। जो ग्रान्ट पहले थी उसके अलावा ग्राण्ट और दी गई है। It was an additional grant given to them, इसको जिला परिषद् डिस्ट्रीब्यूट करती है और वह इस अमाउन्ट को पंचायत समिति से डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पंचायत समितियों को नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ५०,०००) तो पंचायत समितियों को दिया है और ३ लाख सरदारशहर के लिए दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : सरदारशहर में सूरतगढ़ तो शामिल नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : This is only a loan, you see, जहां जहां मकान गिर गए हैं उनको रिकन्सट्रक्ट कराने के लिए ही उनको यह लोन दिया गया है और उसके लिए रूल्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको आरबिट्रेरिली पेमेन्ट कर दिया गया। उन रूल्स में बाकायदा सब है कि कितना कितना रुपया, किस किस को,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और कितने समय के लिए और वापिसी की शर्तें तक दर्ज हैं, they are all Gazetted rules.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): सरदार शहर का नाम क्यों नहीं है ?

श्री दमोदरलाल व्यास : मान लीजिए कि आज गंगानगर में बाढ़ की स्थिति है तो वहां भी कर्जा दिया जा सकता है। यह नहीं है कि सरदारशहर के लिए ही है, SardarShahar is not the only place. It may be either Sardarshahar or...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर–पूर्व): यह प्रिफ्रेंस सरदारशहर को ही क्यों दिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटमोशन है वह यह है। "To discuss the failure of the Government to utilise the funds advanced for Middle Income Group Housing Scheme for constrution of Houses..."

अध्यक्ष महोदय, इस मद में २३ लाख रुपया मिडिल इनकम हाउसिंग स्कीम के अण्डर में मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं। उसके अलावा और भी रुपया मिला हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह खर्चा नहीं हो पा रहा है और खर्च नहीं होने का कारण यही था कि मिडिल इन्कम ग्रुप की उन्होंने जो लिमिट रखी है कि इस रुपये में से वही लोग लोन ले सकते हैं जिनकी इन्कम सालाना छः हजार से ज्यादा है। तो छः हजार रुपये से ज्यादा की लिमिट रखी है इसलिए जो वाकई में नीडी हैं और लोअर क्लॉस के लोग हैं, हो सकता है छः हजार से ऊपर बम्बई जैसे रिच स्टेट में मिडल इन्कम माना जा सकता है लेकिन राजस्थान में छः हजार रुपया मिडल इन्कम की लोएस्ट लिमिट नहीं होती है। छः हजार रुपये से ज्यादा जिसकी सालाना इन्कम है शायद उसके पास काफी रिसोर्सेज़ रहते हैं और वह खुद का मकान बना सकता है। अब छः हजार रुपये की लिमिट रखी है, इसलिए जो लोग ज्यादातर रिलीफ चाहते हैं या जिनके पास मकान नहीं हैं क्योंकि यह जो स्कीम है इसको अभी दो–तीन साल से ही लागू किया है और पिछले दो–तीन साल का अनुभव है कि जो अमाउन्ट लैप्स होता है वह इसलिए होता है कि जो लोएस्ट लिमिट छः हजार की रखी है कम आदमी इसकी डिमाण्ड करते हैं। तो मेरा तो सुझाव यही है कि वाकई में आज हमें मिडल इन्कम की डेफिनेशन को चेन्ज करना पड़ेगा। लो इन्कम के अन्दर छः हजार से आठ हजार का लोन देते हैं और मिडल इन्कम ग्रुप के अन्दर १२ हजार से २० हजार तक लोन दिया जाता है। लो इन्कम ग्रुप में आप देखिये, छः हजार से आठ हजार तक लोन मिलता है और उसमें मकान नहीं बनता है। उसमें पन्द्रह–बीस हजार खर्चा होता है, लेकिन वह मकान छः हजार रुपये में नहीं बना पाते। इस स्कीम को बढ़ा कर जहां आपने बारह हजार से बीस हजार तक का प्रावधान रखा है उसका युटिलाइज़ेशन ज्यादा से ज्यादा तभी हो सकता है जब आप इसकी लिमिट को लोअर कर देंगे। इसको

(श्री पी० के० चौधरी)

छः हजार न रख कर जैसा गवर्नमेंट ने सीलिंग तय कर दिया है काश्तकारों के लिए छत्तीस सौ रुपया सालाना you have taken it as a standard income for the villagers. छत्तीस सौ रुपया स्टैंडर्ड इन्कम मानी गई है। एक अच्छा खुशहाल काश्तकार जिसकी आमदनी गांव में छत्तीस सौ रुपया हो हम उसको अच्छा किसान मानते हैं, मालदार किसान माना जाता है। तो गवर्नमेंट सीलिंग के अनुसार काश्तकार का जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार ही जिसकी आमदनी छत्तीस सौ रुपया सालाना है वह मिडल क्लास में रहेगा, छः हजार की आमदनी वाला मिडल क्लास में नहीं माना जाता है। राजस्थान में वह अपर मिडल क्लास माना जायेगा। आज जिनकी वास्तव में नीड्स हैं जिसको आप मिडल क्लास और लोअर मिडल क्लास मानते हैं उनको लोन की ज्यादा जरुरत है और यह जो बारह हजार और बीस हजार के जो लोन की डिमाण्ड आपने यहां पर रखी है यह रुपया आज जो लोग छत्तीस सौ से छः हजार की आमदनी वाला है, जो मिडल इन्कम ग्रुप में आता है वह ज्यादा युटिलाइज़ करेंगे। उनकी तरफ से ज्यादा डिमान्ड रहेगी बनिस्बत छः हजार की आय वालों के। आप तलाश करके देख लीजिए। उन मिनिस्टर साहब जिनका यह विभाग है उनसे आप पूछ कर मालूम कर सकते हैं, इसके ऊपर एप्लीकेशन्स नहीं आयेंगी। यह कारण नहीं है कि जैसा जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रुपया पंचायत समितियों में नहीं बांटा गया। मैं आपको बताता हूं कि यह रुपया पंचायत समितियों में नहीं बांटा जा सकता है। आपने तेईस लाख रुपया रखा है। राजस्थान में सैकड़ों म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। तेईस लाख रुपये में से एक एक को पचास पचास हजार रुपया भी बांट देंगे तो इससे किसी को राहत मिलनेवाली नहीं है। आप जो लोन देते हैं वह कम से कम इतना तो हो कि उससे एक मकान तो बन सके; आप दो सौ रुपया या हजार रुपया दे दें, इस तरह से रुपये को बांट दें जैसा कि माननीय सदस्य का सुझाव है कि सारी पंचायत समितियों को बांट दें तो उससे तो एक भी मकान नहीं बनेगा! इससे तो मकान तो क्या एक मड़ हाउस भी नहीं बन पायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का यह सुझाव तो इम्प्रेक्टिकेबल है। बाकी If you want to enourage the construction of houses by Middle Income Group people तो उसकी डेफिनिशन चेंज करना चाहिये और उसको लोअर डउान करके छत्तीस सौ के ऊपर से इन्कम जिसकी हो उसको ही मिडिल इन्कम ग्रुप में माना जाय। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार से उस रुपये का जो आप इस काम के लिए अवेलेबल कर रहे हैं ज्यादा युटिलाइजेशन हो सकता है, अदरवाइज़ यह तेइस लाख रुपया भी अनयुटिलाइज्ड ही रह जाने वाला है।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव यह है कि "मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक राज्य

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम में १) रु० की कटौती की जाय (वन सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण का सदुपयोग करने के लिए ठेका देने की नीति में सुधार करने हेतु" मांग संख्या ५८ के अन्तर्गत जो कि पूरी तीन लाख रुपये की वन की सहकारी संस्थाओं को ऋण की मन्जूरी से सम्बन्धित है उसके सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है। हम इस प्रकार के जंगलों में जहां कि हम अभी ठेके देते हैं और ठेके व्यक्तिगत आधार पर देते हैं और हमने देखा है कि जितने भी ठेकेदार हैं वे वन–सम्पदाओं का बड़ा दुरुपयोग करते हैं और एक व्यक्ति को जो ठेका दिया जाता है वह ठेका भी पूंजीवादी दृष्टिकोण का परिचायक है। हमारी सरकार ने यद्यपि इस पूंजीवादी दृष्टिकोण को खत्म करने के लिए, इस आधार पर कि पूंजी बराबर कुछ लोगों में बटे, जो जंगलों में काम करते हैं उनको ही ठेके मिलें, इस आशय से सहकारी समितियों को इस प्रकार के ठेके देने का निर्णय किया। लेकिन हमें यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि जहां एक ओर सरकार घोषणा करती है कि वह इस प्रकार की सहकारी आधार पर बनी हुई मजदूरों की समितियों को ठेके देकर उनको प्राथमिकता देगी वहां देखा यह जाता है कि सरकार का आशय तो इस प्रकार का है और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकार की लालफीताशाही है वह किस प्रकार से मनमानी करके या व्यक्तिशः कारणों से या किन्हीं कारणों में से जिनमें कि पक्षपात की बू आती है इन कारणों में बन्धे हुए ठेकेदारों के हाथों में अलॉटमेंट कर देते हैं। मैं उदाहरण के साथ इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। कोटा में जो शाहबाद की सहकारी समिति है शहरियों की कत्था की सोसाइटी। एक साल पहले उसको ठेका दिया गया और अगले साल जब फिर उस वन का ठेका मांगा तो वहां के डी. एफ. ओ. और कन्ज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स ने वह वन उनको नहीं दिया बल्कि एक ठेकेदार के कहने पर, जिसके क्या कारण हो सकते हैं इसे वे स्वयं ही समझ सकते हैं, उस वन को ठेकेदार को दे दिया है; जब कि होना यह चाहिये था कि उस सोसाइटी को प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी वह नहीं दी गई और उसको एक व्यक्ति को उन्होंने अलॉट कर दिया, ठेके पर चढ़ा कर नीलाम कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि उस काम के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसके पीछे न केवल आपके मजदूरों का ही हाथ था बल्कि वहां के बड़े बड़े लोगों का, 'बड़े बड़े लोगों' से मेरा मतलब उन समाज सेवी कार्यकर्त्ताओं से है जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उन लोगों का भी इसमें हाथ था और कलेक्टर भी चाहते थे

(१.६ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्राथमिकता देनी चाहिये और मैं समझता हूं कि कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स ने भी लिखा है कि इस प्रकार की सोसाइटीज़ को प्राथमिकता दी जाय लेकिन इसके बावजूद प्राथमिकता नहीं दी गई और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को कहा गया कि यह जो दूसरा प्लॉट है दूसरा जो वन है कत्थे का वह अलॉट करते

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि इसके अन्दर इस प्रकार पूंजीवादी शोषण समाप्त हो, इस प्रकार की सहकारी समितियों और कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को प्राथमिकता दी जाय, हम अपने इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहें, अगर हम यह चाहते हैं तो मैं तो यह कहूंगा कि चाहे आप तीन लाख का, दस लाख का प्रावधान कर लीजिये लेकिन इसमें आपको तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि आपके कानूनों का कठोरता से पालन नहीं होगा, जब तक आपकी लालफीताशाही आपके निर्देशों का ठीक तरह से पालन नहीं करेगी, इन मजदूरों का जिनके प्रति बोलनेवाला कोई नहीं है, जो नासमझ हैं, केवल मजदूरी करते हैं, उनके हितों का संरक्षण नहीं हो सकता और इसलिए भी आज आवश्यकता है कि मैं अपने इस कटमोशन के द्वारा आपसे यह मांग करूं कि आप अपने विभाग को, वन विभाग को यह निर्देश दें कि जहां पर भी, इस प्रकार की सोसाइटीज़ हों उन्हें प्राथमिकता दी जाय। जो मजदूर काम करते हैं उनकी सोसाइटीज़ को प्राथमिकता दी जाय ताकि हमारे मजदूर अपना जीवन ठीक तरह से चला सकें। केवल एक मनुष्य को ठेके दे देने से सारा पैसा एक व्यक्ति की जेब में चला जाता है। यदि हम यह चाहते हैं कि पैसे का समान रूप से वितरण हो, समान रूप से पैसा मजदूरों में बंटे, यदि हम इस सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहते हैं, मजदूरों के आर्थिक जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो इस प्रकार की मजदूरों की सोसाइटीज़ को प्राथमिकता दी जाय। जो जंगल हैं, कत्थे के जंगल या दूसरी तरह की लकड़ी के जंगल हैं उनको जितनी इस प्रकार की कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको प्राथमिकता से देना चाहिये। यदि सोसाइटीज़ न हों तो ही दूसरे लोगों को अलाॅट किया जाना चाहिये। यदि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ सामने नहीं आती हैं तो ही दूसरे लोगों को ठेके दिए जायं लेकिन प्राथमिकता इन सोसाइटीज़ को ही दी जाये। मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव द्वारा इस बात की मांग करता हूँ और इसलिए भी इस बात को चाहता हूं कि आप जो कुछ धन-राशि रहते हैं उस राशि के अन्दर अधिक से अधिक इस प्रकार की सोसाइटीज़ को सहायता दें। यदि इस प्रकार की सोसाइटीज़ न हों तो उनको धन-राशि की सहायता देकर या और किसी तरह से इन सोसाइटीज़ का निर्माण किया जाय और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग इस ओर ध्यान दे और अधिक से अधिक सोसाइटीज़ बनाएं और पर्याप्त सहायता दी जाये। इस तरह मैं अपने कटौती प्रस्ताव से दो मांगे करता हूँ कि एक तो इस प्रकार की सोसाइटीज़ को प्राथमिकता दी जाय और वन विभाग इस प्रकार का प्रयत्न करे कि अधिक से अधिक सोसाइटीज़ बन सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे चार कटौती के प्रस्ताव हैं। पहले दो कटौती के प्रस्ताव बाढ़, आग से पीड़ित लोगों की सहायता या ऋण देने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से जो मांग प्रस्तुत की गई है उस सम्बन्ध में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पूर्व दो मान--

(श्री भैरोंसिंह)

नीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे और उन प्रस्तावों पर हुई बहस का स्पष्टीकरण करते हुए माननीय राजस्व मन्त्री महोदय ने बताया कि पहले जो मांग है ५०,०००) रु. की वह पंचायत समितियों के लिए है और दूसरी मांग जो ३ लाख की है उसका सम्बन्ध नगर-पालिकाओं से है। मैं समझता हूं कि उनके इस स्पष्टीकरण के बाद अब इस बात की आवश्यकता रह जाती है कि बाढ़ से पीड़ित और आग से पीड़ित इस प्रकार के लोगों को सहायता देने के लिए सरकार की जो आज की व्यवस्था है वह व्यवस्था पर्याप्त है या नहीं है और यदि वह व्यवस्था पर्याप्त है तो जो धन–राशि उनको भेजनेवाले हैं वह धन–राशि पर्याप्त है या नहीं ? मैं ऐसा समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस समय पंचायत समितियों का गठन हो रहा था उस गठन के पूर्व जब किसी गांव में कोई आग लग जाती थी तो आग लगने के बाद तहसील का तहसीलदार और जिले का जिलाधीश दोनों मौके पर जाते थे और जाकर उस मामले की जांच किया करते थे। जांच करने के बाद जितनी भी हानि हुई है उस हानि का अनुमान लगाने पर वह सरकार को इस बात की सूचना दिया करते थे कि अमुक गांव के अन्दर आग से या बाढ़ से इतनी हानि हुई है और इस हानि की पूर्ति के लिए इतनी सहायता की आवश्यकता है और इतना ऋण देना है, और उसके बाद भी सरकार कुछ उसमें एन्क्वायरी करके एक सिम्पेथेटिक एटीट्यूड लेकर उन लोगों के लिए सहायता के लिए प्रावधान करती थी। पिछली बार ऐसा प्रावधान था। लेकिन जब से पंचायत समितियां बनीं तो पंचायत समितियां बनने के बाद जिन गांवों के अन्दर आग लगी उन गांव वालों को सबसे पहले इस बात का अनुभव हुआ कि डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन का लाभ किस प्रकार का है, डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन के कारण जो सुख–सुविधा मिलनी चाहिये थी वह सुखसुविधा हमको किस प्रकार से मिली। किसी गांव में आग लगी तो गांव के लोगों ने पंचायत समिति के प्रधान और बी. डी. ओ. को सूचना दी। दोनों मोटर लेकर गांव में पहुँच गये। गांव वालों से पूछ लिया। गांव की हालत देख ली और देख कर कलेक्टर को टेलीग्राम दे दिया। तो उसका जवाब यह मिला कि कलेक्टर के पास इस बात के लिए एक पैसा भी नहीं है जिससे कि कलेक्टर उन लोगों को किसी प्रकार की सहायता दे सकें। अब उसके बाद पंचायत समिति को पता लगा कि न उनके पास पैसा है, न कलेक्टर के पास पैसा है; तो इन पीड़ितों को किस प्रकार से सहायता दी जाय ? उन्होंने सरकार से मांग की। सरकार के सामने उन पीड़ितों का रिप्रेजेन्टेशन गया तो सरकार में कहा कि हमने पंचायत समिति का जो कानून बना रखा है उस कानून ने यह व्यवस्था कर रखी है कि पंचायत समितियां पीड़ियों को सहायता देने के लिए टैक्स लगा सकती हैं। टैक्स के नाम पर उन सारे के सारे लोगों के सामने जो कि पंचायत समिति की ओर से उन पीड़ितों को राहत देना चाहते हैं, एक समस्या पैदा हुई कि जिस गांव में आग लगी है उस गांव के लोगों पर टैक्स लगाया जाय या जिस गांव में आग नहीं लगी है उन गांव के लोगों पर

(श्री भैरोंसिंह)

टैक्स लगाया जाय उस गांव की सहायता के के लिए। दोनों में एक प्रकार से कन्ट्रोवर्सी खड़ी हुई। उस कन्ट्रोवर्सी का सामना करने की हिम्मत उनकी तो क्या सरकार की भी नहीं हो सकती है। उस स्थिति में सरकार ने यह कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुर डिविज़न की बात नहीं कहता। वहां पर कम आग लगती है, उस क्षेत्र के लिए नहीं कहता जो कि पहाड़ी हैं और जहां कि पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन बीकानेर डिविज़न, सीकर, झुन्झुनूं और नागोर डिस्ट्रिक्ट के लिए कहता हूं जहां कि अमूमन आग लगती है और पिछले दिनों एक गांव में भयंकर आग लगी थी। उस ४–५ हजार की आबादी वाले गांव के ३–४ हजार घर जल गये। लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई उस जगह, लेकिन सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी गई। केवल सरकार यह कह कर निकल गई कि यह पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र की बात है। पंचायत समिति जिस प्रकार की मदद देना चाहे वह दे सकती है। हमारे पास इसके लिए कोई पैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि उस समय पंचायत समितियों के प्रति लोगों की श्रद्धा निर्माण करने का अवसर आता है, पंचायत समिति के प्रति लोगों में विश्वास जाग्रत करने का मौका मिलता है वहां उस स्थिति में पंचायत समिति लोगों की घृणा का कारण बन जाती है। लोग समझते हैं कि पंचायत समिति का निर्माण करने से पूर्व जो उनको सहायता दी जाती थी वह सहायता नहीं मिलती है। उस स्थिति में पंचायत समिति से जिन लोगों को सहायता मिलती चाहिए वे लोग भगवान के भरोसे जहां गर्मी में आग लग जाती है जैसे सीकर के एक गांव में लगी थी तो वह गर्मी के दिनों में तिलमिलाती धूप के अन्दर नीम की छाया में या पेड़ की छाया में बैठ कर अपना जीवन चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि उस सारी स्थिति को देख कर सरकार यह कहती है। जब सीकर जिले में आग लगी थी तो मैंने सरकारी अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा नहीं है जो पैसा था उस पैसे को पंचायत समितियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरी जानकारी के अनुसार २ लाख का फण्ड था। २ लाख रुपये को २३२ पंचायत समितियों में बांट दिया। इसका मतलब यह है कि ८००), ८००) रु. एक एक पंचायत समिति को मिले। चाहे कहीं पर आग लगे या न लगे उसकी कोई चिन्ता नहीं है। जिस पंचायत समिति के अन्दर आग या बाढ़ से ५ लाख का नुकसान हुआ हो उसको भी ८००)रु० और जिसमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ हो उसको भी ८००)रु०। इससे जिन लोगों को लाभ पहुँचना था उन लोगों को लाभ नहीं पहुँचा, बल्कि उनके सामने एक समस्या बन गई। उस समस्या का समाधान इसमें ५०,०००)रु० का प्रोवीज़न करने से पूरा नहीं होगा। यहां इस बात की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक रकम इसमें रखी जाय।

बाढ़ पीड़ितों के लिए ३ लाख की रकम उन्होंने रखी है। लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि इस ३ लाख में से २ लाख रुपये एक नगरपालिका पर खर्च हुए हैं। मैं यह नहीं चाहता हूँ और यह कहना भी पसन्द नहीं करता हूँ कि २ लाख रुपये उस नगरपालिका पर क्यों खर्च किये गये ? मैं नहीं कहता कि

(श्री भैरोंसिंह)

यह खर्च करना वाजिब नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहूंगा कि राजस्थान में ऐसे स्थान और भी हैं जहां बाढ़ के कारण ८ लाख से ऊपर का नुकसान हुआ तथा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण नुकसान हुआ जिसके लिए लोगों ने तार दिये, लोगों ने चिट्ठियां दीं, लोग रिप्रेजेन्टेशन लेकर सचिवालय में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब के कमरे के सामने धरना देकर बैठ जायें, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो और सरदारशहर में बाढ़ आती है वहां वे जाकर रिलीफ फण्ड के लिए कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के जरिये से उनके लिए सारी सहायता का प्रबन्ध करते हैं। ये दोनों चीजें, उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की ओर संकेत करती हैं कि सहायता देने में हमारे यहां पर पोलिटिकल कन्सीडरेशन है। सहायता देने में डिस्क्रीमिनेट करते है; एक आदमी और दूसरे आदमी के अन्दर भेदभाव करने की आदत है। मैं नहीं समझ सकता कि सूरतगढ़ में जहां पानी के कारण नुकसान हुआ, सरदारशहर को मदद मिलनी चाहिए, मिले। दो लाख की जगह तीन लाख देते। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान् के घर से उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ में सरकार भी कोई न्याय करे या नहीं ? चाहे सब कहते हों कि नियम बने हुए हैं। मैं भी जानता हूँ कि नियम बने हुए हैं, मैंने पढ़े भी हैं। नियमों पर अमल होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। लेकिन नियम हों या नहीं, लेकिन एक स्थान पर आग लग जाय और दूसरे स्थान पर भी आग लग जाय तो नियम दोनों के लिए है, लेकिन दोनों स्थान पर आप मदद देते हैं तो दूसरे का जी नहीं जलेगा। दोनों को सहायता देनी चाहिए। नियम पर चलना है तो दोनों के लिए चलना है। अगर एक जगह के लोग परेशान हैं तो सब जगहों के लोग परेशान हैं। कोई यह पूछे कि किसी एक जगह के लिए पैसा कैसे आ गया तो उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा इस संबंध में कि ५०,०००) की जो धनराशि रखी गई है वह पंचायत समितियों के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है। पंचायत समितियों द्वारा टैक्स लगाकर पूर्ति करने की जो व्यवस्था है वह बिल्कुल अनुचित है। शहरों और गांवों में इस प्रकार की सहायता देने की जो भेदभाव–वाली नीति है वह उससे भी ज्यादा अनुचित है, वह लोगों में भेदभाव पैदा करने वाली है। ऐसी स्थिति में मैंने जो दो कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनकी मन्शा यह है कि नियम–पालन के सम्बन्ध में गांवों में जहां जहां आग लगी है उन सारों की सर्वे करवाई जाय और हर जिले के कलेक्टर से रिपोर्ट मंगवाई जाय और जिन लोगों को पहले सहायता नहीं मिली है उन लोगों को और जिनका नुकसान हुआ है उन लोगों को सहायता देने का प्रावधन रखा जाय, चाहे आग लगी हो या बाढ़ से नुकसान हुआ हो, उस स्थिति को बतायें। जिलाधीश की तरफ से यह सूचना मिली। पंचायत समितियां उन गरीबों पर टैक्स लगा कर टैक्स के द्वारा पीड़ितों को सहायता नहीं दे सकती है, न उनके पास साधन हैं और न वे बननेवाले हैं और न इस प्रकार की सहायता उन गांववालों को जहां कि १०, २० या ४० हजार का नुकसान हुआ है; इस प्रकार की धनराशि वे पंचा-

(श्री भैरोंसिंह)

यत समितियां किसी भी गांव को नहीं दे सकेंगी। उस सारी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां नुकसान हुआ है उनके लिए एक कमेटी बना कर एक अधिकारी की नियुक्ति करके जांच करायें कि जिन लोगों को राहत नहीं मिली है उनको राहत दिलायें और किसी प्रकार से नियम में परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो इस प्रकार के परिवर्तन भी कर लिये जायं । ये दो कटौती प्रस्ताव इस प्रकार के थे।

तीसरा कटौती प्रस्ताव मेरा था लो इनकम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जिन लोगों को सहायता दी जाती है उनके विषय में। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न आता है सिद्धान्त का मैं समझता हूं कि कोई आदमी इस बात के लिए इन्कार नहीं कर सकता है कि आदमियों की आमदनी कम है उनको मकान बनाने के लिए सहायता दी जाय। यह बात सही है कि मकान बनाने की सब की इच्छा होती है । जिनकी आमदनी कम होती है उस आदमी की दूसरों के मकानों को देख कर यह इच्छा होती है कि मैं भी इसी प्रकार का मकान बनाऊं और एक अच्छे मकान में जो सुख-सुविधा उसे मिल सकती है उस प्रकार की सुख-सुविधा का मैं भी उपभोग करूं । लेकिन जब उसको पता लगता है कि मैं बदकिस्मती से रूरल एरिया का रहनेवाला हूं तो उसके जो अरमान हैं वे ठंडे हो जाते हैं। सुख-सुविधा के साधन लेकर शहर में मकान बनाना चाहे तो बना सकता है, सरकार उसको मदद देगी । गांववालों को सरकार मदद नहीं देगी, बल्कि पत्थर की रॉयल्टी भी लेगी। अब सवाल यह आता है कि टैक्स-पेयर शहर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं। टैक्स-पेयर शहर के लोग और बाहर के लोग दोनों ही हैं। सरकार मकान बनवाना चाहती है लेकिन व्यवस्था करती है शहरवालों के लिये शायद मन्त्रीजी फरमायेंगे कि बाहरवालों के लिये। भी व्यवस्था है। मुझे भी पता है कि बाहरवालों के लिये भी व्यवस्था है। जहां १ लाख रुपये ऋण देने के लिये रखते हैं तो वहां किसी जिले में २, किसी में ४, तो किसी में ५ मकान बनने का प्रावधान रहता है। आपको लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम की व्यवस्था करनी है तो बाहर और शहर में अन्तर नहीं रखना चाहिये। शहर हो या ढाणी हो, आप एक नकशा तय कर दें, उसके अनुसार कोई भी एप्लीकेशन दे तो उसको प्रायोरिटी के अनुसार ऋण दिया जाय। लेकिन आप यह डिस्क्रिमिनेशन रखें कि यह शहर का है और यह बाहर का है; इसलिये बाहरवाले को नहीं दिया जा सकता तो यह अनुचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैंने एक प्रश्न विधान सभा में पूछा था "प्रमुख शहरों में किन किन लोगों को ऋण दिया हुआ है ?" मैं इस सूची के अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध नहीं कहना चाहता । मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि कितने अधिकारियों को आपने सहायता दी और सहायता दी तो दो, चार हजार की दी या अधिक की दी. वे लोग सहायता लेते हैं, उस समय कहते हैं कि हमारे पास मकान बनाने के लिए धन नहीं है। समझ में आ सकता है कि १०० रुपये पानेवाले एल. डी. सी. या यु. डी. सी. को मकान बनाना है तो ७-८ हज़ार से कम में नहीं बन सकता ; लेकिन आप सहायता देते हैं ४ हज़ार की

(श्री भैरोंसिंह)

और मकान बनता है ४०,०००) रु.का । सहायता दी थी ४,००० रु. की, नकशा पेश किया था ८,००० रु. का और मकान बनाया है ४०,००० रु. का । इन तीनों में अन्तर क्यों है ? सरकार चाहे तो किसी भी शहर में सर्वे कराले । जिन जिन को आपने मदद दी है उनके मकान देखने से पता चलेगा कि आपने मदद दी है ४,००० रु. की या लोन दिया है ४,०००) रु० का और ४०,००० रु. के वेल्युएशन के मकान खड़े हैं और जिनको ५,००० रु. का लोन दिया है उनके ५०,००० रु. से ऊपर के मकान खड़े हैं । यह पैसा आया कहां से जब कि उनकी आमदनी इतनी नहीं है ? आप कहते हैं कि इनकी आमदनी नहीं है इसलिए सहायता देते हैं तो चार हज़ार की सहायता देने पर ४०,००० के मकान कैसे खड़े कर लेते हैं ? इसका मतलब यह है कि उनकी हैसियत है । इस हैसियत की अगर जांच की जाय तो कई प्रकार के राज निकलेंगे । लेकिन प्रश्न आज यह नहीं है । प्रश्न यह है कि जिनकी माली हालत ठीक नहीं है इतने बड़े मकान कैसे बनाते हैं ? इसका मतलब यह है कि उनकी हालत ठीक है लेकिन आप उसकी जांच नहीं करते हैं । किसी ने लिख दिया कि मेरी तनख्वाह १०० रुपये है इसलिये मैं मध्यम श्रेणी में आता हूं इसलिए मुझे लोन मिलना चाहिये । परिवार में जिसकी सबसे कम तन्ख्वाह होती है उसकी ओर से एप्लीकेशन होगी। परिवार की मिली-जुली इन्कम न बता कर जिसकी सबसे लो इन्कम है उसके द्वारा एप्लाई करा कर कार्यवाही कर लेंगे । इसलिये यह जो वितरण है वह ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रश्न विधान सभा में पूछा गया था कि एक परिवार के आदमी को दो-दो लोन दे दिये गये । केवल दो-दो लोन ही नहीं दिये गये लेकिन इसमें एक शर्त है और सबसे मोटी शर्त है कि जिसको ऋण दिया जाय वह उस मकान को किराये नहीं देगा और बेचेगा नहीं । लेकिन इधर मकान बनाया, उसका नांगल या प्रतिष्ठान किया उससे पहले ही पगड़ी ले लेते हैं, दूसरे को किराये नहीं दिया जाय और फिर मकान किराये पर चलता है । आप इसकी जांच कर लें । प्रमाण की जरूरत नहीं है । मंत्रीजी अपनी मोटर में बैठें और मुझे साथ में ले लें, मैं उनको बता दूंगा कि ये ये मकान किराये पर हैं । वहां उनको मकान मालिक नहीं बल्कि किरायेदार मिलेंगे....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : जरा उनके नाम पूछ लें ?

श्री उपाध्यक्ष : यह पगड़ी उतारने का मसला है ।

श्री भैरोंसिंह : पगड़ी उतारने का मामला है । ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको हटावें और डिस्ट्रिक्टवाइज़ कोटा अलॉट करें और अधिकारियों को इन्स्ट्रक्शन्स दें कि प्रायोरिटी के आधार पर वे लोन दें । यह नहीं होना चाहिये कि यह आदमी रूरल एरिया का है या अर्बन एरिया का है । मैं जानता हूं कि आपकी तरफ से उत्तर यह आयेगा कि अर्बन एरिया में सर्टेन स्कीम्स के अन्तर्गत मकान बनाते हैं और वहां पर एप्रूव्ड नकशा होता है उस आधार पर मकान बनाते हैं । मैं समझता हूं, बाहर गांवों में भी

(श्री भैरोंसिंह)

यदि कोई मकान बनाना चाहे तो आपको जिस प्रकार की साइट बनानी हो, जिस प्रकार का प्लान बनाना हो उस तरह की कंडीशन्स रख दीजिये। पंचायतें उनको एप्रुव करती हैं। पंचायत सिफारिश करे, उसके अनुसार आप इजाजत दीजिये। आप कहेंगे शहरों में अलग बस्तियां बसाते हैं। मैं समझता हूं बाहर गांवों में भी इसी तरह से बस्तियां बसाई जायं तो लोग जो गांवों में गंदगी में रहते हैं उनको बाहर जाने का मौका मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि बदकिस्मती से १५.२० वर्षों में पोपुलेशन बढ़ी है। उसका असर खास करके गांवों में बहुत बुरा पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है, इसलिए गावों के आदमी परेशान हैं। वे चाहते हैं कि गांव से बाहर मकान बनावें और उसके लिये जमीन उपलब्ध हो। किसी भी गांव को आप देख लें, वहां पर मकान बनाने के लिये जमीन नहीं है। किसी के चार लड़के हुए तो वहीं पर उसी जमीन में चार हवेलियां उसे बनानी पड़ेंगी, बिना हाइजिन का ध्यान रखे। जमीन की नोन अवेलेबिलिटी के कारण ऐसा करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। यदि गांवों में भी इस प्रकार की व्यवस्था करें तो वह चल सकती है।

अन्त में मेरा कटौती प्रस्ताव है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आपकी हुकूमत चलेगी तो आपकी क्या पॉलिसी होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य रोशनी देना चाहें तो दे सकते हैं खड़े होकर।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अन्तिम कटौती प्रस्ताव है पोलिटिकल प्रिज़नर्स के बारे में....

एक माननीय सदस्य : पोलिटिकल प्रिज़नर्स या पोलिटिकल सफरर्स के बारे में ?

श्री भैरोंसिंह : पोलिटिकल सफरर्स के संबंध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है, मैं समझ नहीं पाता कि पोलिटिकल सफरर्स को कोई सहायता नहीं दी जाय। यह बात सही है और सभी की इच्छा होगी कि जो भी राजनैतिक पीड़ित हैं उनको सहायता दी जाय। भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यू० पी० और राजस्थान की तुलना की और बताया कि यू० पी० में २,१०० लोगों को राजनीतिक पीड़ित होने के कारण सहायता दी जा चुकी है और राजस्थान में भी शायद उन्होंने गिनती बताई थी कि इतने लोगों को सहायता दी जा चुकी है, लेकिन दोनों में काफी अन्तर बताया। मैं उनको उत्तर नहीं देना चाहता केवल यही कहना काफी है कि राजस्थान में जितने आदमी जेलों में गये थे उनसे शायद ज्यादा आदमी यू० पी० में जेलों में गये थे। सत्याग्रह में उन्होंने ज्यादा भाग लिया था। यही कारण हो सकता है कि वहां संख्या ज्यादा है और राजस्थान में कम है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनैतिक पीड़ित मानें किसको ? सरकार कहेगी कि उसके लिये नियम बना रखे हैं। मैं भी जानता हूं कि नियम बना रखे हैं और उनको लागू कर सकते हैं। सहायता देने

(श्री भैरोंसिंह)

का प्रावधान है। अब नियम में कौन से राजनैतिक पीड़ित हैं उनके लिये क्राइटेरिया फिक्स क्या है ? आप चाहते हैं उसको उसमें फिक्स कर देते हैं, जिनको नहीं चाहते उनको उसमें फिक्स नहीं करते। बदकिस्मती यह है कि राजनैतिक पीड़ित है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जनसंघ के आंदोलन में जेल गये थे उनको भी मानेंगे या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, इन्डिपेन्डेन्स के प्रश्न पर गये थे तो उनको भी मानेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं माननीय सदस्य को राजनैतिक पीड़ित मानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजनैतिक तो नहीं लेकिन वे पीड़ित अवश्य हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : हुकुम, मैं राजनैतिक पीड़ित था, आप जेल के रास्ते में भी नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह: मैं चाहता भी नहीं हूं। मैं आपकी पैरवी कर रहा हूं, आप जेल गये थे, आपको सहायता नहीं मिली। मैं कहना चाहता हूं कि आप जैसे व्यक्ति, जिन्होंने त्याग किया है, जो जेल गये हैं, जिन्होंने सत्याग्रह किया है और उनको सहायता नहीं मिली है....

श्री उपाध्यक्ष : उनका विषय नियमों में नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह: नियमों में ऐसा परिवर्तन किया जाय, जिससे ये भी उसमें आ जायं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात अलग है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मेरे लिए कोई राजनैतिक सहायता की जरूरत नहीं है, मेरे पास ईश्वरीय सहायता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह सारा सदन जानता है, ख्वामख्वाह आपने अपेक्षा की।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में हमें यह व्यवस्था करनी पड़ेगी, राजस्थान के जो राजनैतिक पीड़ित हैं, वे किसी तरह के राजनैतिक पीड़ित हों, किसी प्रकार से पीड़ित हों, लेकिन वे पीड़ित हैं। अब पीड़ित होने के नाते, वे राजनैतिक पीड़ित हैं, इस प्रकार की हमने उनको संज्ञा दी है। पीड़ित किस प्रकार से हुए थे? या तो यह हो सकता है कि उनको शारीरिक नुकसान हुआ हो, मानसिक नुकसान हुआ हो, आर्थिक नुकसान हुआ हो, इन तीनों दृष्टियों से देख कर किसी व्यक्ति को निर्धारित करते हैं कि यह व्यक्ति पीड़ित है और इस प्रकार के पीड़ित व्यक्ति को सहायता देनी चाहिए। यह कानून भी इसलिए बनाते हैं कि जब कभी इस प्रकार का राष्ट्रीय आन्दोलन चालू हो, उस राष्ट्रीय आन्दोलन में लोगों को इस प्रकार की प्रेरणा मिले, यदि हमने राष्ट्र के लिए त्याग किया, राष्ट्र के लिए किसी प्रकार की सेवा का कार्य किया, तो वह कार्य राष्ट्र की सेवा में होगा और राष्ट्र जब इस प्रकार सशक्त हो जाय, कि हमारी सेवा के कारण हमारी जो आवश्यकताएं हों, राष्ट्र उनको पूरा कर सके। ये दोनों चीजें एक दूसरे पर निर्भर करते हुए, राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने के लिए प्रेरणा पैदा

(श्री भैरोंसिंह)

करने के लिए कानून बनाते हैं। तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि क्या आज राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा की है ? जो राजनैतिक पीड़ित हैं, उनको सहायता देने के लिए कोई व्यवस्था की है कानून बनाया है, और कानून बना कर, मैं समझता हूं ७१ राजनैतिक पीडितों को सहायता दी है, केवल ७१ को। सरकार कहेगी कि जिन लोगों की एप्लीकेशन्स आई उनको सहायता दी। मैं कहता हूं कि कि एप्लीकेशन्स केवल ७१ नहीं; २००,२५० एप्लीकेशन्स पहुँची हैं। उनमें राजनैतिक पीडित जितने थे, ऐसे राजनैतिक पीड़ित, जो शायद बदकिस्मती से उस राजनीति में नहीं हैं जिसे सरकार पसन्द करती है, ऐसे राजनैतिक पीडित किसी प्रकार राजनैतिक पीड़ित की परिभाषा में नहीं आते हैं और उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में जो लोग पीड़ित हैं उनके प्रति जो राजनैतिक दृष्टिकोण व्यवहृत किया गया है, मैं समझता हूं कि जिस प्रेरणा को पैदा करने की चेष्टा हम करते हैं, इससे वह पैदा नहीं हो सकती। जिनको राजनैतिक पीड़ित माना हैं, उनमें से, उपाध्यक्ष महोदय, किसी राजनैतिक को पांच हजार की धन–राशि एक साथ दे दी, किसी को ५०० की धन–राशि दे दी और किसी को १,८०० की धन–राशि दे दी और एक साथ दे दी। आपने क्या जांच कराई और कौनसा बेरोमीटर लगाया है जिसके आधार पर कहते हैं कि इस आदमी का पांच हजार का नुकसान हुआ है, इस आदमी का तीन हजार का नुकसान हुआ है...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, आप कोई बेरोमीटर बता सकते हैं दूसरा, जिससे अन्दाज लगा सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बतला रहे हैं, अभी भाषण समाप्त नहीं हुआ है।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : जनसंघ ने ईजाद किया है बेरोमीटर।

श्री भैरोंसिंह : मैं ऐसा समझता हूं और निश्चित रूप से कहता हूं कि सरकार का बेरोमीटर कलेक्टर है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आपका क्या बेरोमीटर है ?

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwats is an exception today.

श्री भैरोंसिंह : No, Sir, Mr. Panwar will take objection to it. He is not an exception. He should take objection.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, you will proceed.

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार का बेरोमीटर कलेक्टर है, उसके माध्यम से सरकार इस बात की जांच करना चाहे, तो मैं समझता हूँ, इसमें आपत्ति नहीं हो सकती लेकिन कलेक्टर सिफारिश कर दे कि यह राजनैतिक पीड़ित है और इसका इतना नुकसान हुआ है; मैं समझता हूं, यह कलेक्टर नहीं कह सकता, वह फिगर्स दे सकता है, मुझे नुकसान हुआ है, मुझे सर्विस से निकाल दिया गया है, मेरा हाथ तोड़ दिया गया है, मेरा पैर

(श्री भैरोंसिंह)

तोड़ दिया गया है, हाथ पैर तोड़ दिया गया है इस तरह से शारीरिक नुकसान हुआ है। अगर हाथ टूट गया है तो प्रत्यक्ष दीखता है, नौकरी से निकाल दिया गया है तो प्रत्यक्ष कागज़ बोलते हैं लेकिन किसी को नुकसान हुआ है, इसकी जांच किस आधार पर होती है ? यह छोड़ रखा है कलेक्टर की रिपोर्ट पर और कलेक्टर इस बात को सरकार की मर्जी पर छोड़ देता है ! सरकार जितना नुकसान असेस करे, उसके आधार पर वह रिपोर्ट दे देता है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : माननीय मेम्बर साहब फर्मा रहे हैं। आपके कहने के अनुसार सब चीजें नापी जायं, इसकी कोई एजेन्सी है ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, आप अपना भाषण प्रारम्भ रखें और श्री पंवार के डिस्टर्ब करने के आधार पर बैठें नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे उम्मीद नहीं है कि श्री पंवार मुझे डिस्टर्ब करेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह : यह फ्रेन्डली गेम है।

श्री उपाध्यक्ष : हां।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन कर रहा था, उस स्थिति में सरकार का बेरोमीटर क्या हो कि किस आदमी को कितना नुकसान हुआ है। मैं उस बेरोमीटर को सरकारी अधिकारियों पर छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहता। सरकारी सचिव के ऊपर छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। मंत्री महोदय इसके सम्बन्ध में निर्णय लें, यह नहीं कहूंगा। मैं कहूँगा कि जो मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके रिप्रजेन्टेटिव्ज़ को लेकर एक बोर्ड बनाया जाय, जिसके आधार पर सारी चीजों का निर्णय लिया जा सके कि कौन आदमी किस प्रकार का राजनैतिक पीड़ित है। आज बदकिस्मती से, जो पहले कांग्रेस में थे वे प्रजा समाजवादी या समाजवादी पार्टी के मेम्बर बन गये हैं। उनको जो नुकसान हुआ है....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्री भैरोंसिंहजी से पूछा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप फर्मा रहे थे, वे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): Mr. Panwar is not disturbing.

श्री भैरोंसिंह : मुझे सहायता दे रहे हैं, इनडाइरेक्टली कहा जाय तो मुझसे पूछा जाय, मेरी पार्टी से पूछा जाय; मुझसे पूछा जाय, इसमें अन्तर नहीं है।

उस स्थिति में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि राजस्थान की जो राजनैतिक पार्टियां हैं, और राजनैतिक पार्टी के साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं व राजनैतिक कार्यकर्ताओं का एक बोर्ड बनना चाहिए, उसके पास सारी एप्लीकेशन्स जानी चाहिए और बोर्ड का निर्णय सरकार को एडवाइस के रूप में लेना चाहिए और उस आधार पर लोगों को सहायता मिलनी चाहिए। मैं समझता

(श्री भैरोंसिंह)

हूं कि इस प्रकार की सहायता का प्रावधान रखा जाय तो वास्तव में जो राजनैतिक पीड़ित हैं उन लोगों को सहायता मिल पायेगी और जो लोगों के ग्रीवेन्सेज़ हैं, वे ठीक ढंग से दूर की जा सकेंगी।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव, माननीय सदस्य धौलपुर से आये हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने श्रीमाधोपुर क्षेत्र के लिए सरकार ने जो दो लाख की धन राशि स्वीकार की है उसका शायद दिल से नहीं, पर जुबान से विरोध किया है। मैं ऐसा समझता हूं, वह विरोध इसलिए हुआ है कि माननीय सदस्य उसको कुछ पहले एक्सप्लेन कर देते तो इस प्रकार की बात नहीं होती....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): माननीय सदस्य को यह श्रेय लेने का मौका नहीं मिलता, जिसको लेने का मौका मिल गया।

श्री भैरोंसिंह : यह श्रेय मुझे नहीं मिलेगा। यह श्रेय, जिन्होंने मन्जूर किया है, उनको मिलेगा। मुझे श्रेय दिलाने के लिए आप चिन्तित हैं, तो मैं श्रीमाधोपुर की कई बातें प्रस्तुत करूंगा और मैं आशा करूंगा कि जिन शब्दों का और जिस भाषा का प्रयोग आपने किया है उस भाषा के आधार पर और जो आपकी भावना है, उसके आधार पर, मुझे श्रेय लेने का आप मौका देते रहेंगे। लेकिन आप देते नहीं हैं, आप श्रेय छीनने की कोशिश करते हैं, श्रेय देने का सवाल नहीं है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप परिचय दें कि आप उसके अधिकारी हैं तो बराबर आपको श्रेय मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन इतना करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि सारे सदन का विचारने का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कल जिस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना पर चर्चा हो रही थी, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि माइनर इर्रिगेशन की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये और माइनर इर्रीगेशन की कई योजनायें सदन में प्रस्तुत की थीं। मैं समझता हूं कि श्रीमाधोपुर में एक योजना सरकार चालू कर रही है। उस योजना की, मुझे, ६६.६ पर्सेन्ट सफल होने की आशा है। अगर वह योजना सफल हुई, अगर का सवाल नहीं है, हुई, तो राजस्थान का एक शो पीस (show piece) होगा; जिस शो पीस को राजस्थान में आकर लाखों आदमी देख सकेंगे और बता सकेंगे कि आज राज्य में जो मेजर प्रोजेक्ट हैं और उन पर जो इन्वेस्टमेंट है उसकी तुलना में माइनर इर्रिगेशन के लिए कम खर्च के ऊपर जो प्रोफिट्स हमको मिलनेवाले हैं वे कितने होंगे? वहां पर दो लाख के अन्दर सौ कुए बनेंगे, उसके आधार पर एक कुए के अन्दर से दस एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। इस प्रकार करीब एक हज़ार एकड़ जमीन की सिंचाई केवल लोन के आधार पर होगी। उसमें सरकार का एक पैसा नहीं लगेगा, सरकार उसका ब्याज लेगी। सरकार का एक पैसा नहीं लगता है और सरकार को आमदनी होगी और साथ ही साथ हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और सरकार माइनर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट तैयार कर देगी,

(श्री भैरोंसिंह)

जिसके उदाहरण के रूप में राजस्थान को बताया जा सकता है । मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में निर्णय लिया है वह उचित है और इसे ढंग से बनाने की कोशिश की तो माइनरी इर्रिगेशन सर्विस करना चाहते हैं, उस सर्विस के अन्दर यह एक अच्छा कदम होगा । मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह देता हूं, यह विषय, जिसे रख कर जो मौका मुझे प्रदान किया है, उसके लिए मुझे बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहिये । इन शब्दों के साथ, जो कटौती के प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किये हैं उनको प्रस्तुत करते हुए माननीय सदस्यों और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे गम्भीरता से विचार करके अपना उत्तर दें ।

(श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री और श्रीरामचन्द्र बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रामचन्द्र (डग-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुए हैं उन पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष,....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कब आपत्ति की ?

श्री रामचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय,....

डॉ० बहादुरसिंह : Shri Ram Chandra may be allowed.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Shri Ram Chandra.

श्री रामचन्द्र (डग–सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मांग संख्या ५७ प्रस्तुत की है और इस पर कटौती के प्रस्ताव रखे गये हैं मैं उनके समर्थन में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार को इन योजनाओं और स्कीमों में और जो प्लान बनाये जा रहे हैं उनकी तहत में यह मान लिया गया है कि राजस्थान में मकानों की समस्या एक बड़ी विकट समस्या है । आज आज मकानों की ऐसी समस्या है कि उनका विकास एक प्रकार से ठीक हो रहा है । इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इसके लिए दो प्रकार की स्कीमें प्रस्तुत की गई हैं । एक तो लो इन्कम हाउसिंग स्कीम और दूसरी मिडिल इन्कम हाउसिंग स्कीम । इन दोनों स्कीमों की तहत में राजस्थान सरकार प्रान्त के भिन्न भिन्न भागों में मकान बनाने के लिये लोगों को सहायता प्रदान करती है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि यद्यपि सरकार की यह नीति बड़ी उत्तम नीति है और सरकार इस संबन्ध में विकास करना चाहती है । इससे सरकार की यह मंशा है कि जो पिछड़े हुए नगर हैं और जिनकी रियासतों के समय में बहुत बुरी दशा थी और अब तक वैसी ही बनी रही उनकी दशा अब राजस्थान में अच्छी हो और उनमें अच्छे गृह निर्माण करके उनको एक सुन्दर नगर बनाया जावे । लेकिन मैं देखता हूं कि राजस्थान इस नीति को अमल में लाते समय भेद-भाव की नीति का अनुसरण कर रहा है । बहुत से जिले ऐसे हैं जहां इस प्रकार के कर्ज लोगों को नहीं दिये जाते हैं और यदि किसी ने

Page No.68

(श्री रामचन्द्र)

कर्ज लेने की इच्छा प्रकट को तो फिर नियम ऐसे बना दिये जाते हैं कि उन नियमों का पालन नहीं करने के कारण वे उस कर्ज का फायदा नहीं उठा सकते । यही दशा आज झालावाड़ जिले की है । यह एक सुदूरपूर्व जिला है और राजधानी से २०० मील दूर स्थित है । यह पहाड़ों की आड़ में बसा हुआ है। यह नगर कभी राजस्थान में एक छोटी सी रियासत की राजधानी रहा है । आज वह राज्य भी राजस्थान का एक अंग है लेकिन आज भी मकानों की जो सुविधा पाने के लिये राजस्थान सरकार ने जो जो सुविधाएं दी हैं और जो प्लान बनाये हैं वह नराये नाम हैं और उसका लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है । पिछले दो-तीन वर्षों से २५ या ३० हजार रुपया लो इन्कम हाउसिंग स्कीम की तहत दिया जाता रहा है जो भी वहां की पब्लिक की जरूरत को देखते हुए बहुत कम है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के मंत्री से लेकर जितने भी बड़े २ पदाधिकारी हैं वे सभी इस बात को जानते हैं कि कोटा डिविजन में अगर कोई पिछड़ा हुआ जिला है तो वह झालावाड़ है और वहां के लोगों की आर्थिक दशा है वह दूसरे जिलों की अपेक्षा बहुत गिरी हुई है । लेकिन इतना जानते हुए भी राजस्थान सरकार वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ले रही है । यहां तक कि वहां के रहनेवालों के लिये एक साधारण-सा मकान भी नहीं है । वहां के अधिकांश लोग झोंपड़ियों में अपना सिर ढक कर पड़े रहते हैं और इसके लिये कई बार सरकार से निवेदन किया कि इसके लिये विशेष रकम मंजूर की जावे मगर हमारी आवाज वहीं रह गई और राजस्थान सरकार के कानों तक नहीं पहुँच पाई । इसलिये आज,माननीय उपाध्यक्ष, सदन के प्रांगण में खड़ा होकर राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि झालावाड़ जिला बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां के लोगों की आर्थिक दशा गिरी हुई है, उसको सुधारने के लिये राजस्थान सरकार प्रयत्न करे । यह तो राजस्थान सरकार की सहानुभूति इस जिले के प्रति हो इसलिये जिक्र किया है ।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दो-तीन वर्षों से इस जिले को लो इन्कम हाउसिंग स्कीम की तहत जो सहायता मिल रही है वह ३० या ३५ हजार रुपये का वितरण भी जिस प्रकार से हो रहा है उसकी जानकारी अगर आप चाहें तो झालावाड़ के कलेक्टरी के दफ्तर से भी कर सकते हैं । जो कर्जा दिया जाता है वह सब कलेक्टर के दफ्तर के क्लर्कों को ही दिया जाता है । यह रुपया पब्लिक को नहीं मिलता है । जब फॉर्म भरे जाते हैं और फॉर्म क्लर्क से मांगे जाते हैं तो फॉर्म को देने के लिये क्लर्क इन्कार कर देते हैं और आपस में ही रुपया बांट लेते हैं । अगर आपको मेरे कहने और मेरी बात पर कोई संदेह हो तो आप झालावाड़ कलेक्टर के दफ्तर से लिस्ट मांग कर देख लें कि किन किन लोगों को यह कर्जा दिया गया है । मैं विधान सभा के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप उस लिस्ट में झालावाड़ के सभी क्लर्कों के नाम ही पावेंगे । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो ऋण सरकार से दिया जावे वह सारी पब्लिक को दिया जाए, न कि केवल क्लर्कों को ही । इसलिए

(श्री रामचन्द्र)

जो रुपया दिया जाता है उसका उपयोग ठीक ढंग से नहीं किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह सरकार की मीडियम इन्कम हाउसिंग स्कीम से सम्बन्ध रखती है। मैं यह कहूंगा कि झालावाड़ जिले में इस ऋण का कोई उचित उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें भी आपने यह कन्डीशन रखी है कि जिसकी आमदनी ६,००० रु० सालाना से अधिक हो उनको यह कर्जा मिल सकेगा। मैं तो यही कहूंगा कि झालावाड़ जैसा पिछड़ा हुआ इलाका इस कर्जे से फायदा नहीं उठा रहा है। झालावाड़ जिले में दो व्यापारिक नगर भी हैं; जैसे भवानी मन्डी और चौमहला मन्डी। वहां पर आबादी बढ़ती जा रही है। वहां पर लोग बाहर से आकर बसते जा रहे हैं। जमीनें पड़ी हुई हैं लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है और उनको लोन भी नहीं मिल रहा है। कारण यह है कि ये लोग जब लोन के लिये कहते हैं तो यह कहा जाता है कि ६,०००) रु० की सालाना अधिक होने पर ही यह कर्जा मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि जो आदमी ५००) रुपया माहवार कमाता होगा उसको ही यह कर्जा मिल सकता है। हमारे यहां उपाध्यक्षजी, ५००) रु० तो सेठ साहूकारों को आमदनी होती है। उनके मुनीम और गुमाश्तों के लिये इस प्रकार की आमदनी प्राप्त करना उनकी हैसियत के बाहर की बात है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस मिडल इन्कम हाउसिंग स्कीम की तहत जो बान रखा है इसको थोड़ा वहां के लोगों की माली हालत को देखते हुए हलका करने की आवश्यकता है और इसके अनुसार राज्य सरकार को इसे ढीला करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरा विषय जो मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि राजस्थान सरकार की बहुत सी नीति बहुत उत्तम हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार गरीबों की गरीबी को मिटाने के लिये प्रयत्नशील है लेकिन सरकार की इस नीति पर अमल नहीं होता है और जो फायदा गरीबों को मिलने वाला होता है वह उन तक नहीं पहुंचता है इसकी जिम्मेदारी राज्य के बड़े बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों व जिलाधीशों पर है। मिसाल के तौर पर मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की यह नीति है कि जंगल में जो मजदूर काम करते हैं उसका ठेका उन्हीं मजदूरों को दिया जाना चाहिये। सरकार की इस नीति का गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिये झालावाड़ में जो एक वन सहकारी समिति का निर्माण किया और आज वह दो वर्षों से बराबर काम कर रही है लेकिन इस सोसाइटी की जो आज दुदर्शा हो रही है वह सरकारी अधिकारियों के कारण ही है। मैंने इस सोसाइटी के निर्माण करने में स्वयं प्रयास किया है। सन् ५६ से इसका काम आरंभ हुआ है। सरकार के कर्मचारी ऐसी सोसाइटीज को किसी न किसी प्रकार से असफल करने का प्रयत्न करते रहते हैं और वह किस प्रकार करते हैं इसका थोड़ा सा चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सरकार ने यह नियम बनाया है कि जंगल ठेके पर न दिये जांय, बल्कि इनके पिछले तीन साल के ठेकों की कीमत का एवरेज लिया जाकर गरीब मजदूरों को ठेके पर दिया जावे। इस नियम

(श्री रामचन्द्र)

के अनुसार उस सोसाइटी को एक कूप ठेके पर दिया गया किन्तु उसको पिछले तीन साल की कीमत का एवरेज पर ठेका नहीं दिया गया। सी. सी. एफ. साहब ने उस वक्त जो लकड़ी का भाव था तथा उससे कितनी लकड़ी निकल सकती है उसकी रेट लगा कर कीमत कायम की। इस प्रकार डी. एफ. ओ. साहब ने उस कूप की कीमत ७॥ हजार मान कर मंजूरी दिये जाने की सिफारिश की किंतु सी. सी. एफ. साहब ने उसे १६ हजार में दिया और यह भी कहा कि इस कीमत पर यदि इच्छा हो तो लो, वर्ना मत लो। वे लोग अशिक्षित थे। उन्होंने कभी ठेका नहीं लिया था। मुझे भी स्वयम् इसका अनुभव नहीं था। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही लेने के लिए उनको हिम्मत बंधाई और उन्होंने वह ठेका ले लिया। नतीजा यह हुआ कि १६ हजार तो सरकार की रकम निश्चित हो गई और १०–१२ हजार रुपया उनके कटाई में लग गये। कुल नतीजा यह निकला कि उन गरीबों को १०–१२ हजार रुपया का घाटा पड़ा। अब यह घाटा किस प्रकार वे गरीब लोग पूरा कर सकते हैं? अंत में उस कूप की पैदावार पर सरकार ने नियन्त्रण कर लिया। जितना पैसा लकड़ी की बिक्री से मिलता था वह सीधा सरकार ले जाती थी और गरीबों को कुछ भी नहीं मिला। गरीब लोग १॥ वर्ष से इस संकटमय हालत में फंसे हुए हैं। लकड़ी बिकी नहीं है और बिक जावेगी तब विचार करेंगे।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ थोड़ा निवेदन और कर दूं कि इतना होते हुए भी मेरे द्वारा उन लोगों को हिम्मत बंधाने पर उन्होंने पिछले साल एक कूप फिर लिया। इस वक्त भी लाभ उठाने के रास्ते में कर्मचारियों ने जो रोड़े अटकाये उसका भी चित्रण अजीब है। पहले तो यह कूप ही बहुत देर से मिला। उसके बाद यह शर्त तय हुई कि इसमें कुछ लकड़ी का कुछ ठेका तो एक निश्चित धन में दिया जावेगा और निश्चित मात्रा से ज्यादा लकड़ी निकली तो १) रु० प्रति मन के रॉयल्टी के रूप में अधिक लिया जावेगा। और शर्त यह तय हुई कि लकड़ी फर्स्ट पोइन्ट पर तुलाई जायेगी अर्थात् उनका यह कहना था कि फर्स्ट पोइन्ट जंगल ही माना जायेगा। जो अनुचित था। इस झगड़े में तीन महीने निकाल दिये और लकड़ी कट पाई। जो पीरियड कटाई का नियुक्त किया था उसमें केवल आधा जंगल ही कट सका और वर्षा आरम्भ हो गई और वहां पर लकड़ी बिना ढोए ही पड़ी रह गई। उस लकड़ी पर भी सरकार ने कब्जा कर रखा है। जब सरकार का इस प्रकार का बंधन गरीबों पर लाद दे तो फिर इस प्रकार की सहकारी समितियों के बनाने से क्या लाभ है? यदि सरकार चाहती है कि सरकार की नीति से गरीब फायदा उठावें तो उनको सब प्रकार की सुविधा देनी चाहिये। इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि सरकारी पैसा डूब जाय। वाजिब पैसा सरकार ले, उनको सब प्रकार की सुविधा देवे। प्रायः जंगल तो उनको मिल जाता है किन्तु गरीबों के पास रुपयों–पैसों का साधन नहीं होता है। इसलिए जंगल का ठेका देने के साथ साथ धन भी मिलना चाहिये। चाहे किसी बैंक से या किसी फण्ड से उनको कर्जा

(श्री रामचन्द्र)

दिया जाना चाहिये, लकड़ी बिकने पर उनसे वापिस जमा कराना चाहिये । यही मेरा निवेदन करना है । इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : सपोर्ट पर हो चलते जावेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : How can I curtail the right which the Hon'ble Members enjoy ?

(विराम)

Shri Mukti Lal Modi.

(विराम)

I am sorry, Shri Mahendra Singh Panwar.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): जिन कटौती प्रस्तावों पर, श्रीमान्, चर्चा हुई उनको सुन कर मुझे ऐसा लगा कि बड़े बड़े काम सरकार ने कर दिखाये हैं । उस सरकार की क्या गलतियां हैं उन पर शायद ध्यान नहीं दिया । इतना ही मात्र कहा कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है । क्यों होता हैं और क्यों नहीं होता है, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया । सोचने की बात बुनियादी होती है । छोटी सी बात सोचने से काम नहीं चलता है । यह नहीं होता है, वह नहीं होता है; इतना ही कहना मात्र पर्याप्त नहीं होता । लेकिन क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है, यह बात सोचने की है । मैं उस सिलसिले में कटौती प्रस्तावों पर दो शब्द अर्ज करूंगा, उन सारी चर्चाओं में नहीं जाऊंगा, जंगलों में भी नहीं जाऊंगा । मैं तो पर्सनल पॉलिसी पर ही बोलूंगा । काम को कुछ करनेवाले व्यक्ति हैं । काम कुछ अन्दाज से भी नहीं होता–स्वप्न में सोचा और हो गया । काम तो किसी व्यक्ति से होता है । व्यक्ति यदि काम करने की योग्यता नहीं रखता है तो फिर काम नहीं होगा । यह सीधी सी बात है और यदि हमने काम करने के लिए ऐसे आदमियों को लगा दिया जो काम करना नहीं जानते तो फिर काम क्या हो सकता है ? यह एक सोचने की बात है । तो जितनी टिप्पणी हैं कटौती प्रस्तावों पर मूल मात्र यही है कि पर्सनल पॉलिसी इतनी गलत है कि एक काम के लिए सुयोग्य व्यक्ति को उस पर नहीं लगाते....

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwar, you are not audible. Perhaps there is some defect in the mike,

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I am not audible ? I am coming nearer to the mike.

हुकम, बात यह है कि आज हम देश में काम तो बड़े २ करना चाहते हैं मगर काम करने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति है उस काम को जाननेवाला कौन है, उसको तो उस पर नियोजित नहीं करते हैं । लेकिन आपने कहा, मैंने कहा, उसने कहा, इन इशारों से काम पर लोगों को लगा दें और ऐसे लोगों को लगा देते हैं जो काम करना ही नहीं जानते हैं । यह इन-एफिशियेन्सी की जड़ है, अयोग्यता की जड़ है, श्रीमान् । इस तरह देश का काम नहीं होता है । इसके लिए हमारी एक पर्सनल पॉलिसी होनी चाहिये । एडमिनिस्ट्रेशन के

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

साइन्स में, राज्य का विज्ञान जो है उसमें यह खास बात है कि कौन से व्यक्तियों को कहां पर लगावें ? यह एक बड़ी विशेष और बुनियादी चीज़ है । इतनी सी बात ठीक नहीं होगी तो फिर कोई शासन नहीं । तो यह एडमिनिस्ट्रेशन के विज्ञान की खास चीज़ है । यदि उस चीज़ को नज़रअन्दाज कर देते हैं और सिफारिश से लोगों को लगायें तो फिर काम कैसे होगा ? फिर शिकायतें भी पैदा होती हैं, कटौती प्रस्ताव पैदा होते हैं । हम कहें कि यह नहीं होता, वह नहीं होता, श्रीमान्, होगा कैसे ? जो उस काम को करनेवाले लोग हैं, उस काम को जाननेवाले लोग हैं वे तो वहां नहीं हैं । मेरा भाई है, उनका भाई है वहां । ठीक है, वे मेरे भ्रातृत्व को जानते हैं । मेरे भाई समाज कल्याण के काम को तो नहीं जानते । आवश्यक नहीं है, जानता भी है और नहीं जानता भी है । यह आवश्यक नहीं है कि समाज कल्याण को जाने ; लेकिन मेरा भाई है इसलिये उसको मैंने वहां लगा दिया ।

(२ म० प०)

इस तरीके से काम नहीं होता शासन का । शासन को बढ़ाना है, पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में भी मैं यही कहता हूँ कि यह कार्य पूरा नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, वह इसलिए नहीं होते कि इसमें बुनियादी बात यह है कि काम तो सब है, काम करनेवाले भी हैं लेकिन यह बात नहीं समझते कि सही काम करने वाला कौन है और उसको कहां लगाना है इसलिए सही काम करने वाले की जगह गलत काम करने वाले को लगा देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Panwar, how is it that your speech is not relevant to the issue today ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Very relevant.

उन्हीं कटौती प्रस्तावों के सिलसिले में अर्ज कर रहा हूं । काम क्यों नहीं हो रहा है, मैं इसका जवाब दे रहा हूं । इसमें बुनियादी बात यह है कि काम इसलिए नहीं होता कि इसमें हमारी पर्सनल पॉलिसी गलत है, हम ठीक व्यक्तियों को ठीक काम पर नियुक्त नहीं करते । हम सिफारिशों के आधार पर, संबन्धों के आधार पर, जाति के आधार पर और भी कई आधारों पर गलत आदमियों को जो उन कामों को नहीं जानते उन कामों को करने के लिए लगा देते हैं । आज इसी तरफ हमारा शासन चल रहा है । श्रीमान्, अगर इस चीज़ को हमारा शासन हटा दे तो फिर इस प्रकार के कटौती के प्रस्ताव सामने नहीं आयेंगे । सही काम को जाननेवाला सही जगह रहेगा तो सही काम होगा । सही आदमी को तरक्की मिलेगी तो उसका दिल उदास नहीं होगा । ये कुछ नीतियां हैं पर्सनल पॉलिसी की जिस ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया । इसके साथ साथ मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये बुनियादी बातें हैं शासन के चलाने की । शासन करने वाले यदि इस तरीके से सोचें और इसके अनुसार चलें तो हमारे देश और प्रान्त का भविष्य उज्जवल हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : He appears to be very much inspired today. Yes, Shri Anoop Singh. I will request the Hon'ble Member to be relevant.

(श्री उपाध्यक्ष)

as well as brief in his speech because much time is not to be lost in this.

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले तो आपने मुझे समय दे दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय जायगा नहीं, आपके इधर उधर दोनों ही मित्र हैं।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपने कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में बहुत सूक्ष्म में अर्ज करना है, ज्यादा वक्त न लेता हुआ संक्षेप में ही अर्ज करूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के विषय में मैं अर्ज करूं कि यह जो मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना जो बहुत दिनों से चल रही हैं इसके लिए बहुत सी दफा जो अमाउन्ट सैंक्शन हुए हैं वे कई दफा लेप्स भी हो गये । बहुत कम आदमियों ने इस योजना के तहत लाभ उठाया है। अक्सर यह भी देखा गया है कि इस योजना की बजाय जो लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम है वह ज्यादा सक्सेसफुल रही है और मध्यम वर्ग आय गृह निर्माण योजना कम सक्सेसफुल रही है । इस कारण यह देखने में आया है कि इसमें जो लिमिटेशन रखी हुई है कि कितनी आय वालों को यह मिलेगा यह जो आय की लिमिटेशन हैं उसकी वजह से यह स्कीम पोपुलर नहीं हो पाई है। इसमें जितनी रकम की लिमिटेशन रखी है उसके अनुसार इतनी आमदनी वाले के किसी न किसी तरह का अपना छोटा–मोटा मकान होता ही है। जहां तक लो इन्कम ग्रुप का सवाल है उसमें किसी भी डिवीजन का कोई पैसा लेप्स नहीं हुआ हैं और मध्यम वर्ग आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जितना भी पैसा डिवीज़नों में मिला है वह लेप्स हो जाता है। इसका सब से बड़ा कारण यही है कि इसमें जो आय की लिमिटेशन रखी है ६ हज़ार से १० हज़ार तक की होनी चाहिये, उस लिमिटेशन वाले लोगों के पास अपना कुछ छोटा–मोटा मकान होता ही है। इसका मतलब यह हुआ कि ४०० रुपये से लेकर ८०० रुपये तक की किसकी मासिक आमदनी हो वह इस स्कीम के अन्तर्गत आ सकता है और वह मकान बनाने के लिए पैसा ले सकता है। मैं समझता हूं, जिसकी इतनी आय है वह इतनी तो हैसियत रखता ही होगा, इतना तो बचाया ही होगा जिससे वह खुद का मकान बना ले। जब हम यह चाहते हैं कि जिनके पास मकान नहीं उनको इस योजना से फायदा मिले, लेकिन जो इसके लिए लिमिट रखी गई है उसके कारण इसका फायदा उठा नहीं सकते। इसके द्वारा वही ऋण ले सकता है जो अपनी आय ६ हज़ार से लेकर १० हज़ार तक की बता सके। इससे यह मतलब निकलता है कि या तो यह ऋण लेने के लिए गलत रेकॉर्ड पेश करें और इसके लिये वह कुछ रुपया इन्कम टैक्स के रूप में देता है, इस तरह से गलत फिगर्स अपनी आमदनी की रख कर इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं । इससे होता यह है कि एक साल तो इतनी लिमिट की इन्कम बता दी जाती है लोन लेने के लिये और दूसरी साल बता देते हैं कि इतनी इन्कम नहीं हुई। जहां तक मध्यम वर्ग आय गृह निर्माण योजना से ऋण लेने का सवाल है वहां इतनी इनकम बताना जरूरी है । इस

(श्री अनूपसिंह)

तरह से एक साल के लिये तो बता देते हैं। इस तरह से लोग अपने गलत आंकड़े बताकर इन्कम टैक्स का रुपया देकर इस स्कीम से फायदा उठाते हैं। लेकिन जिसके पास वाकई मकान नहीं है और जो गलत तरीके से इस्तेमाल करके पैसा नहीं लेना चाहते, इन्कमटैक्स के चक्कर में आना नहीं चाहते इससे वंचित रह जाते हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इसे प्रेक्टिकल पोइन्ट ऑफ व्यू से देखें कि आखिर इससे कितने लोगों को फायदा होता है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमने जो मध्यम आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत जो लिमिटेशन रखी है वह बहुत ज्यादा है। इस लिमिटेशन को घटाना चाहिये ताकि अल्प वेतन वाले भी इससे फायदा उठा सकें। ऐसा नहीं करते हैं तो इस लोन से लोग वंचित रह जाते हैं और रकम हमारी लेप्स हो जाती है। इससे आपके यहां ऑडिट ऑब्जेक्शन्स भी होते होंगे और भी बातें होती होंगी, इसका मुझे मालूम नहीं। इसलिये जब मध्यम आय गृह निर्माण योजना की जो लिमिटेशन रखी है उसको नहीं घटायेंगे तब तक लोग इससे पूरा फायदा उठाने के लिये प्रेरित नहीं हो सकेंगे।

बाढ़ और अग्नि पीड़ितों के लिये जो सहायता एवं ऋण देने की व्यवस्था है उसके लिये मैं अर्ज करूंगा कि अगर वास्तव में आप यह चाहते हैं कि किसी के ऊपर बाढ़ की वजह से या आग लगने की वजह से कुछ नुकसान हो जाता है तो हम उसको रिहेबीलिटेट करने के लिये एड या ऋण देते हैं। आप उसको इतना तो दीजिये जिसके कारण वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मान लीजिये किसी का हजार रुपया नुकसान हुआ या दो हजार का हुआ, उसको इतना तो दीजिये जिससे वह रिहेबीलिटेट हो सकें, जिसका हजार रुपया नुकसान होता है तो उसको कम से कम २५०) या ३००) रुपया, वन फोर्थ तो दीजिये ताकि उसको रिहेबीलिटेट होने में सहायता मिल सके; अन्यथा तो यह सहायता का ढकोसला होगा। बीस, पच्चीस, पचास दे दिया; यह तो एक तरह से भिखमंगेपन की बात हुई, एक दान हुआ आप की तरफ से। आप दान की बात मत रखिये। यह रखिये कि हम एक आदमी जिसकी हानि हुई है उसको पुनर्संस्थापित कर रहे हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : मैं जानना चाहूंगा पुनर्संस्थापित करने का माननीय सदस्य का अर्थ उनको गवर्नर जनरल बनाने का है या उनको व्यवसाय देने का है?

श्री अनूपसिंह : वह तो बड़ा पीड़ित हो तब भी नहीं होता है। तो पुनर्संस्थापित बनाने का अर्थ गवर्नर जनरल बनाने का नहीं हो सकता। खैर, मैं यह अर्ज करूंगा कि आप उनको कुछ ऐसी सहायता दीजिये कि जो उनके पूरे नुकसान का कुछ पर्सेन्ट हो; चालीस पर्सेन्ट दीजिये, तीस दीजिये पर कुछ ऐसा दीजिये कि जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाय। वैसे तो यह नेचुरल कैलेमिटी है। आप इसमें अधिक नहीं कर सकते। पर मुफ्त में डौल देकर २४ ३० रुपये बांट देना यह भी किसी काम का नहीं है। मैं जानता हूं कि किसान जिस पर

(श्री अनूपसिंह)

विपत्ति आई है वह अपने पैरों पर अपने आप ही खड़ा होगा, पर आपके हाथ से भी कुछ ऐसा सहारा मिलना चाहिये उसको कि जिससे वाकई में वह खड़ा होने में कुछ मदद महसूस कर सके। मैं अर्ज करूंगा कि जो रूल्स और रेगुलेशन्स बने हुए हैं इसके लिये वे इतने कम हैं कि इनसे उनको किसी तरह का कोई फायदा नही होता। यहां तक कि वापिस झोंपड़ा खड़ा करके अपने बालबच्चों को उस में बैठना भर भी चाहे तो भी नहीं बैठा सकता आपकी इस मदद से। इसलिये अर्ज करूंगा कि आप मदद देना ही चाहते हैं तो मदद दें और इस हिसाब से दें कि वाकई वह मदद कहलावे। पर पांच, दस, बीस रुपया देकर आप कोरा अपना बड़प्पन बताना चाहें और अपनी कुछ सहानुभूति प्रदर्शित करना चाहें जिससे कि यह वापिस आपकी किसी तरह से मदद कर सके, वोट से, और से तो यह अलग बात है।

इसके सिवाय तीसरा प्रस्ताव कटौती का जो है वह झालावाड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा फर्माया फोरेस्ट कोऑपरेटिव के बारे में है। फोरेस्ट कोऑपरेटिव ने फायदा तो कितना किया होगा, यह तो वे ही जानें। पर कम से कम हमारा फोरेस्ट का जो धन है, वन की वजह से जो हमारा असेट बनता है नेशन का, उस नेशन के असेट को जो वर्षों में खड़ा हुआ होगा उसे अपने स्वार्थ के लिये इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने और साथ साथ गवर्नमेंट ने भी जो इनके अबेटमेंट में साथ देती है, कटवाया है और उनका कटवाने का यह धन्धा रहता है, उसे इनडिस्क्रिमिनेटली काटकर, जला कर, लकड़ी बेचने के लिये उनका नाश किया है और इसके साथ साथ मैं माननीय मन्त्री महोदयजी को आपके द्वारा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करूंगा....

श्री भीखाभाई (सिंचाई मंत्री) : झालावाड़ वालों का तो कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है, श्रीमान्। समर्थन किया था।

श्री अनूपसिंह : तो माननीय उपाध्यक्षजी, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने नेशन का कोई फायदा नहीं किया, नुकसान जरूर किया, हमारी अमूल्य वन–सम्पदा को खत्म किया है। मैं यह मानूंगा इसके साथ साथ कि वे पेड़ जो काट लिये हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली काट लिये हैं उनको इसका ठेका नहीं था। उनको चैक करने वाला नहीं था कि इस एरिया के लिये इतने-इतने साइज़ के इन-इन किस्म के पेड़ों के काटने के लिये आपको ठेका दिया गया था; फलां टाइप के धोख को बबूल को, काटो और को नहीं, फलां साइज़ के बड़े-बड़े पेड़ काटो जिनको मार्क किया गया है उनको ही काटो, बाकी को नहीं। पर मैंने देखा कि उन्होंने इन नियमों में से किसी का भी ध्यान नहीं रक्खा और इनडिस्क्रिमिनेटली काटा है, डिफोरेस्टेशन हुआ है! हम अफोरेस्टेशन की बात करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आपका वन महोत्सव मनाना बेकार हो जावेगा। बरसात के लिये इतने पेड़ हों तो बरसात हो सकती है, यह आइडिया निराशाजनक बनकर रह जावेगा। तो जो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को ठेके दिये जाते हैं उन पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं किया तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मन्त्री महोदय

(श्री अनूपसिंह)

से अर्ज करूंगा कि इससे उनका अफोरेस्टेशन का प्रयत्न बेकार जायेगा। उनको इस तरह की डिफोरेस्टेशन को सख्ती से रोकना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराठ) : मांग संख्या ५८ के अन्दर जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य, जगदीशप्रसादजी का आया है उसके समर्थन के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। राजस्थान सरकार ने अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड बनाया, डेढ़ साल हो गया; पर यह समझ में नहीं आता कि राजस्थान सरकार के अधिकारी जो बैठे हैं वे यह नहीं समझ पाते कि जिस राजधानी के अन्दर और जहां से हम चुनकर माननीय सदस्य और अधिकारी आये हैं वे दूसरी जगहों का भी ख्याल रक्खें।

श्री उपाध्यक्ष : अधिकारी कहां चुनकर आये हैं। उनका तो इलेक्शन होता ही नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मिनिस्टर साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो माननीय सदस्य और माननीय मन्त्री जहां से चुनकर आते हैं वे कम से कम यह तो सोचें कि आज अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट को बने डेढ़ साल हो गया और इस हाउस में इसके लिये करीब २५ हजार रुपया और इतना सदस्यों का समय खर्च किया गया और वह राजस्थान एक्ट लागू नहीं किया गया तो यह कितने खेद और दुःख की बात है जिस में एक्ट को लागू करने के लिये राजस्थान सरकार को मैं कई बार लिख चुका हूं; जब कि आज सारे संसार के अन्दर तीन चीजों की आवश्यकता होती है मनुष्य को; रोटी, घर और कपड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : वाणी की आवाज की भी आवश्यकता होती है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले तो इस बिल को पास करने में ही काफी दिन लगे और जब पास हुआ तो लागू नहीं करती यह सरकार और जब लागू करने की नौबत आई तो अलवर के अन्दर ही लागू हुआ क्योंकि मिनिस्टर साहब अलवर के रहने वाले हैं। मिनिस्टर साहब को समझना चाहिये कि मिनिस्टर घर में तो कोई भी कुछ कर ले पर सारे राजस्थान की जनता के....

श्री उपाध्यक्ष : यह निश्चित है आपको कि यह कानून लागू हो गया अलवर में या सुना है आपने ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह आया है न ! डेढ़ लाख रुपया मन्जूर करने के लिये इस कटौती प्रस्ताव में आया है इसलिये लागू किया है तभी तो आया है। नहीं लागू किया होता तब कहां से आता ! तो माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान में दो करोड़ जनता रहती है और उसमें अलग अलग २५ जिले बने हुए हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : २५ नहीं, २६ जिले।

श्री मुक्तिलाल मोदी : २६ सही, छब्बीस जिले बने हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह एक काटने जा रहे हैं न ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : २६ जिले बने हुए हैं । उनमें दूसरी जगह अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड अभी तक नहीं बनाये सरकार ने । कभी यह कहते हैं कि कमिश्नर के डिविजन हैडक्वार्टर्स हैं उनके अन्दर बनावेंगे, कभी कहते हैं डिस्ट्रिक्टों में बनावेंगे; पर बनावें तो सही । कुछ भी तो करें । इस प्रकार से जब गजट में नोटिफिकेशन हो गया और विधान सभा में पास हो गया तो इसको पास भी नहीं करते तो यह तो सन्तोष होता कि जिस रोज राजा खतम हो गये, जागीरदार खत्म हो गये और हमें आजादी मिली और उस आजादी के अन्दर भी एक्ट पास हाउस में हो जावे और लागू न हो, इसका मतलब यह समझें कि आजादी में भी जो शासन चलाने वाले लोग हैं वे खत्म हो गये । नये शासन में आवेंगे वे लोग करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : अब विषय के महत्वपूर्ण अंग पर बोलिये न ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मेरे को दुख हो रहा है इसलिये बोल रहा हूं । मैं पर्सनली तो मकान बनाने वाला नहीं, बनाऊंगा नहीं, न मुझे चाहिये । पर इतने सदस्य बैठे हैं, मेरे को दुख हो रहा है कि क्या हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : ये तो ठीक तरह से बैठे हुए हैं । इनका कोई दोष नहीं है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट यहां पर क्यों नहीं लागू किया जाता है ? यहां पर यह लागू नहीं करने से जो आज राजधानी में बैठे हैं, आपने पहले भी इस हाउस में सुना होगा, कुछ कन्सेशन्स भी आये और कुछ आपको मालूम भी होगा कि यहां चाहे जो मकान बना रहे हैं, चाहे जो इम्प्रवमेंट कर रहे हैं कोई देखने वाला नहीं है ।....

श्री उपाध्यक्ष : सारे राजस्थान में ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : सारे राजस्थान में ही ऐसा हो रहा है और जयपुर में विशेष तौर पर हो रहा है । आज जयपुर में यह हालत है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं ।

डॉ० बहादुरसिंह : यहां जयपुर में पोल ज्यादा है इसलिए ज्यादा हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह बहुत सी टूट चुकी हैं । आप डिस्टर्ब न करें ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए सरकार को जल्दी से जल्दी अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट को लागू करना चाहिए और सरकार अगर जल्दी से जल्दी लागू नहीं करेगी....

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

तो महाराज घंटी तो आपने बजा दी....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो संकेत-मात्र है, दूसरे प्रसंग पर आने के लिए ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए अर्बन इम्प्रूवमेंट की बात तो यह रही । अब राजनीतिक पीड़ितों के लिए जो रुपया रखा है मैं भी राजनीतिक पीड़ित जरूर हूँ....

श्री उपाध्यक्ष : आप उनके नामों में नहीं आते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपसे वैसे कह रहा हूं। परन्तु कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको राजनीतिक पीड़ित मानकर उनको रुपया दिया जाता है और उनके लड़के पांच-सात सौ रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, वे जेल में जरूर गए इस तरह से ऐसे लोगों को सरकार ने रुपया दिया है तो वह राज-नीतिक पीड़ित कहां हुए ? मेरा जैसा अकेला आदमी जब बूढ़ा हो जायेगा, जिसका कोई है ही नहीं तो वह तो राजनीतिक पीड़ित माना नहीं जाये....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, जिन लोगों के लड़कों को सात–आठ सौ रुपया मिलता है तो उनके पीड़ित होने की अवस्था आज की है या पहले की है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुक्तिलाल जी, आपने संकेत विस्तृत रूप से दिया है। मैं चाहता हूं कि उनका नाम भी आप बतला दें ताकि सरकार को जवाब देने में आसानी रहे। उसका नाम भी बतला दें और यह भी बता दें कि किनका लड़का पांच–सात सौ रुपया कमा रहा है....

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनका नाम यह है 'अगर'....

श्री उपाध्यक्ष : नाम में 'अगर' कहां आता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं भूल जाता हूं क्योंकि मैं स्टडी तो करता नहीं हूँ। ये लोग भाषण देते हैं बीच में, तो मुझे भुला देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको नाम बताने के लिए संकेत दिया था ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह बता रहा हूँ। अगर माननीय मंत्री इसके लिए जांच करेंगे तो मैं फिर आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि जैसा कि मुझे मालूम है, एक ही आदमी का मालूम है। उस आदमी का लड़का प्रोफेसर है और उसका नाम है....

श्री उपाध्यक्ष : आपका आरोप स्पष्ट है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : नहीं, यह पर्सनल आरोप नहीं है। सरकार के ऊपर आरोप है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : हम नाम जानना चाहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया नाम बतला दीजिए। क्योंकि यह आरोप है और इसका जवाब सरकार को देना पड़ता है इसलिए स्पष्ट नाम बता दें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वे तो मेरे ही दोस्त हैं, वे फिर मुझे ही कहेंगे।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : इस सदन में मित्र और दुश्मन का कोई सवाल नहीं है।

श्री मुक्तिलाल मोदी ; उनका नाम नन्दकिशोर जी है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनका लड़का प्रोफेसर है।

श्री उपाध्यक्ष : कौन से कॉलेज के हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : कॉलेज के नाम का तो मुझे पता नहीं है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): वह पिता के पास रहता है या अलग रहता है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पिता के साथ रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रोफेसर होकर भी।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह तो राजनैतिक पीड़ितों के लिए है। इसकी स्कुटिनी की जाये और राजनैतिक पीड़ितों में कई प्रकार के मूवमेन्ट्स चलते हैं। अब माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार इस तरह के रूल्स बनाये....

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जो अभी नन्दकिशोरजी का नाम बताया, तो ये कहां के हैं, इनको सरकार की तरफ से सहायता मिली है या नहीं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह सब कुछ बता दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I understand the point. माननीय सदस्य, मुक्तिलाल जी, यह जो आपने कहा कि नन्दकिशोर जी आपके मित्र हैं ये कहां रहते हैं, क्या काम करते हैं, यह बतला दीजिए विस्तृत रूप से। कौन जाति के हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं अर्ज कर रहा हूं माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय को पूरी डिटेलवार बता दूँगा।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : सदन को बताइये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैंने कह दिया है कि माननीय मंत्री महोदय को पूरी डिटेल बता दूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन जानने की इच्छा रखता है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) - When the name has been mentioned in the House, then the identification should not be hidden from the House.

श्री उपाध्यक्ष : If there are two names...

श्री पी० के० चौधरी : There may be five. He must disclose the identity, so that the doubt in the minds of the Hon'ble members should be removed. The identity should be disclosed.

श्री उपाध्यक्ष : You want the identity of the man ?

यह सदन की इच्छा है कि उन व्यक्ति का पूरा विवरण दे दें। कहां रहते हैं ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उसका मकान जो है वह मैं पूछकर बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : जाति के कौन हैं !

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : माननीय सदस्य उसका मकान और नाम पूरी तरह नहीं जानते हैं ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उसका नाम बता दिया है और अगर सरकार चाहे तो पूरी जांच करा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !! आप जाति और बता दीजिए । जाति कौन सी है, that will do.

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं जानता तो बता देता ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह पूरी जानकारी से नहीं कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : यस, आरम्भ रखिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए सरकार के खिलाफ जो राजनैतिक मूवमेन्ट चलते हैं उस मूवमेन्ट के अन्दर राजनैतिक कैदी मान लिए जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सरकार के खिलाफ अब चलते हैं उनसे संबंधित नहीं है !

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): कैदी कहां से आ गए ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : उस समय की बात है तो ठीक है साहब ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो ऋण दिए गए हैं २३ लाख रुपये के मकान बनाने के लिए वे बड़े बड़े शहरों में दिए जाते हैं, जब कि रूरल एरिया के अन्दर वे ऋण नहीं दिये जाते हैं । यहां तक कि माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे कहूँ कि लोगों के पास छप्पर के जितने भी पैसे नहीं हैं, टिनों के जितने भी पैसे नहीं है और वे लोग बाहर पड़े रहते हैं। उन लोगों को तो ऋण देना बहुत आवश्यक है । परन्तु ये जो ऋण दिये जाते हैं वह

(घंटी)

उनको दिए जाते हैं जिनके पास सामर्थ्य है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है । इसकी यह पुनरावृत्ति हो रही है ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनट नहीं, दो मिनट में ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा ।

तो यह रूरल एरिया में भी ऋण दिया जाना चाहिए, न कि अर्बन एरिया में । अर्बन एरिया में धन देने से कोई फायदा नहीं होगा । अर्बन एरिया में वे लोग तो प्लॉट भी ले सकेंगे, ऋण भी ले सकेंगे कि जिनके पास कुछ पैसे और भी होंगे । इसलिए अग्निकांड के लिए और बाढ़ पीड़ितों के लिए जो सहायता रखी है माननीय उपाध्यक्षजी, अगर बाढ़ पीड़ितों और अग्नि-पीड़ितों के लिए सहायता न भी दी जाय तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार उनको चद्दरें दिला दे, तभी वे लोग यह

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

समझ सकते हैं कि हमारा आज तो घर जल गया लेकिन कल तो नहीं जलेगा। मेरे इलाके में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आदमी के तीन तीन दफा घर जल गए....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : रूस में किस तरह से है ?

श्री उपाध्यक्ष : वहां घर जलते ही नहीं हैं, घर तो यहां जलते हैं। आप विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी: माननीय सदस्य बीच में बोल जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, अब नहीं बोलेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इसलिए सरकार को चाहिए कि बजाय सहायता देने के सरकार इस बात के लिए तय कर दे कि जिनको जितनी चद्दरों की आवश्यकता हो उतनी चद्दरें पूरी दी जायं यानी आधे घर या एक घर को खुला पड़ा रखा तो इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से यह मेरी प्रार्थना है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट एक्ट में सुधार कर यह अग्नि की जो सहायता है उसको पूरी सहायता दी जाय।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जैन।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ५८ पर केवल दो मदों पर बोलना चाहता हूं, उस पर जो कटौती प्रस्ताव पेश हुए हैं उनके विषय में। सर्व प्रथम मैं डॉ० बहादुरसिंह के कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा जो उन्हें श्रीमाधोपुर पंचायत समिति को दो लाख रुपये की धन–राशि कुंए बनाने के लिए ऋण देने पर पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य के लिए यह रुपया राजस्थान सरकार ने रखा है उस उद्देश्य के बारे में मैं राज्य सरकार की प्रशंसा ही करना चाहूंगा कि वास्तव में इस ओर राज्य सरकार का ध्यान गया है और इस तरह से सिंचाई की बड़ी २ योजनाएं, सिंचाई के बड़े २ प्रोजेक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं उसी तरह से जो सिंचाई की छोटी २ योजनाएं हैं उस ओर भी राज्य सरकार ने ध्यान दिया है और इस तरह से कूप–निर्माण की ओर भी कार्य होने लगा है। श्रीमाधोपुर पंचायत समिति को दो लाख की धन–राशि स्वीकृत कर अन्य पंचायत समितियों के लिए भी रास्ता साफ किया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल सवाई माधोपुर पंचायत समिति को सवाई माधोपुर नहीं, श्रीमाधोपुर पंचायत समिति को ही दो लाख रुपये स्वीकृत करना और जो अन्य पंचायत समितियों की मांग है, राजस्थान के अन्दर जो अन्य २३१ पंचायत समितियां हैं उनको इस प्रकार की धन–राशि स्वीकार नहीं करना, मेरी समझ में नहीं आता कि उसका क्या कारण हो सकता है ? मैं समझता हूं कि जब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे तो इस विषय में भी स्पष्टीकरण करने की कृपा करेंगे। मैं इसके सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय में हमारे कोटा डिविज़न की ओर से, कोटा–बूंदी और झालावाड़ की

(श्री रूपतराज जैन)

ओर से काफी तादाद में प्रत्येक वक्त, जब बजट आता है उस समय में भी और बाद में भी जब केबिनेट मीटिंग कोटा, बूंदी और झालावाड़ में हुई थी तब भी काफी तादाद में मांग की गई थी कि हमारे इलाके में बड़ी २ सिंचाई योजनाएं, मध्यम श्रेणी की सिंचाई योजनाएं और छोटी छोटी सिंचाई योजनाएं आज तक पूरी तरह तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन इन मांगों का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है। केवल कुछ कर्ज दिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार चार पांच, सौ या हजार रुपये कर्ज में देने से कोई काम चलता नहीं है। इन तीन जिलों की ओर से काफी तादाद में प्रत्येक वर्ष मांग प्रस्तुत की जाती है, मगर हर वर्ष हमारे इन तीनों जिलों की; कोटा, बूंदी और झालावाड़ की उपेक्षा की जाती है। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि झालावाड़ जिला ६ तहसीलों और दो सब-डिविजन और छः पंचायत समितियों में बंटा हुआ है। उसमें केवल तीस लाख रुपये की मांग की गई है लेकिन वह आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, आज उनको पेंडिंग पड़े हुए दो-तीन साल का अर्सा हो गया है मगर उस मांग को पूरा नहीं कर सके हैं। हम बड़ी २ सिंचाई योजनाएं तैयार कर रहे हैं, मीडियम इर्रिगेशन की योजनाएं तैयार कर रहे हैं, माइनर इर्रिगेशन की योजना कर रहे हैं मगर जहां तक झालावाड़ जिले का सम्बन्ध है वहां पर केवल मीडियम साइज़ की योजनाएं भीम सागर और काली सिंध की योजनाएं हैं लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना खत्म होने को आई लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो सका है। जहां तक माइनर इर्रिगेशन का सवाल है, एक भी योजना झालावाड़ जिले के लिए आज तक तैयार नहीं हुई है और न काम ही प्रारम्भ हुआ है। ऐसी सूरत में जहां तक इन तीन जिलों का सवाल है, हम यह चाहते हैं आप से और आपके द्वारा मंत्री महोदय और राज्य सरकार से कि वह इस पर विचार करे और हमारे जिले को अगर कोई सहायता न दे तो कम से कम काश्तकारों की उन्नति के लिए तो कार्य करे। जिस तरह से पंचायत समिति श्रीमाधोपुर को दो लाख रुपये की सहायता दी गई तो फिर हमारे जिले ने ही क्या बिगाड़ा है? झालावाड़ जिले की और इसकी छः पंचायत समितियों की जिस तरह की हालत है उसको मद्देनजर रखते हुए जरूर विचार करना चाहिए। हमारे यहां पर अन्य योजनाओं से कुंए ही ज्यादा सफल हो सकते हैं। उनसे न केवल उत्पादन ही बढ़ेगा, बल्कि काश्तकारों में बेकारी दूर होगी, उनकी आर्थिक अवस्था की उन्नति होगी और इसलिए जो तीस लाख रुपये की मांग हमारे इलाके से की जा रही है तो उसके लिए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह श्रीमाधोपुर पंचायत समिति को दो लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, झालावाड़ जिले की छः पंचायत समितियों को तीस लाख रुपये अपने कार्य पूरा करने के लिए ऋण देने की राजस्थान सरकार कृपा करे। इससे न केवल काश्तकारों की उन्नति होगी, पैदावार बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा; बल्कि जो बेकारी हमारे किसानों में फैली हुई है वह भी दूर होगी। इसके परिणाम तुरन्त सामने आयेंगे। बड़ी २ योजनायें पांच, दस, बीस साल में पूरी होती हैं और काफी बाद में उनके परिणाम सामने आते हैं किन्तु इसमें तो छः महीने में परिणाम सामने आ जावेंगे,

(श्री सम्पतराज जैन)

हमारा उत्पादन बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ओर सरकार द्वारा जो हमारी उपेक्षा की गई है उसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि हमारी राज्य सरकार निश्चित रूप से जो छः पंचायत समितियों की मांग है उसको पूरा करेगी और जब एक पंचायत समिति को यह ऋण दिया गया है तो हमारे जिले की पंचायत समितियों को भी अवश्य ही ऋण दिया जायेगा।

इसके अलावा मैं दूसरे कटमोशन जो कि मध्यम आय गृह निर्माण योजना से सम्बन्धित है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। इस विषय में कई माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं। मैं उनके पक्ष में निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए जो २३,४७,०००) रु० की मांग राज्य सरकार की ओर से आई है मैं समझता हूं कि बहुत उचित तो है ही और यदि यही मांग राज्य सरकार की ओर से अधिक तादाद के लिए प्रस्तुत की जाती तो ज्यादा बेहतर होता। इसके अनुसार तो एक एक लाख रुपया भी प्रत्येक जिले में नहीं आएगा। नतीजा वही होगा जो अब तक हुआ है। छोटी आय वालों को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है। उसका कारण क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो तेईस लाख रुपया रखा गया है उसके अनुसार एक लाख या पिचत्तर हजार रुपया प्रत्येक जिलावाइज़ तकसीम कर दें तो इससे क्या नतीजा निकलने वाला है? एक जिले के सदर मुकाम पर दस बीस कम आय वाले या मध्यम आय वाले मकान बन जायें और सारा जिला खाली पड़ा रहे तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्यम आय वर्ग के लोग जिले के सदर मुकाम पर ही नहीं, तहसीलों और देहातों में भी काफी तादाद में रहते हैं। छोटी आय-वाले और मध्यम आय वाले करीब ६० प्रतिशत देहातों में निवास करते हैं, उनके लिए भी गृह निर्माण की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि जिले के सदर मुकाम पर दस बीस मकान बना जाने से ही काम चलने वाला नहीं है; रूरल एरिया में, देहाती क्षेत्र में इस योजना को प्रारम्भ करना आवश्यक है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक जो देहाती एरिया की उपेक्षा की गई है वह उपेक्षा निश्चित रूप से दूर की जानी चाहिए। मैं इस सिलसिले में यहां यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि झालावाड़ के अन्दर अब तक कम आय वाले और मध्यम आय वर्ग के गृह निर्माण की योजना में एक भी मकान रूरल एरिया में या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बना है, इन क्षेत्रों में एक भी व्यक्ति को लोन नहीं मिला है। केवल जिले के सदर मुकाम पर दस–बीस आदमियों के मकान बन जाने से काम नहीं चल जाता, वहां पर जिले के सदर मुकाम पर भी हजारों आदमी ऐसे हैं जिनको रहने के लिए किराए पर मकान नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर भी प्रयत्न किया जाय और इसके साथ साथ रूरल एरिया में भी इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए।

श्री **मुरलीधर** व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासकर यह जो कटौती प्रस्ताव के अलग अलग पहलू हैं उनके समर्थन में दो शब्द कहते हुए कुछ घटनाओं

(श्री मुरलीधर-व्यास)

का उल्लेख करना चाहता हूं।

सबसे पहले खास करके यह नगर सुधार समितियों को जो कर्ज देने की बात है मैं इसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि नगर सुधार समितियों को सरकार कर्ज दे तो दे, यह ठीक बात है; उसके साथ साथ उन समितियों को जिन क्षेत्रों में काम करना आवश्यक है और जिसके लिए वह अपनी तरफ से योजना बनाकर देती है और योजना बनाने के बाद खुद का फण्ड होता है उसको सरकार मांगती है तो लोग उनको नहीं देते हैं। मैं इसके संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि बीकानेर की जो नगर सुधार समिति है गत वर्ष बीकानेर में अधिक वर्षा हो जाने की वजह से बहुत सारे मकान गिर गये और उनको ठीक करने के लिए सरकार ने कुछ सहायता भी दी। नतीजा यह हुआ कि वह सहायता और साथ ही साथ नगर सुधार समिति की सहायता मिल कर काम प्रारम्भ होना चाहिए था और मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि अगली बाढ़ आयेगी उसके पहले काम हो जायगा। सौभाग्य की बात है कि इतने जोर की वर्षा नहीं हुई इसलिए दिक्कत नहीं पड़ी, मगर वह हो जाती तो उतना ही नुकसान होता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर सुधार समिति ने सहायता दी है और सुधार समिति के पास पैसा है, लेकिन मन्जूरी देने में इतना समय लग जाता है कि बाढ़ पीड़ितों की दृष्टि से जो सहायता दी है वह वैसी की वैसी ही रह जाती है तो कोई लाभ नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार फिर से ख्याल करेगी कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार इसलिए सहायता देती है कि बहुत जल्दी लोगों को लाभ मिल जाय और योजना भी ऐसी बनाते हैं कि आगे कोई दिक्कत नहीं आये, तो यह दोनों पूरे हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त जो भी सहायता आग और बाढ़ के संबंध में दी जाती है वह तुरन्त मिलनी चाहिए और इसके संबंध में वैसे सरकारी तौर पर आज्ञा भी है। परन्तु मैं कई उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि वाकई में लोगों को सहायता जल्दी नहीं मिलती है, खास करके ग्रामीण लोगों को। मैं एक छोटी सी बात कहूं अगर आप उसको दर्ज कर लें तो। नोखा के समीप एक कक्कू नाम का गांव है वहां पर हरिजन के मकान में आग लग गई। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पंचायत की ओर से रिपोर्ट पेश हुई। तहसीलदार ने जांच भी की। उसके बाद में सहायता देने का सवाल था, लेकिन आज कम से कम ८ महीने हो गये उसको सहायता नहीं मिली। वह ५ चक्कर अपने गांव से नोखा तक और बीकानेर के लगा चुका है, लेकिन उसको सहायता नहीं मिली। अब ५०, ६०) रु० सहायता दे दें तो क्या लाभ? उसका खर्चा कितना हो गया? सवाल यह है कि जांच फौरन होनी चाहिए, और फौरन सहायता मिलनी चाहिए ताकि उसको रिलीफ मिल सके। यह सहायता रिलीफ के लिए है। किसी के यहां आग लग जाय और बहुत नुकसान हो जाय तो उसको तुरन्त सहायता मिलनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। वह इस प्रकार से नहीं मिलता है इसलिए मैं मंत्री महोदय से खास करके निवेदन करूंगा कि वाकई स्थिति क्या है; इसकी जांच करायें और जांच कराने

(श्री मुरलीधर व्यास)

के बाद कम से कम सहायता जल्दी मिल सके इसका प्रबन्ध करें।

दूसरी बात, जो मकान निर्माण के लिए सहायता दी जाती है आज उसकी स्थिति बड़ी विचित्र है। एक ओर तो राजस्थान सरकार कहती है नगर सुधार समिति या म्युनिसिपल बोर्ड्स से कि वे जमीनें नहीं बेच सकती हैं। लोगों को जमीनें नहीं मिल सकती हैं। स्थिति तो यह है कि ऐसा कानून में साफ नहीं है कि लोग जमीन ले सकें। दूसरी ओर आप पैसा देते हैं और लोन देकर लोगों से मकान बनवाना चाहते हैं। लेकिन कानून आपका यह है कि जमीन नहीं मिल सकती है तो आखिर उस पैसे का उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? इस प्रकार से मकान जल्दी से निर्माण करवाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले राजस्थान में मकान बनवाने के लिए जमीन मिल सके, इस प्रकार का कानून बनाइये या इस प्रकार की व्यवस्था दें। इस प्रकार से कानूनी दृष्टि से आपने रोक लगा रखी है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि कई लोगों को, हरिजन व पिछड़े वर्ग के लोगों को जहां वे पुराने बसे हुए हैं वहां से हटाने के लिए नगर सुधार समिति बात करती है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से होती है। कानूनी कार्यवाही के जरिये उनको हटाया जाता है, लेकिन परिस्थिति यह है कि एक ओर तो हटाया जाता है और दूसरी ओर वे रहने के लिए जगह मांगते हैं तो उनसे कहा जाता है कि कानूनन जमीन नहीं मिल सकती है, तो क्या आप ऐसे आदमियों को बीच में लटका कर रखना चाहते हैं? दूसरी ओर आप कानूनी कार्यवाही भी करें और उन लोगों को जो बेचारे पिछड़े वर्ग के हैं जिनके पास साधन नहीं हैं, उन लोगों को जमीन भी नहीं है कि कहीं झोंपड़ी बना कर बैठ सकें; दूसरी सुविधा आप देते नहीं हैं। नगरपालिकाएं इस प्रकार से जमीनें नहीं बेच सकती हैं, दूसरी ओर उनको हटाया जाता है तो क्या आदमी को बीच में लटका कर तो नहीं रखना चाहते हैं? कानूनी स्थिति से इस मामले को स्पष्ट करना चाहिए।

जहां तक मकान देने से इसका सम्बन्ध है, लोन देने के बारे में कई इस प्रकार के प्रश्न आये हैं कि कई जगह उन लोगों को नहीं मिला है जिनको प्राथमिकता से मिलना चाहिए था। प्राथमिकता उनको मिलनी चाहिए जिनके पास में मकान नहीं है, जो साधनहीन हैं।

तीसरी बात, खास करके मकान बनाने के बारे में प्राथमिकता किसको देनी चाहिए, उसके बारे में है। प्राथमिकता उनको देनी चाहिए जो कि सहकारी समितियां हैं। जो गृह निर्माण सहकारी समिति बना कर, कुछ लोग मिल कर इस प्रकार का इन्तजाम करते हैं उनको सरकार को प्राथमिकता देनी चाहिए। सरकार उनको साधन सुविधा दे, कर्ज भी दे। तो उससे क्या होगा कि थोड़े से पैसों में व्यवस्थित बस्ती बसाई जा सकती है। तो उसके सम्बन्ध में सरकार विचार करे।

चौथी बात यह है कि पोलिटिकल सफरर्स के बारे में कई दफा कई बातें आई हैं। जहां तक पोलिटिकल सफरर्स के बारे में जो सहायता देते हैं वह ठीक बात है कि वाकई में

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो सफरर्स हैं उनको ही मिलनी चाहिए। वे किस प्रकार के हों, उसके बारे में नियम बनाये हुए हैं और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उन लोगों को मिलना चाहिए कि जो वाकई में सफरर्स हों और साथ ही साथ जो इस प्रकार के सफरर्स भी हैं जिनमें कुछ लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं मिलता है ! कुछ तो ऐसे हैं जिनका मतलब है कि सरकार से सफरर्स के नाते काम मांगते हैं तो उनको नौकरी नहीं मिलती है और दूसरी और प्रकार की सहायता भी नहीं मिलती है। तो ये दोनों बातें नहीं होनी चाहिए। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। बीकानेर में सुरेन्द्र नाम के एक व्यक्ति हैं जिन पर बम्ब केस बना था और उनको देश निकाला दे दिया गया था। अब वे ऐसे व्यक्ति हैं कि जो किसी प्रकार से ऐसे पोलिटिकल सफरर्स की हैसियत से कोई पैसा नहीं मागते हैं। वह इसको ठीक नहीं समझते हैं, परन्तु वे जो उद्योग करते हैं, जो काम करते हैं अगरबत्ती बनाने का, तेल बनाने का, उसके लिए कर्ज मांगते हैं तो इस मामले से भी उनको कर्ज नहीं मिलता है। वे पोलिटिकल सफरर हैं और परिस्थितियों से हैरान हैं। आप इस प्रकार की जांच करना चाहें तो कर सकते हैं। आप देखें कि उनका इतिहास कैसा रहा ? उनको कम से कम ऐसी सहायता मिलनी चाहिए।

ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनको यह सहायता भी नहीं दी जाती है। मैं आपको कहूँ कि अजमेर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा था कि मरजीदां नौकरी ले लेते हैं, वह ले लेते हैं, यह ले लेते हैं। बीकानेर में भी ऐसे लोगों को सहायता दी गई है जो रसगुल्ला बनाते हैं। मिठाई के लिए सहायता दी। ठीक बात है कि रसगुल्ला बनाते हैं, इसके लिए सरकार ने सहायता दी, मिठाई के लिए सहायता दी; लेकिन जो वाकई में छोटे ढंग से अपना काम करते हैं, छोटा उद्योग है गअरबत्ती बनाने का, तेल बनाने का, उसमें सहायता के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी। कितने ही दिनों से दरख्वास्त दे रखी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बीकानेर राज्य के जमाने में वायसराय को बम्ब से उड़ाने का षडयन्त्र उनके विरुद्ध बना और कई बर्षों तक वे बम्बई आदि जगहों पर बाहर रहे। वे इस वक्त भी सहायता नहीं मांगते हैं बल्कि सिर्फ काम के लिए ऋण मांगते हैं, वह भी आप नहीं देते हैं तो इस पर विचार करना चाहिए। कई पोलिटिकल सफरर्स इस विचार के भी है कि वे सहायता नहीं चाहते हैं, वे इस प्रकार से ऋण आदि चाहते हैं तो उनको कम से कम वह मिलना चाहिए।

दूसरा, यह कहना चाहता हूं कि पोलिटिकल सफरर्स के बीच में उन लोगों को भी लेना चहिए जो आजादी के बाद में आज भी होते हैं ! आजादी के बाद में जैसे गोआ का जंग हुआ। वहां पर बहुत से लोग गये, कुछ मरे भी। आपको मालूम है कि राजस्थान के श्री पन्नालाल यादव जो कोटा के थे उन्होंने गोआ के अन्दर झन्डा लगाया है और वहां पर उनको गोली लगी। १५ अगस्त के दिन के ८ बजे जिस समय पंडित नेहरू झण्डा लगाते हैं अपनी सीमा में वह गोआ की सीमा में लगाते हैं और गोली से मार दिये जाते हैं। उनके कोई साधन नहीं हैं, सुविधा नहीं है। उसको आप को देखना चाहिए कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

ऐसे लोग भी पोलिटिकल सफरर्स में आते हैं और उन लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिए। इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि भैरोंदत्त बीकानेर के जो जेलर थे, न जाने जब गोआ का आन्दोलन चला तब उनके दिमाग में क्या आई कि गाड़ी में बैठ कर गोआ के संग्राम में चले गये। यह ठीक बात है कि वहां जाने के बाद वे बाल–बाल बच गये। मुझे मालूम है क्योंकि वे मेरे ... । उन्होंने वहां भाग लिया। नौकरी छोड़ कर चले गये, १६–१७ साल की उनकी सर्विस थी। क्योंकि गोआ संग्राम में बिना पूछे चले गये इसलिये नौकरी से मुअत्तिल कर दिये गये। ठीक बात है, बिना पूछे चले गये लेकिन उसकी जांच होनी चाहिये कि वाकई वह व्यक्ति वहां गया या नहीं, इस पर सोचना चाहिये। कुछ नहीं तो काम देने का सवाल है। इस प्रकार से भैरोंदत्त व जवाहरलाल के एम्पलॉयमेंट एक्सचेन्ज में कार्ड बन चुके हैं। वे आपसे मदद नहीं मांगते लेकिन वे मांगते हैं काम। तो आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को जो आपसे पैसा नहीं मांगते, जमीन नहीं मांगते बल्कि काम मांगते हैं, ऋण मांगते हैं उनको सहायता देनी चाहिये। इसी सम्बन्ध में मैं कहना चाहता था। मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Minister.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी उत्तर दें उससे पहले जो कुछ कटौती प्रस्ताव खास तौर से वन के बारे में, हाउसिंग के बारे में माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनके बारे में थोड़ा उत्तर देना चाहूंगा।

हाउसिंग की मांग में जिस प्रकार का जिक्र है उसमें मिडल इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के लिये २३ लाख रुपये इन्श्योरेन्स से मिले हैं। वे गवर्नमेंट के पास आये हैं। इस बारे में यह प्रोविज़न है और सदन के सामने मांग आई है; इस सिलसिले में बहुत सी बातें कही गई। खास तौर से श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने दो–तीन पहलुओं पर जोर दिया और मेरे ख्याल से एक तो यह कहा कि डिस्क्रिपेन्सी नहीं रहनी चाहिये, अमुक गांव के लोगों को नहीं मिलेगा और शहर के लोगों को मिलेगा, यह डिस्टिन्कशन नहीं रहना चाहिये। दूसरी बात यह कही गई कि इस हाउसिंग स्कीम में लोन देने जो प्रोविजन है वह कुछ इस तरह से दिया जाता है जिसमें इन्कम की जांच पड़ताल पूरी तरह से नहीं होती। कुछ लोगों को एक ही घर में दो–दो लोन मिल जाते हैं और कुछ ऐसे लोगों को लोन मिल जाता है जिन्होंने जितनी इन्कम बता कर लोन लिया है उनसे कहीं ज्यादा कोस्टली मकान बन जाते हैं तो ठीक तरह से वितरण की व्यवस्था नहीं है, यह उनकी दूसरी आपत्ति थी।

फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो कटौती प्रस्ताव रखा उसमें उन्होंने यह कहा कि इस इन्कम ग्रूप में आमदनी ६,००० सालाना रखी है। इसका नतीजा यह होता है कि ६ हजार से ऊपर की आमदनीवाले तो मकान वैसे ही बना सकते हैं, नीचे वाले नहीं बना सकते इसलिये उन्होंने सुझाव दिया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कि १,६०० से ऊपर की आमदनी वाले लोगों को मिडल इन्कम ग्रूप में मान लेना चाहिये। राजस्थान में ऐसा नियम लागू होगा तब वे १२ हजार से २० हजार तक का लोन ले सकेंगे। एक दो और माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि सिलेबस में परिवर्तन या चेन्ज की जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष, मेरे ख्याल से इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमारे यहां राजस्थान में इस प्रकार की योजनाएं हाउसिंग के बारे में चल रही हैं: एक तो लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम, दूसरी मिडल इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम, तीसरी रूरल हाउसिंग स्कीम और चौथी योजना गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स द्वारा मकान बनाने के लिये कर्जा देने की व्यवस्था। अब इन सारी स्कीम्स के लिये अलग अलग नियम हैं और अलग अलग जगह से पैसा आने के रिसोर्सेज़ हैं और उन सब समस्याओं को अलग २ तौर से डील किया जाता है। लोअर इन्कम ग्रूप में जिनकी आमदनी ५,००० रु० तक है उनको ८,००० रु. तक का कर्जा दिया जाता है, उनकी आमदनी देख कर। क्योंकि लोन देना ही सरकार का काम नहीं है; यह भी देखना सरकार का काम है कि जिनको लोन दिया जाता है उसको वापिस देने की केपेसिटी उन आदमियों में है या नहीं। जो रिसोर्सेज़ उनके पास हैं उनमें ३० साल में वापिस लौटाने की व्यवस्था करनी होती है। इस लोन को उन्हें किश्तों में हर साल लौटाना पड़ेगा। उनकी केपेसिटी वापिस पेमेन्ट करने की है या नहीं; इन बातों को साथ में ध्यान में रखना पड़ता है और रूल्स इस तरह के बने हैं। लोअर इन्कमवालों को ८ हजार का लोन मेग्ज़िमम दिया जाता है। इसके साथ साथ उसका खुद का प्लॉट होना चाहिये और मकान बनाने में २० पर्सेन्ट उसको खुद को कॉन्ट्रिब्यूट करना पड़ता है। इस तरह से ८,००० रु० का लोन जिनकी आमदनी ५,००० रु० सालाना तक है, दिया जाता है। यह भारत सरकार की स्कीम है और उन्होंने राज्य सरकार की सलाह पर यह वाजिब माना है कि जिसकी आमदनी ५,००० रु० सालाना है उसको मेग्ज़िमम ८,००० रु० तक का लोन दिया जाय जिसको वह ३० सालाना किश्तों में चुका सके।

इसी तरह का मध्यम वर्ग का लोन है। फुलेरा से आनेवाले माननीय सदस्य को शायद जानकारी नहीं है कि १२ हजार से लेकर १६ हजार तक का लोन देने की व्यवस्था है और १६ हजार का लोन लेने के लिये ६ हजार रुपया सालाना से अधिक आमदनी होनी चाहिये ताकि जितना लोन दिया जाय वह २५ या ३० साल में वापिस आ सके। इसलिये जैसा कि वे कहते हैं ३,६०० रुपयों की सालाना आमदनीवालों को देना चाहिये उनको यदि १२ हज़ार से १६ हजार रुपयों का लोन दिया जाय तो मेरे ख्याल से यह उनकी केपेसिटी से बाहर होगा। या तो उस रुपये का दुरुपयोग होगा या ज़ितना उनको स्वयं को कॉन्ट्रिब्यूट करना आवश्यक है उतना वे कॉन्ट्रिब्यूट नहीं करेंगे इसलिये इससे गड़बड़ होगी। इसलिये इस स्लेब को चेन्ज नहीं किया जा सकता। यह भारत सरकार की जैसी स्कीम है उसमें परिवर्तन करना मुमकिन नहीं है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :-

(श्री पी. के चौधरी)

Point of information. Sir. This demand was moved by the Finance Minister and I think he is not winding up the reply.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष को पता है, माननीय सदस्यों को पता है कि वे जवाब दें उनसे पहले कुछ पॉइन्ट्स के बारे में मैं खुलासा करना चाहता हूँ इसके लिये मैंने उपाध्यक्ष महोदय से इजाजत लेली है....

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): फाइनेन्स मिनिस्टर साहब क्लियर नहीं कर सकेंगे क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा :तो मैं कह रहा था कि स्लेब्स को चेन्ज करना न तो सरकार के लिये मुमकिन है और न इसको चेन्ज करने पर लोग रुपये वापिस आसानी से किश्तों में बराबर दे सकेंगे ।

(३. म० प०)

दूसरी बात यह कही गई कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, गांव वालों को भी मिलना चाहिये । लेकिन ऐसी व्यवस्था हो नहीं सकती । उसकी वजह यह है कि जो रुपये किसी स्कीम के तहत आते हैं वे अनलिमिटेड नहीं हैं, लिमिटेड है । लिमिटेड का किस तरह से सही उपयोग हो, उसका क्राइटेरिया तय करना होगा । माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि शुरू शुरू में जब यह स्कीम लागू हुई थी तब कैपिटल में शुरू की गई थी, फिर डिविजन्स में शुरू की गई, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स तक पहुंचाई गई । अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में सब-डिविज़न्स और तहसीलों तक ले जाना चाहते हैं ....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : On a point of information आपके डिपार्टमेंट में कोई पोर्शन आता है क्या मिडिल इन्कम या लो इन्कम ग्रूप स्कीम का ?

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : As a Member of the House I think he can speak.

श्री नाथूराम मिर्धा: मैं समझ नहीं पाया कि क्या वे यह चाहते हैं कि जवाब नहीं दूं ?

श्री श्रीभानसिंह : आप जवाब नहीं दें, यह तो मैं चाहता हूं क्योंकि इसका उत्तर देंगे फाइनेन्स मिनिस्टर । इन्टरवीन आप करें, यह दूसरी बात है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप कह सकते हैं । लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय से इजाजत ले चुका हूं और मैं बोलने का हक रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, yes.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of information, the Hon'ble Minister can intervene regarding his own Departments only.

श्री उपाध्यक्ष : No, no. That is not the case. If he has additional knowledge he can take part.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री नाथूराम मिर्धा)

महोदय, तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि रूरल हाउसिंग स्कीम के अन्दर जितना पैसा है उसके तहत में सारे रूरल हाउसिंग का एक साथ प्रोग्राम टेक-अप नहीं किया जा सकता। इसलिए उस स्कीम के तहत कुछ विकास खंडों को चुना गया है। इस स्कीम के तहत नियम बने हुए हैं। जिस विकास खंड के लिए रूरल हाउसिंग का प्रोविजन है उस विकास खंड में कोई आदमी जो मकान बनाता है वह मकान बनाये अपने प्लॉट में तो उसको एक हजार तक कर्ज दिया जा सकता है और एक हजार रुपया उसे स्वयं को लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एक पर्टीक्युलर डिज़ाइन, जो प्रैस्क्राइब्ड है ब्लॉक में, उस तरह का मकान बनाये। उसकी अलग अलग प्रकार की स्कीमें हैं। हर एक गांव में एक तरह की स्कीम हो, यह सम्भव नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : गांव वालों के लिए इसके मुकाबले में फंड नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मुकाबले में नहीं है, काफी फन्ड्स हैं। लो इन्कम हाउसिंग ग्रुप के लिए प्रोविज़न है ३५ लाख का और गांवों के लिए ३६ लाख का है। तो प्रोविज़न के मुकाबले का अलग प्रश्न है। इसके अलावा जैसा कहा गया कि इस स्कीम को सब जगह लागू किया जाय, वह मुमकिन नहीं है। इस वजह से जो रुपया है इसके अन्दर, वह रूल्स के अनुसार पूरा खर्च किया जा सकता है।

अब सवाल रहा कि इस रुपये का कि वितरण सही नहीं होता है, आमदनी का सही केल्कुलेशन नहीं होता है। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं और बहुत से माननीय सदस्य जानते हैं कि मोस्टली इस स्कीम के तहत जो फॉर्म्स भर कर आते हैं उनको एम० एल० एज़० ही वेरीफाई करते हैं, इस सदन के एम० एल० एड़० ही वेरीफाई करते हैं....

श्री भैरोंसिंह : किसको करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : लो इन्कम ग्रुप और मिडिल इन्कम ग्रुप के जो फॉर्म्स आये हैं, उनमें से ६० पर्सेन्ट, जितने लोन्स सेक्शन हुए, उन आदमियों की आमदनी का वेरीफिकेशन एम०एल० एज़० ने किया है कि अमुक आदमी की अमुक इन्कम है....

श्री पी० के० चौधरी : For the Middle Income Group it is not done by M. L.A's cretificate but by the Incom Tax Department...

श्री नाथूराम मिर्धा, I am talking of the Low Income Group people.

श्री पी० के० चौधरी : But not in the case of Middle income group.

श्री नाथूराम मिर्धा : I can revise if I have said, "Middle income group. I am talking of the Low Income Group. तो लो इन्कम ग्रुप के बारे में यह है। अब इसके बाद में सवाल रहा कि एक मकान के अन्दर दो आदमियों ने लोन लिया है। हो सकता है कि किसी ने लिया हो। रूल्स के अनुसार, अगर जोइन्ट नहीं रहते हों और सेपरेटली बनाना चाहते हैं, तो दो आदमी ले सकते हैं। मकान ठीक बनायें। मकान बनाने के बाद में उपयोग नहीं किया

(श्री नाथूराम मिर्धा)

और किराये पर दिया। यह बात हो सकती है। जैसे लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में मैंने जोधपुर में ऋण लिया था और मैंने मकान बनाया। जिसके अन्दर चार साल से मैं नहीं रहता ....

श्री श्रीभानसिंह : Under what rules you can give it ? आप कह सकते हैं ? I can challenge your statement. There is nothing in the rules.

श्री नाथूराम मिर्धा : There is.

श्री श्रीभानसिंह : हम चाहेंगे कि वह रूल कोट किया जाय कि जिसके अन्दर एक मकान बना कर किराये पर दे दिया जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर किसी वजह से नहीं रह सकता हो तो ?

श्री श्रीभानसिंह : किस रूल के तहत ऐसा कर सकता है, ऐसा रूल कौन सा है ? I can say it is not there. लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्दर मकान बना लिया....

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह काम नहीं चल सकता, माननीय सदस्य....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : I cannot force the Hon'ble Minister. If he likes, he may clarify the position.

श्री श्रीभानसिंह : The Chair has not asked the Minister to clarify...

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बोल रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : It rests with the discretion of the Minister to clarify his position under the rules.

श्री श्रीभानसिंह : मैं ऐसा कहूं कि इसमें डिस्क्रीशन नहीं हो सकता। ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, यह वेलिड है लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में मकान बनाना और उसको किराये पर दे देना। इसका प्रभाव क्या पड़नेवाला है राजस्थान के अन्दर, जब असेम्बली में ऐसा स्टेटमेंट हो जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से माननीय सदस्य जिस तरह का रुख ले रहे हैं उससे यह है कि वह मकान नहीं छोड़ना चाहिए, वहीं रहें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर....

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां मकान था....

श्री उपाध्यक्ष : Yes. Mr. Bhairon Singh, state your point of order.

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order, Sir...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री भैरोंसिंह : मैं प्रिविलेज मोशन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रिविलेज मोशन यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने रूल्स का वायोलेशन करके सरकार से लोन लिया; लो इन्कम ग्रुप, मिडिल इन्कम ग्रुप के अन्तर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद, जब गवर्नमेंट की कन्डीशन है कि उस मकान को बना लेने के बाद रिहायसी काम में लेंगे, उसके विपरीत किराये पर दिया, जिसका हाउस के अन्दर कन्फेशन किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि जान–बूझ कर रूल्स का वायोलेशन किया है, जिसका कमिटमेंट हाउस में किया है। ऐसा रूल्स का वायोलेशन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, जिसके सम्बन्ध में सदन के सभी माननीय सदस्यों को अधिकार है कि माननीय मंत्री की इन्टेग्रिटी की पूरी जानकारी रूल्स के अनुसार इस सदन में प्राप्त करें; पद का जो इस प्रकार से निश्चित रूप से दुरुपयोग हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस....

श्री भैरोंसिंह : This is my issue of privilege, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : जो फैक्ट्स कहे हैं, उनको डिनाई नहीं करता ....

श्री भैरोंसिंह : डिनाई नहीं कर सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रिविलेज बने, सदन की कमेटी जो कुछ करे वह कर ले....

श्री श्रीभानसिंह : यह तो कमेटी को चेलेंज है, बाद में वह कर ले, वह कर ले। पहले आप पोज़ीशन क्लियर करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले वह चीज क्लियर करायें।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें नहीं लिखा है कि किन्ही सरकम्सटान्सेज़ में किराये पर नहीं देगा।

श्री भैरोंसिंह : यह भी नहीं लिखा है कि रिहायसी मकान को किराये पर दिया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : Why should you not enlighten the House that these are the Rules which prohibit the Hon'ble Minister ?

आप क्या बात को असर्ट करते हैं that be is prohibited to give it on ent ?

श्री भैरोंसिंह : I have not got the Rules. It is for the Assembly Secretariat to provide with the Rules now.

श्री नाथूराम मिर्धा : वह रूल मेरे पास मौजूद नहीं है। रूल्स के इन्टरप्रिटेशन का सवाल है, उनका इन्टरप्रिटेशन हो जायगा। मेरे खिलाफ अगर प्रिविलेज इश्यू बनता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। रूल्स का इन्टरप्रिटेशन बहस से नहीं हो सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : बहस नहीं कर रहे हैं, वे कह रहे हैं, किस रूल के मुताबिक आपने सब-लेट कर दिया ? जहां तक उसकी स्कीम है, जिन आदमियों के पास मकान

(श्री श्रीभानसिंह)

नहीं हैं, वे रहने के लिए मकान बनायें, किराये पर देने के लिए हाउसिंग स्कीम नहीं हो सकती। वह रूल बतायें जिसके तहत आपने किराये पर दे दिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने सारी परिस्थिति बता दी है। इन सारी परिस्थितियों के अन्दर चाहूँगा कि आप गौर करें। जिस समय मकान बनाया उस समय मैंने नहीं सोचा कि जयपुर में रहना पड़ेगा। जोधपुर में रहने के लिए मेरे पास मकान नहीं था, इसलिए मैंने रहने के लिए मकान बनाया। उस मकान में मैं तीन साल तक रहा। उसके बाद मैं यहां आ गया मेरी पोज़ीशन की वजह से और वह मकान खाली हो गया। फिर क्या मैं उसे खाली पड़ा रखता ? मैं समझ नहीं पाया ?....

श्री मुरलीधर व्यास : मैं जानना चाहता हूँ....

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ख्याल नहीं था...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री नाथूराम मिर्धा : कि मैं जयपुर में आऊंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहना चाहता हूं....

श्री नाथूराम मिर्धा : इस रूल के उपरांत मैं कहता हूं कि जिस प्रकार का इसका इन्टरप्रिटेशन हो और जिस प्रकार की बात हो, जो कॉन्सिक्यूएन्सेज़ होंगे, I am prepared to bear them.

(श्री मुरलीधर व्यास के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह क्लेरिफिकेशन चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने जो बात कही है इसमें मैं थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूं। लेकिन इस बात को क्लियर करना चाहिए कि जिन व्यक्तियों ने मकान बना लिया वे किसी का मकान किराये का है उसमें वे रहते हैं और दूसरों को उस मकान को किराये पर दे रखा है। उसको क्या आप ठीक समझते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उसको ठीक नहीं मानता, यह मैंने कब कहा कि मैं ठीक मानता हूं ? मैंने परिस्थितियां बताई हैं, आप समझ लीजिए। मैंने यह नहीं कहा कि रूल्स के अन्दर पर्मिटेड है। मैंने कहा है कि मैंने जिस प्रकार सबसे पहले गवर्नमेंट को सैंक्शन लेकर पर्टिक्युलर परिस्थितियों में किया; एक आदमी इजाजत लेकर कर सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : यह आप अब कह रहे हैं ! This is now you are qualifying your statement but on what date you got permission ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब सुन लीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : On what date you got that permission ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने परिस्थितियां आपको बता दीं।

श्री श्रीभानसिंह : परिस्थितियां वे नहीं हैं। आपने कहा कि देना वाजिब है, सब–लेट करना वाजिब है, उसका क्लेरिफिकेशन किया ....

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट की पर्मिशन लेकर ऐसा किया जा सकता है।

श्री श्रीभानसिंह : अब कह रहे हैं, पहले नहीं कहा है। आप प्रोसीडिंग्ज़ देख लीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप समझ लीजिये। अब क्या हो गया, अब क्या गजब हो गया, मैंने कह दिया तो क्या गुनाह हो गया ?

श्री श्रीभानसिंह : गजब यह हो गया, आप माफ करेंगे, एक रेस्पोन्सिबल स्टेटमेंट नहीं था कि सब–लेट करना रूल्स के तहत पर्मीसिबल है। हम कह सकते हैं, उसका यूज़ नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से हाउस के अन्दर कहने का जनरल इफेक्ट होगा कि जो लोग मकान बनायेंगे वे सब–लेट करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : सब किराये पर नहीं दे सकते, ऐसा रूल में लिखा हुआ है।

श्री श्रीभानसिंह : आप बता देंगे कि आपने गवर्नमेंट से सेंक्शन लेकर रूल का रिलेक्सेशन करा लिया है और कब करा लिया था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गवर्नमेंट की सबसे पहले सेंक्शन, नोलेज में है कि मैंने मकान किराये पर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : रिटन सेंक्शन ली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब ले लेंगे, अगर नहीं ली है।

श्री भैरोंसिंह : अगर, मान लीजिये नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा : अब तक नहीं ली है तो अब ले लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अब रूल्स का वायोलेशन किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स का वायोलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि जो परिस्थितियां थीं ...

श्री भैरोंसिंह : मेरे दो केटेगोरिकल क्वेश्चन्स हैं। माननीय मंत्रीजी ने अभी, जो दुबारा कहा है, उसमें एक बात स्पष्ट रूप से कही है, रूल्स में किराये पर देने के लिए कोई पर्मिसिबल नहीं है, पर्मिटेड नहीं है। मैं आपके वर्ड्स रिपीट करूं, तो उसमें यह है कि मकान किराये पर देने के लिए पर्मीशन नहीं दे सकते, पर्मिसिबल नहीं है। आप प्रोसीडिंग्स देख लीजिये। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट से सबसे पहले सेंक्शन ले ली है। बाद में कहा, अब तक नहीं ली है, अब ले ली जायेगी। मेरा डाइरेक्ट क्वेश्चन है कि जब रूल्स में पर्मिसिबल नहीं है, बिना गवर्नमेंट की पर्मीशन लिये जब मकान किराये पर नहीं दिया जा सकता, तो क्या रूल्स का वायोलेशन आपने नहीं किया ?

श्री उपाध्यक्ष : You can take by implications.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री श्रीभानसिंह : Why by implications, it has been stated in the House?

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स में इस प्रकार के प्रोविज़न्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I would like to have the rules then. Both the sides are putting emphasis on the rules, but without putting those rules in the House.

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी रूल्स के बारे में जानकारी है। मैंने पहले ही कहा कि रूल्स मेरे पास नहीं हैं। मगर उसमें लिखा है वह यह है कि जिस जगह उसने मकान बनाया है....

श्री पी. के. चौधरी : I think, the Chair has given a Ruling that the Rules should be placed in the House, before him.

श्री उपाध्यक्ष : I have asked for that.

श्री नाथूराम मिर्धा : दूसरा यह है कि A part of the House can be rented.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Minister, please to ask the Department to produce the rules.

श्री श्रीभानसिंह : They may be available in the Assembly Secretariat and can be easily called for here.

श्री उपाध्यक्ष : This is not a question of privilege issue.

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ समय पहले माननीय मंत्री महोदय ने कुछ कहा...

श्री उपाध्यक्ष : This has been amply emphasised by Shri Bhairon Singh. It does not need any more emphasis.

श्री मुरलीधर व्यास : आम रूल्स क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय मंत्री इस पद पर हैं और वे अपने पद का दुरूपयोग कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ !!

श्री श्रीभानसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स की कॉपी अपने यहां असेम्बली सेक्रेटेरियट में है, यहां से उपलब्ध की जावे। It must be ordered immediately.

श्री नाथूराम मिर्धा : रूल्स सब जगह मिल जावेंगे। अभी कोई ताकीद की बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी क्या ताकीद की बात है ? बाद में....

श्री श्रीभानसिंह : हम बाद में स्टडी कर लेंगे and the reply should be

(श्री श्रीभानसिंह)

within a certain morality and certain moral standard should be observed while replying...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order !!

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे अफसोस है कि मोरल और स्टेन्डर्ड का ठेका इन्हीं ने ले रखा है ।

श्री श्रीभानसिंह : मोरल और स्टेन्डर्ड का ठेका मैंने ले रखा है...

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस तरह से आप बोलते हैं उसी तरह से अगर मैं बोलने लगूं तो....

श्री श्रीभानसिंह : जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि 'मोरल और स्टेन्डर्ड का ठेका ले लिया है '; मेरा मोरल और स्टेन्डर्ड मेरे पास है और आपका मौरल और स्टेन्डर्ड आपके पास है । इससे पहले हाउस में....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका मोरल स्टेन्डर्ड....

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, कोई व्यक्तिगत मोरल की बातें यहां पर नहीं होनी चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! Order !! Yes, Hon'ble Minister to continue please.

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष मैं यह निवेदन कर रहा था कि इन लोन्स को देने और उनके प्रोपर युटिलाइजेशन के रूल्स मौजूद हैं। अगर किसी को कोई एतराज हो तो वे उसके बारे में एतराज कर सकते हैं और उसके बारे में देखा जा सकता है । हाउसिंग के बारे में जितने कटौती के प्रस्ताव रखे उसके बारे में मैंने सारा स्पष्टीकरण किया ।

इसके बाद मैं सहकारिता की जो वन की सहकारी संस्थाएं हैं उसमें हिस्सा पूंजी में कन्ट्रीब्यूट करने के बारे में और जो वर्क करे उसके सिलसिले में कर्जा देने की व्यवस्था अभी से चालू की है । यह वन के लिये बनी है और मजदूरों की है और वनों को काटने के लिये हमारे यहां राजस्थान की नई परम्परा है । यह परम्परा पिछले तीन सालों से चली आ रही है । वहां पर ३० या ३५ की तादाद में ऐसी समितियें हैं उनमें ६५ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो वन में मजदूरों का काम करते हैं उन लोगों ने मिल कर सहकारी समितियें बनाई हैं । पिछले दो वर्षों से इनको ठेका दिया गया है । इसके लिये भी नियम बने हुए हैं । उसमें यह कहा गया है कि सहकारी समितियों को जो इस प्रकार से आर्गेनाइज्ड होंगी वे जंगल का कामकाज कर सकें । उनके लिये किसी प्रकार का यह तय नहीं हुआ कि किस प्रकार का काम-काज उनको देंगे । उनको किस प्रकार से विभाग काम-काज देगा; यह सब नियमों में दिया हुआ है ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : प्रायोरिटी किसको दी जावेगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये नियम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

बने हुए हैं। यह सारा के सारा सहकारी समितियों को दिया जावे, यह क्लियर नहीं है। जो समितियां बनी हुई हैं उनको काम–काज देने में सरकार उन पर गौर करेगी और काम-काज देगी और ऐसी सहकारी संस्थाएं बनी हैं उनको उन्होंने काम-काज दिया है।

अभी झालावाड़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि झालावाड़ में सहकारी समिति बनी है और उसको सरकार ने ठेका तीन वर्षों की औसत आमदनी पर नहीं दिया। इसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह नियम है कि जो आपने तीन वर्षों के औसत की बात कही है वह नियमों में से एक नियम है। मगर इसके साथ साथ और भी नियम और बातें ठेका देते समय ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उसकी एस्टीमेट प्रोड्यूस क्या है और दूसरे ठेकों की क्या रेट्स आई हैं, इसको तय करना विभाग के हाथ है। इसलिये सहकारी समिति और विभाग आपस में बात–चीत करके जो नीति है उसको निपटाए। इस प्रकार के मामलों को निपटाने के लिये हाई पॉवर कमेटी नियुक्त की है कि इस प्रकार की प्राइसेज़ का प्रश्न पैदा हो तो उसे किसी प्रकार से तय किया जा सके....

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : आपने फिर तीन वर्षों के एवरेज की क्यों घोषणा की है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन वर्ष के एवरेज की घोषणा नहीं की है। इसमें एस्टीमेट भी लिया गया है और यह नहीं है की तीन वर्ष के एवरेज पर ही केवल ध्यान दिया जावे, यह जरूरी नहीं है।

श्री रामचन्द्र : उनको पहले इसमें टोटा लगा है और १२,००० का टोटा लगा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार के मामले सदन में बहस से नहीं निपटाये जा सकते हैं। आपने जिसको कूप दिया वह तजुर्बेकार नहीं था और हो सकता है कि उस वजह से उसको लोस लगा हो। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि ३४-३५ सहकारी समितियां हैं उनमें से एक–दो घाटे में चल रही हैं। सब को लाभ ही होगा। हां, हिस्सा पूंजी देने में कुछ जगह देर हुई है और वह रकम पिछले साल नहीं दी और इस साल भी रखी है। इसके अलावा उनको कुछ रुपया उधार के रूप में देने की भी व्यवस्था है और जिन लोगों को लोन लेने की व्यवस्था नहीं है उनको लोन दिलाया जा सकता है। इसके लिये मैं यह समझता हूं कि यह नया ही नया प्रयास शुरू हुआ था और जिसकी वजह से काफी लोगों को लाभ हुआ है। सहकारी समितियां पनप रही हैं और उनका काम–काज भी अच्छी तरह से चल रहा है। उसके बाद में जो कटौती प्रस्ताव, खास तौर पर आग लगने और बाढ़ से पीड़ितों के बारे में थे, माननीय राजस्व मंत्रीजी ने उत्तर दिया था, लेकिन दो-तीन प्रश्न थे उनके बारे में मैं थोड़ी जानकारी सदन के माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं।

धौलपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कटौती प्रस्ताव रखा कि दो लाख रुपया एक ही कॉन्स्टिट्युएन्सी में कुंए खोदने के लिए क्यों रखे जायं ? झालावाड़ से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि सब जगह मिलना चाहिये। श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि कम दिये और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सरदारशहर से आनेवाले माननीय सदस्य ने भी कहा। यह कहा गया कि दूसरी समितियों को भी मिलना चाहिये। कितना रुपया किस साल में कहां पर उपलब्ध होता है, यह पहले ही नियत किया गया था। माइनर इर्रिगेशन की वजह से सरकार ने सोचा कि अमुक क्षेत्र की योजना तैयार है। इसलिए वहां पर वित्त की व्यवस्था करनी चाहिये और इसीलिए यह प्रावधान रखा गया है। सरदारशहर में बाढ़ से नुक्सान हुआ, मंत्री महोदय भी गये और इसीलिए २॥ लाख रुपया रखा गया। ७ लाख एक जगह खर्च किया गया। जहां पर खर्च करना सरकार उचित समझती है वहां पर उसके लिए प्रावधान किया जाता है। श्रीमाधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि ८००),८००)रु. हर जगह बांट दिये जायं लेकिन कहीं आग ज्यादा लगी और कहीं कम तो उस दृष्टि से वह प्रावधान मौजूद है। डीसेन्ट्रला-इजेशन के वक्त दो लाख मौजूद थे, इसमें पंचायत समितियों के बनने के बाद वह रकम उनको ट्रान्सफर हो गई। सब्जेक्ट ट्रान्सफर होने से वह धन-राशि ट्रान्सफर हो गई। श्री माधोपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने यह दलील दी कि किसी पंचायत समिति क्षेत्र में आग से, बाढ़ से ज्यादा नुकसान हुआ तो वह टैक्स लगाये और वहां दें। जब जिम्मेदारी उनको ट्रान्सफर होती है तो पंचायत समितियों को यह दिया गया। यह आग लगने के लिए ही नहीं है दूसरे रिसोर्सेज़ को रेज़ करना, सरकार कितना देगी यह सब निश्चित सा है। यह उनके पास रहेगी। लेकिन केवल आग लगने के लिए उसको खर्च करना पड़े; यह बात उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। खर्चे पर जिम्मेदारी है वह पंचायत समितियों की है। कुछ न कुछ प्रोविज़न तो आये साल रखना पड़ेगा। शुरुआत थी इसलिए ८००), ८००) रुपये ट्रान्सफर किये गये। पंचायत समितियों की सीमा से बाहर होता है जहां पर मीट करने की आवश्यकता होती है तो राज्य सरकार मदद पर आती है और कितना करना चाहिये; यह उसके लिए व्यवस्था करती है।

इस तरह से जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने रखे उनका मैंने उत्तर दिया।

माननीय वित्त मन्त्रीजी भी इस पर कुछ कहना चहेंगे।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): मांग संख्या ५८ के सम्बन्ध में कटौती के प्रस्ताव आये, उनमें से मेरे दूसरे सहयोगियों ने कुछ कटौती के प्रस्तावों का स्पष्टीकरण कर दिया है और जो बाकी कुछ रह गये हैं, स्पष्टीकरण के अलावा भी, मैं उन पर निवेदन करना चहूँगा।

आग लगने और बाढ़ के सिलसिले में यह कहा गया कि पंचायत समितियों को पैसा बराबर बांट दिया गया और किसी जगह यदि आग ज्यादा लग गई तो क्या होगा? पैसा उनके पास रहे और बाढ़–आग नहीं लगे तो क्या होगा? यह सवाल आया। यह पैसा पंचायत समितियों को दिया गया। जिला परिषद् उसको कन्ट्रोल करती है। जितना भी रुपया इसके लिए नियत था वह रुपया २६ जुलाई को एक तरह से बांट दिया गया। एक जिले की पंचायत समिति के लिए वैसे नियत है, लेकिन फिर भी एक पंचायत समिति में आग नहीं लगे और अपन सब ही

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चाहते हैं कि आग न लगे, दूसरी जगह आग लग गई और पैसे की जरूरत है तो जिला परिषद् दे सकती है। इसलिए यह चिन्ता करने की जरूरत नहीं है कि किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा है। लेकिन असाधारण स्थिति आयी तो जिस मद में है वह रकम तो भी....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूं कि यह रकम कहां रहती है? जिला परिषद् के पास या पंचायत समिति के पास?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: रकम तो कहीं भी रहे लेकिन जिला परिषद् को अख्तियार है कि यदि एक पंचायत समिति में खर्च नहीं हुई है तो दूसरी पंचायत समिति में कमी है तो वह दे सकती है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर, बाढ़ के लिए फन्ड अलॉट कर देते हैं। आग नहीं लगी। जो पैसा दिया हुआ है और आग के लिए खर्च नहीं होता है और जिला परिषद् उसको वापिस नहीं देती है और रीएप्रोप्रियेट करा लेती है, उनको यह अधिकार है। इस पंचायत समिति में आग नहीं लगे तो दूसरी पंचायत समिति में ट्रान्सफर कर दे, वह बात कहां है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: यह जिला परिषद् के ऊपर निर्भर करता है। वह दूसरे आइटम में खर्च नहीं कर सकती है। एक पंचायत समिति के पास अलॉट किया हुआ पैसा है और उसमें आग नहीं लगी और दूसरी में लग गयी तो ट्रान्सफर कर दिया जाय।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): ऐसा प्रोविज़न तो नहीं है एक्ट में।

श्री उपाध्यक्ष: यह सद्भावना पर है।

रावराजा श्री सरदारसिंह: पंचायत समिति में रकम इसके लिए अलॉट हुई और दूसरी मद में खर्च कर दिया तो?

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर! ऑर्डर!!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: दूसरा, श्रीमाधोपुर के लिए यह ख्याल किया गया कि उनके साथ रियायत की गई। ऐसी बात नहीं है। जहां आवश्यकता होती है वहां ही प्रोविज़न किया जाता है। श्रीमाधोपुर में भू-गर्भ में ज्यादा पानी है; इसका पता लगा है, जैसा कि जैसलमेर में पता लगा। वहां पर विशेष पानी की व्यवस्था हो सके, इसलिये दो लाख रुपया मन्जूर किया गया।

श्री सम्पतराज जैन (अकलेरा): झालावाड़ जिले में तो बिल्कुल ही ऊपर है पानी।

श्री भैरोंसिंह: ऊपर है तो वहां नहर बनेंगी कुंए नहीं बनेंगे!

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: मेजर इर्रिगेशन और बड़े २ बांधों का अलग प्रोविज़न होता है। जो यहां पर असली समस्या थी राजस्थान की उसके लिए यह किया है। वहां पर अधिक पानी की कठिनाई होती है। जहां पानी बहुत है और उपलब्ध होता है तो उनके लिए योजनायें चल रही हैं, और भी चल जावेंगी।

राजनैतिक पीड़ितों के बारे भी अलबत्ता

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

कुछ कहा गया । उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि दो दफा इस सम्बन्ध में रूल्स में संशोधन किया जा चुका है । दो साल पहले इसके लिए कमेटी बैठी थी। उस समय राजस्थान के सिवाय अन्य राज्यों में इस संबन्ध में जितने भी नियम और कानून थे उन सब को मंगाकर उनको ध्यान में रखते हुए जो ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सकती थी उसको लेकर हमने अपने यहां के कानून में संशोधन किया है ! उसके बाद भी और जो कुछ सुझाव आये थे उसके बारे में दो महीने पहले एक कमेटी बैठी थी, उस पर विचार किया और उनके द्वारा इस पर विचार होने के बाद जो हमारे यहां का कानून बनाया गया है सब रियासतों के कानून से लाभ उठाकर अच्छे से अच्छा कानून बनाया गया है । यह भी कहा गया कि फलांफलां किस्म के राजनैतिक पीड़ित इसमें आते नहीं । लेकिन जो कानून में राजनैतिक पीड़ित की व्याख्या बनाई गई है वह काफी सोच—समझ कर बनायी गई है; कोई उसमें आता नहीं है तो दूसरी बात है । बार बार नियम और कानून तो उनके लिये बदल नहीं सकते । जितने भी सुझाव इसके लिए आये हैं उन पर विचार कर लिया गया है । जो कानून में आते हैं उनको सहायता मिलती है । इसके अलावा यह भी प्रश्न किया गया है कि कितना ऋण दिया जाय या सहायता दी जाय, यह कौन तय करता है ! इसके बारे में सबसे पहले फैक्चुअल रिपोर्ट आती है जो कलेक्टर भेजता है । चीफ मिनिस्टर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कमिश्नर, कलेक्टर से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगता है और उसके लिए हरेक डिविज़न में कमेटी बनी हुई है जिसमें पांच मेम्बर हैं; जिसमें दो ऑफिशियल और तीन नॉन ऑफिशियल होते हैं । वे जो निर्णय करते हैं इतनी सहायता दी जाय या इतना ऋण दिया जाय, यह सब वे तय करते हैं और उनका फैसला आखिरी होता है । उस फैसले पर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं....

श्री पी० के० चौधरी : उनका फैसला नहीं होता है, सिफारिश होती है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उस सिफारिश को गवर्नमेंट फैसले की तरह ही मानती है ।

श्री पी० के० चौधरी : नहीं भी गवर्नमेंट माने, वह भी कर सकती है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्य को, शब्दों के अन्दर जो भाव हैं उनको समझने का प्रयत्न करना चाहिये ।

इसके बाद गोआ के विषय में भी कुछ कहा गया, लेकिन जिन राजनैतिक पीड़ितों को हम सहायता दे रहे हैं वह उन लोगों को है जिन्होंने भारत स्वतन्त्र होने से पहले कष्ट उठाये थे । आज जो कष्ट पा रहे हैं, आज तो वे सफर करते हैं उसका फायदा अभी तो वे उठा नहीं सकते और जहां गोआ में पीड़ित लोगों का सवाल है वह तो लड़ाई अभी तक चल रही है ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : गोआ भारत में आ जायगा तब मिलेगी सहायता ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आ जायगा तब की बात है, अभी तो उसके लिये लड़ाई

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

चल रही है। आज जो सफर कर रहे हैं वे यह चाहते हों कि आज ही उनको सहायता मिल जाय यह तो कैसे हो सकता है ? गोआ तो अभी तक हमारे लिये एक समस्या बना हुआ ही है...

डॉ० बहादुरसिंह ; वहां तो वाक्युद्ध हो रहा है, शस्त्र युद्ध नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इस तरह से जो भी कट मोशन्स यहां आये थे करीब करीब उन सब के बारे में मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लेंगे और जो मांग पेश की गई है उसको मन्जूर करने की कृपा करेंगे।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन कर दूं कि ये जो सप्लीमेन्टरी डिमान्डस रखी गई हैं ये इसलिये हैं कि जिनके लिये कॉन्टिन्जेन्सी फन्ड से पैसा या तो दे दिया गया है या दिया जाने वाला है। ५० हजार रुपया ही साल भर के खर्चे के लिये हो, यह बात नहीं। उसके लिये जो निर्धारित राशि थी उसके खर्च होने के बाद पचास हजार रुपये की अतिरिक्त मांग रखी गई है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): ऑन ए पॉइन्ट ऑफ इनफोर्मेशन, सर, माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर इस बात को क्लिअर कर दें कि लो-इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो लोन दिया जाता है और उससे जो मकान बनाया जाता है क्या उसको सब-लेट कर सकते हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह तो नियम की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : फाइनेन्स मिनिस्टर यह बता सकते हैं कि क्या इस प्रकार से बनाया गया मकान सब-लेट कर सकते हैं ?

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : It is not within his knowledge.

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या यह नियम है कि मकान किराये पर दे सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके ज्ञान में है नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री ने जो जबाब दिया वह as an intervention था। गवर्नमेंट की तरफ से तो अब फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो जबाब दिया है, वे क्या इस बारे में लाइट थ्रो करेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : उस समय तो उनका इन्टरवेन्शन ही था, रिप्लाई तो अब दिया गया है।

श्री चन्दनमल वैद : यह सही है कि रिप्लाई तो अब हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री,) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो यह कह रहे हैं कि मैंने जो जबाब दिया वह तो इन्टरप्शन था, वे इस प्रकार के शब्दों को काम में न लें।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने इन्टरप्शन नहीं कहा था इन्टरवेन्शन कहा था। आप यदि इसको अन-पार्लियामेन्टरी डिक्लेअर करते हैं तो I can....

श्री पी. के. चौधरी : Hon Dy. Speaker will give a decision whether the word intervention is unparliamentary or Parliamentary.

श्री उपाध्यक्ष : It deos not deserve any decision. It is itself a clarification.

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक-ता पर डॉ० बहादुरसिंह ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृतहुए।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Order, Sir, The Hon Finance Minister has said Ayes.

श्री उपाध्यक्ष : It was coughing.

श्री पी० के० चौधरी : Ibage leave of the House to withdraw my Cut moti.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक-ता पर रखे हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I withdraw my cut motion.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी ने रखे हैं उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं अपने कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन ग्रहण कर लेते तो भी मैं मान लेता।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक-ता पर श्री लक्ष्मीचन्द ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

दोनों कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

(विराम)

जो कटौती के प्रस्ताव मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता पर श्री जगदीशप्रसाद

(श्री उपाध्यक्ष)

माथुर ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर के तीनों कटौती प्रस्ताव अस्वीकार किये गये।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती प्रस्ताव श्री दयाकृष्ण विजय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री दयाकृष्ण विजय का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मुझे, रिप्लाइ देने का राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : No, does not exist. We have our established practice based on the Observations of the Chair.

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस कट मोशन ने यह स्थिति बना दी है जिस स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं हो सका है। मैं खुद भी अपना मत नहीं बना सकता कि मैं इसे वापिस लूं या प्रेस करूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का मत ले लेते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सदन में माननीय मंत्रीजी के भाषण के कारण एक प्रकार से मिसअन्डरस्टेंडिंग क्रिएट हो गई है और उसी को लेकर मैंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ का सवाल उठाया था उसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो सिर्फ संकेत मात्र था, उसमें इत्मिनान नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी बात रखी थी वह इत्मिनान से रखी थी और वह इस ओर संकेत मात्र नहीं था बल्कि वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का सवाल था।

श्री उपाध्यक्ष : I defer my decision on the motion of Privilege issue raised by Shri Bhairon Singh.

श्री भैरोंसिंह : Then I will request that voting should also be deferred on this demand.

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order Please..

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कटमोशन के सम्बन्ध में जो हाउस का मत लिया जा रहा है उसके बारे में निवेदन है कि मेरे सब कट मोशन्स को एक साथ न लिया जाय। जिस कट मोशन पर अनप्लेजेन्ट सीन क्रिएट हुआ था उसको अलग से लिया जाय और बाकी को एक साथ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रकार से कटौती के प्रस्ताव लिये जा रहे हैं उनके अनुसार आपका कोई कटौती का प्रस्ताव स्थगित तो रखा नहीं जा रहा है। वैसी हालत में किसी

(श्री उपाध्यक्ष)

को अलग से लिया जाय; यह कोई महत्व नहीं रखता।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको मैं तब तक विथ्ड्रॉ करने की स्थिति में नहीं हूं जब तक वह क्लिअर नहीं हो जाता। इसलिए आखिर मुझे कौन सा विथ्ड्रा करना है और किस कटमोशन के लिए प्रेस करना है, इसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे शेष प्रस्ताव तो साथ में लिये जांय और एक कटौती प्रस्ताव जो हाउसिंग स्कीम के लिये था वह अलग से लिया जाय।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा): The Members send their Cutmotions. They are not taken on each and specific items separately because they come in the same demand when put together. The Member can speak on specific items but when there are five or seven Cutmotions, all these are put together, with the...

श्री उपाध्यक्ष : The utmst I can do is that I can separatc that from other cut motion.

श्री भैरोंसिंह : जो लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम के बारे में था नम्बर १४, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम आइटम के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव संख्या १३, १५ और १६ प्रस्तुत किये गये उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

१३, १५ व १६ कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

कटौती प्रस्ताव नं० १४.

(विराम)

प्रश्न यह है कि कटौती का प्रस्ताव संख्या १४ जो श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जावे!

(मत–दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): 'हां' पक्ष जीता।

(मत-विभाजन घंटी के पश्चात् पुन;)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव नं० १४ श्री भैरोंसिंह ने मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता,-राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जावे।

(मत–दान कि पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

श्री भैरोंसिंह : 'Ayes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : That means, you assert division?

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

Yes, Ayes and Noes to their respective lobbies.

(विभाजन के पश्चात्)

I now call the House to order.

Ayes 15.

Noes 41

['हां' व 'ना' पक्ष के विभाजन सूचियों के अनुसार सदस्य :

हां पक्ष :

श्री अनूपसिंह

श्री भैरोंसिंह (खाचरियावास)

श्री बृजेन्द्रपाल

श्री दयाकृष्ण विजय

श्री श्री रावतमल पारीक

श्री कालूराम

श्री किशनाराम

श्री लादूराम सुलाणिया

श्री लक्ष्मीचन्द

कुंवर श्री मंगलसिंह

श्री मुरलीधर व्यास

रावल श्री नरेन्द्रसिंह

ठाकुर श्री रघुवीरसिंह

रावराजा श्री सरदारसिंह

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

श्री वीराराम

ना पक्ष :

श्री अमृतलाल पायक

डॉ० बहादुरसिंह

श्री भवानीशंकर नंदवाना

श्री भीमसेन

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी

श्री चन्दनमल वैद

डॉ० चन्द्रकला

श्री दलीपसिंह

श्री दौलतराम सारण

श्री देवा गिरासिया

श्री देवीलाल

श्री धन्नालाल हरित

श्री धर्मपाल पंवार

श्री गणपतिलाल वर्मा

श्री रावतमल पारीक

श्री गोपीसहाय

श्री गोवर्धनसिंह केन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

श्री हरिश्चन्द्र

श्री जयचन्द्र मोहिल

श्री जयसिंह राणावत

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

श्री किशनसिंह बाटड़

श्री नाथूराम

श्री नाथूराम मिर्धा

श्री फूलाभाई

श्री पी० के० चौधरी

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा

श्री रामचन्द्र

श्री रामदान चौधरी

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामलाल बंसीवाल

श्री रामप्रसाद लड्ढा

श्री रिखबचन्द धारीवाल

श्री सज्जनसिंह

श्री सम्पतराज जैन

श्री शिवनाथसिंह

श्री सोहनलाल भटनागर

श्री श्रीमानसिंह

श्री सूबेदारसिंह

श्री सुगनचन्द जैन

श्री तेजपाल

श्री विद्यासागर]

कटौती का प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वर्ष में व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३३ लाख ६७ हजार रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक—ता स्वीकार की गई ।

(विराम)

अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७—विविध

मांग संख्या ५४

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७—विविध के संबंध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,१८,००० रु० तक की राशि और प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : Motion moved, Dr. Bahadur Singh.

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

मांग संख्या ५४

डॉ० बहादुरसिंह :

१. मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १) रु० की कटौती कर दी जाय (अग्नि पीड़ितों की सहायता दिये जाने के लिये पंचायत समितियों को दी जानेवाली सहायक अनुदान पर बहस करने के लिये)

२. मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १) रु० की कटौती कर दी जाय (हिन्दी टाइप राइटर्स की खरीद के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)

श्री लक्ष्मीचन्द :

मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७—विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों द्वारा आग व बाढ़ पीड़ितों को दी जानेवाली सहायता की धन—राशि कम होने पर विचार करने हेतु)

श्री पी० के० चौधरी :

That the Demand No. LIV, Major Head 57- Miscellaneous be reduced by Rs. 100/- (to discuss the Government's failure to import adequate training to the R. A.S. Officers in the Training School for proper execution of Developmental Works and Schemes.)

रावराजा श्री सरदारसिंह :

मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७-विविध में १) रु० की कटौती की जावे (पंचायत समिति द्वारा आग तथा बाढ़ पीड़ितों को राहत देने में असफलता पर वाद–विवाद करने हेतु)

श्री दयाकृष्ण विजय :

मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को बाढ़, आग आदि से पीडितों के राहत के लिये देने हेतु अनुदान के भुगतान पर बहस करने हेतु)

श्री भैरोंसिंह :

मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७–विविध आइटम (१) में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा पंचायत समितियों को बाढ़ सहायता कार्य के लिये बहुत कम ऋण देने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु ।)

मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७–विविध आइटम (२) में, १) रु० की कटौती की जाय (आर० ए० एस ट्रेनिंग रिजर्व पर अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में विचार करने हेतु) ।]

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे २ कटौती के प्रस्ताव हैं । सबसे पहला तो हिन्दी टाइप राइटर्स की खरीद के संबंध में है । इसके संबंध में मैं केवल थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा । जब टाइप राइटर्स खरीदने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक कम्पनी को ऑर्डर दिया और उसके सप्लाई करने में करीब एक वर्ष की देरी हो गई और उसके बाद में फिर पेमेन्ट हुआ । इस समय पेमेन्ट के बारे में तो विशेष न कह कर मैं केवल सरकार की जो हिन्दी नीति है उसके बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं । हमारा जो प्रान्त है वह हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त है और हिन्दी भाषा–भाषी प्रान्त होने के कारण इस सदन में एक प्रस्ताव इस प्रकार का स्वीकार हुआ था कि हिन्दी को यथाशीघ्र राष्ट्र भाषा के पद पर लाने के लिए प्रयास किया जाये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि कम्पनी में जो टाइप राइटर्स बनते हैं उनमें की–बोर्ड या दूसरी चीजें करीब करीब एक सी रहती हैं । केवल थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद इंगलिश से हिन्दी का बन जाया करता है । ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा जो २ लाख रुपया खर्च करने में काफी ढिले हुए, हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करने में या तो मैं समझता हूं कि किसी विभाग की कमी है या जिन कम्पनियों को हमने ऑर्डर दिया उन कम्पनियों ने किन्हीं कारणों से

(डॉ० बहादुरसिंह)

देरी में सप्लाई किये। लेकिन सदन यह मालूम करना चाहता है कि सरकार ने उन हिन्दी टाइप राइटर्स को खरीदने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किये और जो इंगलिश के टाइप राइटर्स थे उनका क्या किया ? क्यों नहीं अंग्रेजी के टाइप राइटर्स को बदलने के लिए जिन इन्स्ट्रूमेन्ट्स को बदलना था उनके लिए ऑर्डर देकर जल्दी से जल्दी उनको रिप्लेस कराया गया ? दूसरी बात आज हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने खास तौर से वित्त विभाग में हिन्दी अपनाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। हालांकि उसके जो मंत्री महोदय हैं वे हिन्दी के परम भक्त हैं, लेकिन हिन्दी के साथ अछूत का सा व्यवहार वित्त विभाग में होना जो उनकी भावना है या तो उनकी भावना के विपरीत वहां काम होता है या फिर उनकी भावनाओं का आदर नहीं होता। मैं इस बात को मान कर चलता हूं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो हिन्दी के प्रति उनकी भावना है उसके प्रति जो काम किया जाये उसमें एक वर्ष की देरी होने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं उस प्रकार से हम काम नहीं कर पाते हैं। हम देख रहे हैं कि हिन्दी में काम करने की ओर रुचि नहीं ले रहे हैं। या तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमारा जो अधिकारी वर्ग है उसको अंग्रेजी से मोह है और वह उस मोह को छोड़ना नहीं चाहते हैं या फिर हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो शोर्टहैंड और टाइपिंग का स्टाफ है वह हिन्दी से अनभिज्ञ है, इसलिए इसमें हमने देरी की। या तो हमारा ट्रेडिशन सा बन गया है कि कोई भी काम हो, हम उसमें देरी करते हैं। मैं एग्रीकल्चर विभाग की जैसे एक दलील दूं, जिसके अन्दर राज्य सरकार को ३० हजार का नुकसान हुआ था लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमें जो नुकसान होता है उसका कारण यह है कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें हम देरी करते हैं या फिर और कोई दूसरा कारण हो सकता है। इसके लिए ही मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा था कि कम से कम हमारे जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए हमें राष्ट्र भाषा के लिए शीघ्रातिशीघ्र इस प्रकार की व्यवस्था हो। मैं समझता हूं कि ऐसे कटौती के प्रस्ताव पेश न हों, उसके लिए सदन प्रयास करेगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : यह ३० हजार का नुकसान हिन्दी के सिलसिले में है ?

डॉ० बहादुरसिंह : एग्रीकल्चर विभाग को हुआ है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : किस तरह ?

डॉ० बहादुरसिंह : इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जानना चाहते हैं, उसके बारे में सदन को थोड़ी जानकारी भी दे दूं। माननीय उपाध्यायजी, कांडला बन्दरगाह से एक स्पेशल ट्रेन फर्टीलाइज़र की भेजी गई और वह जो स्पेशल ट्रेन भेजी गई वह विजयनगर के नाम पर दी गई। राजस्थान में दो विजयनगर हैं एक तो राजस्थान में वैस्टर्न लाइन पर और दूसरा नॉर्दर्न लाइन पर। लेकिन जो कांडला बन्दरगाह से स्पेशल ट्रेन भेजी गई वह आपके नॉर्थ

(डॉ० बहादुरसिंह)

रेलवे लाइन स्टेशन है श्री विजयनगर उसके लिए भेजी गई श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन हमारे कृषि विभाग के अधिकारियों की अयोग्यता के कारण केवल विजयनगर का नाम दिया गया और जिसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार को ३० हजार का नुकसान हुआ। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने रेलवे बोर्ड को अपील की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तो मैंने मिसाल दी है। आशा है, हिन्दी को वित्त विभाग में बैठाने का प्रयास हमारी सरकार करेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पर हिन्दी टाइप राइटर्स से इसका क्या सम्बन्ध है?

डॉ० बहादुरसिंह : टाइप राइटर्स के बारे में यह था कि जैसे ३० हजार का नुकसान हुआ इसलिए हिन्दी की तरफ नुकसान हो रहा है। इसलिए यह कटौती का प्रस्ताव रखा है।

श्री पी. के. चौधरी(फुलेरा): On a Point of Order, Sir, the Hon'ble Member has stated about the train load of fertiliser etc. Whether it is relevant with the cut motion?

डॉ० बहादुरसिंह : वह मंत्री महोदय जानना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष : It is not a Point of Order.

श्री पी० के० चौधरी : It is out of Order.

श्री उपाध्यक्ष : The debate can be treated as out of order.

(विराम)

Shri Laxmi Chand.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव की मंशा यों देखे तो हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो उद्देश्य है कि हम बाढ़ पीड़ितों को सहायता दें, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जहां तक इस सहायता का प्रश्न है

(४. १. म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

इसके विषय में जो यह कहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को या जो अग्नि से पीड़ित हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय, मगर ऐसा देखा जाता है कि यह खैरात का जो फंड है इसका उपयोग पूर्णतया ठीक ढंग से नहीं होता है। दान देना एक अच्छा उद्देश्य और लक्ष्य है और हमारे यहां तो यह कहते हैं कि दान देने से धन खत्म नहीं होता है। वह तो जितना ज्यादा दान दिया जायेगा उतना ही ज्यादा फ्युचर में, भविष्य में उसका प्रमाण हमको मिलेगा। कहावत है कि :

"चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर।
दान दिए धन ना घटे, कह गये दास कबीर।"

इस प्रकार से पचास हजार का जो धन हम पंचायत समितियों को देने जा रहे हैं इस धन का उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिए। इसका युटिलाइजेशन उसके द्वारा जिसके द्वारा हम देते हैं, उससे जो हमारा उद्देश्य पूरा होता है या नहीं, जो पंचायत

(श्री लक्ष्मीचन्द)

समितियों को हम एड देते हैं तो हमको यह देखना है कि वह एड वाजिब है या नहीं। जो राजस्थान की जनता और राजस्थान के गांवों में घटनेवाली घटना है उनको जब हम देखते हैं और हमारे इस दान के पैसे या मद जिसमें हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, पंचायत समितियों के द्वारा खर्च करना चाहते हैं वह पैसा बहुत कम तरीके से दिया जा रहा है और जितना भी दिया जाता है उसका भी उपयोग जो समय पर होना चाहिए वह नहीं होता है। जो जिस वक्त में जिस आदमी को जिस वक्त बीमारी हुई हो उस वक्त ही उसको मेडिशन मिलनी चाहिए। अगर वह मेडिसिन समय पर नहीं मिलती है तो उसका उसके लिए कोई उपयोग नहीं है। जिस पैसे को आप लोगों में बांटना चाहते हैं, पीड़ितों को जो इससे राहत पहुंचाना चाहते हैं, उनके बर्बाद हुए घरों को फिर से बसाना चाहते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में और समय पर पैसा दीजिए। आपका उद्देश्य है कि जिस आदमी को दुख है, उसका घर उजड़ गया है तो उनको दान देकर राहत पहुंचायें तो आज जिसका घर जला है उसको शाम के पहले २ राहत मिलनी चाहिए तभी उसको सच्चे अर्थों में राहत मिल सकती है। अगर हम यह समझते रहें कि आज जिसका घर जल गया है, जिसके घर को नुकसान हुआ है तो उसको हम साल भर या चार-छः महीने में उसके नुकसान का मूल्यांकन करते हैं, उसके नुकसान को देखते हैं तो उसका उपयोग क्या हो सकता है ? सभापति महोदय, पैसा उसके पास होता नहीं है, समितियों को जो पचास हजार रुपया देने जा रहे हैं, समितियों के लिए जो धन-राशि हम निर्धारित कर रहे हैं कि इन समितियों में डिस्ट्रिब्यूट की जाये, सब समितियों में डिस्ट्रिब्यूट की जाय तो सभापति महोदय, हर एक समिति को दो तीन सौ रुपये से ज्यादा किसी को मिलने वाला नहीं है। इसके साथ घटनाओं की तादाद को देखें, कितना लॉस होता है, कितना नुकसान हमारे गांवों में होता है, उसको देखते हुए उसके लायक यह धन-राशि बिल्कुल अपर्याप्त है। अगर हम घटनाओं और नुकसान के आंकड़े तैयार करें तो एक रुपये में एक पैसा भी हम उसको सहायता नहीं दे रहे हैं। जिस धन-राशि से हम सहायता पहुँचाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मेरा यह सुझाव है कि यदि हम सहायता देना उचित समझते हैं, यदि हम यह लक्ष्य लेकर चलते हैं कि लोगों को राहत मिले तो इसका उपयोग ठीक ढंग से करना चाहिए। इसके लिए मेरा यह सुझाव है और शायद मंत्री महोदय भी इसको स्वीकार करेंगे और वह भी है मानते हैं कि जिस उद्देश्य, जिस लक्ष्य को लेकर रुपया दिया जाता है वह समय पर पहुँचता नहीं है। समितियों को आप पैसा तो देते हैं लेकिन वह टाइम पर नहीं पहुँचता है। यह कोई मालूम नहीं रहता है कि किस समय घटना घट जाय, या घटना इस बात का इन्तजार नहीं करती है कि जिस समय आपके फंड अवेलेबल हो जायं उस वक्त घटना घटेगी। इसलिए जो राहत आप पहुंचाना चाहते हैं, जो इसके लिए फंड अवेलेबल करते हैं उनको समय पर जल्दी से जल्दी पहुँचा देना चाहिए। न मालूम घटना किस वक्त में घट जाय और फंड्स का उपयोग करने की आवश्यकता हो जाय। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पैसा जल्दी से जल्दी

(श्री लक्ष्मीचन्द)

तादाद में बढ़ाया जाय। आप दान देना चाहते हैं, रिलीफ पहुँचाना चाहते हैं तो ऐसी रिलीफ दीजिए कि जिससे राहत मिल जाय। एक समिति को आप दो सौ रुपये देते हैं और वहां पांच. सात घटनाएं घट जायं तो एक आदमी को कुल दस. पांच रुपये मिलेंगे; तो उसको क्या इमीजियेट रिलीफ इससे पहुँचने वाली है ? इसलिए सभापति महोदय, मैं यह कटमोशन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, शायद सदन के सभी माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन जो है वह इस प्रकार है: "To discuss the training imparted to the R. A. S. Officers." सभापति महोदय, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग आज के कंटेक्स्ट में काफी इम्पोर्टेन्स रखती है क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं कि जो हमारा एक्ज़ीक्यूशन है; प्लान, डेवलपमेंट वर्क्स या दूसरे विकास के काम, उनमें कई दफा हम यह पाते हैं कि डिले बहुत ज्यादा होती है। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कई दफा एक्सपर्ट कमेटी बैठाई है, कई एक्सपर्ट्स को अपोइन्ट किया है कि डिले जो है वह किस तरह से कम किया जाय। उनकी एक खास सिफारिश यह है कि डिले इस तरह से होती है कि सेक्रेटेरियेट में फाइल्स जो हैं उनको एक दूसरे के पास भेजते रहते हैं यानी कोई भी ऑफिसर अपनी रेस्पोंसिबिलिटी लेकर, जो काम उसकी कोम्पीटेंस में आता है उसको भी अपनी रेस्पोन्सिबिलिटी लेकर एक्शन नहीं लेता है, उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करता है। Always they try to shunt the responsibility on others.

अभी जो पार्लियामेंट में, सभापति महोदय, जब प्लान का डिबेट पंडित नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया तो उस डिबेट को इनोशियेट करते हुए एक बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि यह जो प्लान बना रहे हैं या प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रोब्लम उसको इम्प्लीमेंट करने की है। प्लान या पॉलिसी इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसका एक्ज़ीक्यूशन कैसे होगा वह सबसे ज्यादा महत्व का सवाल हमारे सामने है। उन्होंने यह भी कहा था कि चाहे हम कितना ही केयर देकर, विचार करके बहुत ही अच्छा प्लान या पॉलिसी तैयार करें, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको एक्ज़ीक्यूट करने की जो रेस्पोंसिबिलिटी किसी पर न हो, if no body has shouldered the responsibility or nobody have been held responsible तो वह प्लान कभी सफल नहीं हो सकता। It is not good enough to go on, that everybody is responsible for everything which means nobody is responsible for anything. यानी आज हमारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनमें एक टेंडेंसी बढ़ रही है अपनी रेस्पोंसिबिलिटी को शंट करने की। आज उसकी मिसालें हमारे सामने आती हैं, सदन में भी उसके बारे में सवाल आते हैं। क्योंकि कोई आदमी डिसीज़न नहीं लेते हैं, जो ऑफिसर डिले करते हैं, nobody takes the resposiblity. They always say we are unable to fix the responsibility on anybody. वे एक दूसरे पर रेस्पोंसिबिलिटी शंट करते

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं, जहां पर डिसिज़न खुद को लेना होता है वहां पर भी रेस्पोंसिबिलिटी को शंट करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो ट्रेनिंग उनको दी जाय उसमें इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाय, वह चाहे ट्रेनिंग के जरिए से हो, चाहे वह ऑफिशियल प्रोसीजर को ऑल्टर करके हो, अपनी कॉम्पीटेंसी में जो काम है, जिस पर वह डिसीज़न ले सकता है उसको उस पर डिसीज़न लेना चाहिए। मान लीजिए एक आई. ए. एस. ऑफिसर है। उसको फलाना काम करना है; either he has been delegated powers or he inherits the powers by virtue of his post तो उसके दायरे में, उसकी पॉवर्स के दायरे में जो भी डिसीज़न लेना हो, उसे डिसीज़न लेना चाहिए, चाहे वह सही हो या गलत हो, जैसा भी हो उसको जजमेंट लेना चाहिए। कितने ही इम्पोर्टेन्ट डिसीज़न्स हों उसके कितने ही रिपरकशन्स हों जो उसके कॉम्पीटेन्स में है और जो उनके विवेक से, उनकी विचार बुद्धि से डिसीज़न सही लेना चाहते हैं तो उसके ऊपर उनको डिसीज़न लेना चाहिये। लेकिन आज की टेन्डेंसी है कि ऐसे जो मामले आते हैं हम हमेशा देखते हैं कि every Officer tries to shunt the responsibility. वे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूं कि यह बहुत इम्पोर्टेन्ट सवाल है। जब कि हम थर्ड प्लॉन बनाने जा रहे हैं तो थर्ड प्लान में सेकिन्ड प्लॉन से डबल या डबल से भी ज्यादा खर्चा हम कर रहे हैं यानी १०० या १५० पर्सेन्ट से यह मामला बढ़ रहा है।

दूसरी बात, सभापति महोदय, यह है कि पब्लिक सेक्टर का भी एक्सपेन्शन हो रहा है, वह भी बढ़ता जा रहा है। इन सारे कामों के एग्ज़ीक्यूशन की रेस्पोन्सिबिलिटी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जिनको आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके ऊपर आती है। इसलिए आज के कॉन्ट्रेक्स्ट में उनकी ट्रेनिंग, जिसको हम कहते हैं प्रोपर ट्रेनिंग, उनको रेस्पोन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार करें। वह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है और आज हम अगर उसको नहीं कर पाये तो सारे ट्रेनिंग स्कूल हैं, सारे आपके जो प्लॉन हैं या जो स्कीम्स हैं वे सारे अधूरे रह जायेंगे और उसकी वजह यह है जैसा कि प्लान के डिसक्शन में हमने देखा है, शिड्यूल्ड कास्ट कमीशनर की रिपोर्ट को हमने डिस्कस किया है उस वक्त देखा है कि शुरू के ६ महीनों तक ८० पर्सेन्ट अलॉटमेंट बच रहता है। उसका खर्चा नहीं होता है और आखिरी तीन महीनों में जाकर हम देखते हैं कि सेन्ट पर्सेन्ट खर्च करने की कोशिश करते हैं। जो शोर्टफॉल सेकिन्ड प्लान में हुआ है वह महज इसलिए हुआ है they don't take proper decision at the proper time, and the delay is caused by the Officers. तो मैं इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट प्रोब्लम है कि ऑफिसर्स को इस बात के लिए तैयार करें कि वे समय पर डिसीज़न लें, और उसका सबसे ज्यादा उपयुक्त स्थान है जो आपने ट्रेनिंग की व्यवस्था की है वहां पर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिये और मैं तो यह कहूंगा कि ट्रेनिंग देने के बाद जो ऑफिसर्स रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं तो उसके सामने बाकायदा एक्शन होना चाहिये। मान लें, आपका एक एग्ज़ीक्यूटिव आर. ए. एस.

(श्री पी० के० चौधरी)

ऑफिसर है उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इन्चार्ज किया । जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इन्चार्ज किया तो उस काम को within the scheduled time he must implement the work. वह इम्प्लीमेंट नहीं कर पायेगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये । ऐसा प्रोसीजर होना चाहिये । यह क्या है कि वह यह लिख देता है that the C. S. may be referred for his opinion. You must hold him responsible for a particular job. वह रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता है तो ऑथोरिटी को फॉर्वर्ड कर देता है, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, सिंचाई मन्त्री ने; जो केस एक्वीज़िशन के सवाल का था वह ७ साल से चल रहा था और जब सवाल आया तो कहते हैं कि कागज चल रहे हैं तो कागज़ चलाने का जो सिस्टम है तो कागज़ की गति को हम रोकना चाहते हैं । वे कागज़ किसी जगह स्टेबल हों और फाइनल डिसीज़न उनका लिया जाय । इस बात के लिए मैं ध्यान आकर्षित करूंगा माननीय सरकार का कि आगे कोई जो सिस्टम है चाहे ट्रेनिंग का हो, चाहे प्रोसीजर का हो उसमें we must divert our attention for fixing responsibility on individual man. आज डिपार्टमेंट में कोई किसी बात के लिए रेस्पोन्सिबल नहीं होता है । किस चीज का फॉल्ट है, वह नहीं मालूम हो सकता है । आज आपने देखा होगा कि भाखरा के एक चेम्बर में कुछ गड़बड़ हो गई और नदी का पानी भर गया । उसकी सारी एन्क्वायरी हो गई । सब कुछ कर करा कर नतीजा यह हुआ कि nobody was found responsible. रिपोर्ट कमेटी की है गई कि किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है । उस फेल्योर के लिए कोई व्यक्ति रेस्पोन्सिबल नहीं है और आज तक यह जो सरकार का इतिहास है, किसी सरकार के इतिहास में किसी व्यक्ति को किसी काम के नहीं होने की वजह से कोई व्यक्ति रेस्पोन्सिबल ठहराया नहीं जा सका है, क्योंकि उसका तरीका ऐसा है कि किसी को रेस्पोन्सिबल नहीं माना जा सकता है । आज आप ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं तो रेस्पोन्सिबिलिटी शोल्डर करने की ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्स देनी चाहिए । प्रोसीजर जो है उसमें चेन्ज करने का काम करें। We must now fix the responsibility on specific officers for specific jobs, तब जाकर थर्ड प्लान जो बन रहा है उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ; नहीं तो मैं समझता हूं कि थर्ड प्लान में जाकर सेकण्ड प्लॉन में जो शोर्ट फॉल हुआ है उस शोर्टफॉल से ज्यादा शोर्ट-फॉल होने वाला है and it will now double the amount.

अब दूसरी बात, सभापति महोदय, यहां पर शोर्टफॉल हमने दिखा दिया है क्योंकि वह आँकड़ों की चीज रहती है । फाइनेन्शियल मैटर है,, मनी मेटर है, इतना रुपया खर्च नहीं हुआ । ८० पर्सेन्ट खर्च हुआ और २० पर्सेन्ट शोर्टफॉल हुआ । लेकिन फ़िज़ीकल एचीवमेंट क्या हुए हैं उसकी कोई हमारे पास यार्डस्टिक नहीं है । उसको इवेल्युएट नहीं कर पाते हैं कि फ़िज़ीकल एचीवमेंट में कितना शोर्टफॉल होता है । सदन के मेम्बर और पब्लिक को जानने का इसको उपचार नहीं होता है सिवाय इसके कि जो इफेक्टेड एरिया है प्रोजेक्ट जहां पर है वहां पर जो लोग रहते हैं सिवाय उनके राजस्थान के दूसरे

(श्री पी. के. चौधरी)

लोगों की जानकारी नहीं रहती है कि फिज़ीकल एचीवमेंट हुए हैं या नहीं। सिर्फ गवर्नमेंट जो फीगर्स पब्लिश करती है उससे सिर्फ इतना ही मालूम पड़ता है कि एक्सपेन्डीचर में शोर्टफॉल हुआ है। फिजीकल के एचीवमेंट करने में कितना शोर्टफॉल हुआ, कितने सक्सेसफुल हुए; उसके बारे में कोई यार्डस्टिक नहीं रहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले में जो ट्रेनिंग है ऑफिसर्स की और जो प्रोसीजर है they must shoulder the responsiblities फिक्सिंग ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट है डेवलपमेंट वर्क्स के लिए और इसी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने अपना कटमोशन मूव किया है।

रावराजा श्री सरदरसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, मेरा भी कटौती प्रस्ताव मांग संख्या ५४ पर है। माननीय चेयरमैन महोदय, यों तो वह कोई जो इनसे पहले बोले थे उन्होंने कहा था कि धर्म के पुण्यार्थ के रूप में आप रकम देते हैं तो इसमें देने का सवाल पैदा नहीं होता है, क्योंकि यह तो जनता की ही रकम है जो जनता के ही हित के लिए दी जाती है। इसलिए ऐसा प्रश्न उठता नहीं है। व्यक्तिगत कोई मिनिस्टर दे रहे हों, वह भी नहीं उठता है।

अब रहा सवाल यह कि यह जो धनराशि है, ५० लाख की रखी या ५० हजार की रखी, लेकिन राहत मिलनेवालों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, इसका सवाल है तो, माननीय चेयरमैन महोदय, इससे पहले भी यह राहत देने के लिए आग और बाढ़ से पीड़ितों को, जिला विकेन्द्रीकरण नहीं बनाया गया था, पंचायत समितियां नहीं बनाई गई थीं तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी थी, और डेवलपमेंट कमेटी के जरिये यह तमाम हुआ करता था। उसका क्या परिणाम होता था कि वहां पर आकर किसी ने एप्लीकेशन दी तो तहसीलदार के यहां फॉरवर्ड की और उन्होंने कहा कि जाकर तलाश करो कि वाकई में नुकसान हुआ या नहीं। इस बात को करते, करते, करते, करते, जिस आदमी का मकान जल गया उसके द्वारा नया मकान बनाकर वह पुराना हो जाता था तब जाकर रिज़ल्ट होता था। अब जो सरकार ने आपका फायदा करके उस तकलीफ के लिए जो कि इस बात के लिए जनता में होती थी तो सरकार ने पंचायत समितियां बनाई कि पहले जाकर उनसे कहते थे, पहले दिक्कत होती थी अब आपको मौके पर सहायता मिल जायगी। अब पंचायत समितियां होने के बाद सहायता क्या है मैं बताता हूं कि अभी हाल ही में मेरे ही क्षेत्र में एक-दो आदमियों को हरिजनों को अलॉटमेंट किया था सहकारी समिति में जमीन। उन्होंने एक गांव बसाया था। उनके यहां आग लग गई। पंचायत समिति के अन्दर जाकर उन्होंने दरख्वास्त की, और उसको देखने के लिए भेजा तो वे कहते हैं कि पंचायत समिति के पास तो धनराशि नहीं है। धनराशि तो कलेक्टर के पास, जिला परिषद के पास रहती है। हमारे पास है नहीं। यह बात प्रत्यक्ष की है और मैं आप से निवेदन करूंगा कि उनको राहत आज दिन तक उन्होंने दूसरे मकानात बनालिये लेकिन नहीं मिली। न उनको टीन मिलते हैं। टीनछप्परों से टेम्पोरेरी काम चलाया जाय तो टीन के चद्दर नहीं मिलते हैं परमिट भी समिति

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

को इश्यू हो जाता है, फिर भी नहीं मिलते हैं। तो यह हालत है कि समिति कहती है कि हमारे पास रकम नहीं है, हमारे पास रकम नहीं रहती है वह वहां रहती है। तो जितनी भी आप धनराशि रखें चाहे ५० लाख रखें या ५० हजार रखें, कम से कम आप पंचायत समिति को यह इन्स्ट्रक्शन दें कि फलां गांव में तुम्हारे क्षेत्र के अन्दर आग लग गई या बाढ़ आ गई है तो फौरन मौके पर पहुंच कर उनको सहायता फौरन दो। और तुमको वहीं तहसील में दे दें या वहीं पर दे दें तो सरकार की लुकआउट है कि वाकई पीड़ितों को एन मौके पर राहत मिले। तभी वे लोग कह सकेंगे कि हमको राहत मिली। तो माननीय चेयरमैन महोदय, पहले आपने फरमाया था कि डिविज़न वाइज़ कमेटी बना रखी है जो ५०,००० रुपयों तक का लोन देने के लिये है। लेकिन यह है सहायता के लिये। मैं सहायता के लिये बोलता हूँ। इसके लिये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कमेटी की आवश्यकता नहीं है। यह तो इसलिये रखा है कि फौरन या तत्काल नुक्सान होते हैं वहीं पर दे दें; पटवारी से पूछ लिया जाता है या पंच-सरपंच से पूछ लें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात, यह भ्रम हो रहा है कि आपने लिखा है कि पंचायत समिति को ५०,०००रु० का अनुदान दिया जाय। जब पंचायत समितियों की बात लिखी है तो पंचायत समितियां तो कुल २१२ हैं उनमें यह रकम किस तरह से बांटेंगे? अब यदि यह बात है कि ५० हजार रुपये जहां नुकसान हो वहीं दिया जाय तो २१२ पंचायत समितियां हैं....

श्री दलीपसिंह (बारां) : २३२ पंचायत समितियां हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो प्रपोर्शनेटली कैसे पांती आती है? इस तरह की सहायता देने का ढकोसला आप क्यों करते हैं? सहायता देने के लिये आपने इतना रखा है, लेकिन एक्चुअली मिलता नहीं है। अब आप कहते हैं कि खर्चा हो गया। लेकिन खर्चा कहां हो गया? मेरे यहां के हरिजनों के यहां आग लग गई। एक जगह डोला फूट गया तो पानी हरिजनों की कोलोनी में आ गया। कलेक्टर मौका देख कर आये, गांव वालों ने दर्ख्वास्त दी कि इनको सहायता दीजिये तो आज मिलती है, कार्यवाही जाब्ते की अब भी कर रहे हैं। जब प्यास लगे या भूख लगे तब लोगों को खाना मिले तब तो गुण करता है या जैसी सत्रहवीं सेन्चुरी की मिसाल मौजूद है कि किसी घास की बागर में आग लग गई, कागज़ बने और आग बुझाने पहुँचे तब तक दूसरी जगह लग गई तब कहते हैं कि आग लगती है तभी क्यों नहीं बुझाते हो.....

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : How is it Sir, that there is nobody on the Treasury Benches. He is not attentive to the debate I suppose.

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय चेयरमैन, कान उनके तीव्र होंगे इसलिये सुन रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आप जरा आश्वासन दे दीजिये कि यह ५०,००० रुपयों की धन राशि है वह सब पंचायतों के लिये है या

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

जहां नुक्सान हो जाय उनके लिए है, यह क्लेरिफाइ कर दें या आप यह फरमा दें कि उन पीड़ितों को तत्काल या फौरन सहायता दे देंगे। कार्यवाही, कलेक्टर, कमिश्नर या मिनिस्टर साहब की हुए बिना ही पंचायत समितियां मौके पर दे देंगी तो ठीक है वर्ना उनको कोई फायदा नहीं है....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : ये ५० हज़ार रुपये तो बजट में ऑलरेडी मुकर्रर हैं उनसे अधिक हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जो रकम है उससे अधिक तो क्या मिलेगी, जो रकम रखी गई है वह भी नहीं मिलती ; जो रकम है वह भी बेचारों को नहीं मिल रही है। आप लोगों को तो जाकर देखने की फुरसत है नहीं। अपनी कॉन्स्टिट्युएन्सी को पकड़े बैठे हैं, हमारी कांस्टिट्युएन्सी में नहीं जाते हैं या यहां जाने की हिम्मत नहीं होती....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आपने न्योता नहीं दिया होगा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं अपने क्षेत्र में सबसे कम गया हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे यहां हरिजन कॉलोनी में पानी भर जाता है। चार, पांच वर्षों पहले वहां के लिये ३,००० रुपयों की मन्जूरी रेवेन्यू मिनिस्टर साहब खुद दे गये थे लेकिन उनका अब तक पता नहीं है। अब उसमें इस तरह के पग लगा दिये कि हरिजनों से आधा चन्दा वसूल करें तो हरिजन चन्दा देने के लिए कहां से लायेंगे? कल कहीं आग लग गई या बाढ़ आ गई तो कल कहेंगे कि आधा चन्दा दो तो वे कैसे देंगे....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : वे लोग देंगे जिनके घर नहीं जले हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : वे तो देंगे ही लेकिन आप क्यों ढोंग करते हैं? जो पाडे में रहते हैं वे ही आग बुझाने जाते हैं और वे ही अनाज वगैरह ले जाते हैं लेकिन मैं तो सरकार से कहता हूं....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार का पैसा भी तो आप ही का है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : हम कहते हैं तब भी तो नहीं देते हैं। देते हैं तब पूछते हैं कि यह कौन है। अगर दूसरी तरफ का है तो कहते हैं, अच्छा देखा जायेगा और यह कह दें कि साहब कांग्रेस का है तो कहते हैं कि हां ले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिये। चाहे कितनी ही धन राशि आप रखें, मुझे उससे ऐतराज नहीं है; लेकिन मैं कहता हूँ कि....

श्री दलीपसिंह : दूसरों की पत्तल में लड्डू मोटा नज़र आता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप मिनिस्टर हैं, आपकी पत्तल में मोटा लड्डू आता है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि यहां आपने ५०,००० रुपये रखे हैं उनका किस तरह से डिस्ट्रिब्युशन होगा और कहां पर यह रकम रहेगी और जिनका नुक्सान हुआ उनको दी जायगी या नहीं? जैसे मेरी पंचायत समिति

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

में किसी के नुकसान हो गया तो क्या उसको ५ हजार रुपये दे दिये जायेंगे ? या आप कहेंगे कि एक जगह रहेंगे और जिसकी फरियाद आयेगी उस पर बाजाब्ता कार्यवाही होकर बाद में दिये जायेंगे तब तो उनको मिल गये । इसलिये आप ऐसा कर दीजिये कि तत्काल रुपये मिल जायं । आग लग गई या बाढ़ आ गई तो उनको खाने–पीने को नहीं मिलता । जिस समय आग लगती है या पानी आता है तब सब चीजों को संभालना मुश्किल हो जाता है, लोग अपना जीव लेकर भागते हैं । ऐसी हालत में सरकार को तत्कालीन सहायता देना जरूरी है । जाब्ता की कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा । इसलिये पंचायत समितियों के लिये पंचायत समितियों को सभी अख्त्यार दे दिये जांय । हम लोग एसोसियेटेड मेम्बर हैं इसलिये हममें से कई तो वहां पर जाते ही नहीं और वहां जाते हैं तो एक तरफ बैठ जाते हैं । पंचायत समिति के प्रधान या मेम्बर्स को कहते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या करें पंचायत समिति के प्रधान या मेम्बर बन गये लेकिन पॉवर्स हमको कुछ नहीं है, हुक्म वहां से आता है, तंग करते हैं कि इतना खर्चा क्यों करते हो ? यह मैं मानता हूँ कि अंग्रेज लोग यहां से चले गये । वे लोग सरप्लस रकम अपने देश में ले जाते थे इसलिये लोग-बागों ने लड़–लड़ा कर उनको यहां से निकाल दिया इसलिये कि हम समृद्धिशाली बनेंगे, वह रकम हमारे काम आयेगी लेकिन आज वे लोग कहते हैं कि वे लोग ही अच्छे थे.....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पैसा विलायत भेजते थे, क्या वे लोग अच्छे थे ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह कहा जाता है कि राजनीतिक पीड़ितों को सहायता देनी चाहिये । लेकिन राजनीतिक पीड़ितों की क्या डेफिनेशन है ? हमारा राज्य चला गया, असल में तो हम राजनीतिक पीड़ित हैं । हमसे बढ़ कर कौन राजनीतिक पीड़ित है...

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा : इसीलिये तो आपको रीहेबिलिटेशन ग्रान्ट मिलती है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : ग्रान्ट कहां से देते हैं-! हमारे में से ही तो देते हैं । आप अपने घर से थोड़े ही दे देते हैं, इधर लिया उधर दिया । इसलिये यह निवेदन है कि ऐसा प्रोविजन किया जाय जिससे तुरन्त राहत मिल जाय, तत्काल वहीं का वहीं मिल जाय । इस कानून के अनुसार देरी करने से कोई फायदा नहीं होनेवाला है । इस गर्ज से, समय पर सहायता मिल जाय, यही मैंने कट मोशन रखा है ।

श्री सभापति : श्री दयाकृष्ण विजय ।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर मेरा भी एक कटौती का प्रस्ताव है कि पंचायत समितियों को बाढ़, आग आदि से पीड़ितों को राहत के लिए अनुदान के भुगतान पर बहस करने हेतु मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७–विविध में १ रुपये की कटौती की जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ५०,००० रु० की राशि, जो कि बाढ़, आग आदि से पीड़ितों को राहत देने के लिए पंचायत समितियों को सहायक अनुदान का भुगतान करने के लिये दी है, यह पहले दी जा चुकी है, और संभाव्यता निधि में से पेशगी दी गई थी और उस निधि में वापिस भेजने के लिए इस रकम को लिया जा रहा है । यह निधि

(श्री दयाकृष्ण विजय)

पंचायतों को नहीं मिलेगी। इसलिए ऐसा विचार करना कि यह निधि पंचायतों को मिलेगी, गलत है, बल्कि यह राशि उस निधि में जानेवाली है, जो सरकार के पास है, केवल सैंशक्न की मोहर लगा रहे हैं। मान लीजिये कि ५० हजार रुपये दिये गये और पंचायत समितियों ने काम में ले लिये भी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति अधिनियम, १६५६ बना है, इसके अन्तर्गत इस प्रकार का प्रावधान है कि जहां कहीं आग लग जाय, बाढ़ के कारण इमर्जेन्सी खड़ी हो जाय, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो जाय तो पंचायत समिति के प्रधान, विकास अधिकारी को २५ रुपये खर्च करने का अधिकार है। इससे अधिक राहत, इससे अधिक सहायता या अनुदान पंचायत समिति अधिनियम के अनुसार नहीं दे सकते। आप आशा करते हैं कि पंचायत समिति क्षेत्र में आकस्मिक दुर्घटनाएं होती हैं, दैविक आधार पर, बाढ़ आ जाय, उससे किसानों के खेत, खेतीहरों के घर बह जांय, कहीं आग लग जाय और किसानों के खेतों का कटा हुआ माल आया है वह जल जाय, उनका घर जल जाय और खाद्यान्न का अभाव हो जाय गांव के अन्दर, लेकिन पंचायत समिति उनको किसी प्रकार की राहत नहीं दे सकती, केवल उनका केस फॉरवर्ड कर सकती है; वह उनको ऋण नहीं दे सकती, अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में २५ रुपये से ज्यादा नहीं दे सकती....

श्री दलीपसिंह (बारां) : २५ रुपये ग्राम पंचायत के लिए हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : आप देखिये, पंचायत समिति को २५ रुपये की सहायता देने का अधिकार है आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ....

श्री मोहरसिंह (चूरू) : २५ रुपये का सहायक अनुदान।

श्री दयाकृष्ण विजय: सहायक अनुदान दे सकती है पंचायत, ऋण नहीं दे सकती है। मैं आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करूं कि कोटा में तहसील किशनगंज में आग लग गई और इतने भयंकर तरीके से आग लगी कि पांच-सात घरों में आग लग गई। घरों के छप्पर जल गये। घर में जो फसल लाई हुई थी, गेहूं वगैरह जल गये। उस आदमी के पन्द्रह सौ रुपये के नोट, जो उसने छिपा कर रखे थे, वे जल गये, उसके वस्त्र जल गये। गांव के लोग, जो खलिहानों पर थे, वे जब तक दौड़ कर आये, तब तक पूरे घर जल चुके थे। ऐसी परिस्थिति में उस आदमी के पास कुछ नहीं रहा। वहां पर बी० डी० ओ०, प्रधान आये, मैं भी गया। हम लोगों ने पंचायत समिति के सामने सहायता देने का मामला रखा। उन्होंने कहा कि २५ रुपये से ज्यादा सहायक अनुदान नहीं दे सकते। यदि इस प्रकार का कानून बना देते हैं, जिसमें इस तरह की सीमा बांध देते हैं जिससे पंचायत समिति ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाओं के बाद पूरी सेवा नहीं कर सकती, अधिक अनुदान नहीं दे सकती। हम ऋण की बात करेंगे कि पंचायत समिति ऋण दे सकती है, लेकिन जिस आदमी का अनाज जल गया, सब कुछ जल गया और आगे आने वाली फसल के लिए बीज तक के लिए अनाज बाकी नहीं रहा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं रही, ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक पैसा नहीं है,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

वह ऋण लेकर अपने ऊपर और बोझा ले। वह अपनी खेती की व्यवस्था करेगा, खेत को जोतने के लिए बैलों की व्यवस्था करेगा, घर के गुजारे की व्यवस्था करेगा, वह उस ऋण को लेकर और कर्जदार बनेगा ? इस प्रकार की परिस्थिति में पंचायत समितियों के लिए अधिक अनुदान देने के लिए प्रावधान नहीं किया जायगा, इस आधार पर, जो पंचायत समिति अधिनियम बना है, उसमें जब तक संशोधन नहीं कर देते तब तक आप कितनी ही धनराशि देते रहें, ५० हजार या पचास हजार से अधिक, पंचायत समिति सही मायने में जनता की सेवा नहीं कर सकती, राहत नहीं दे सकती, जरूरत के समय, आकस्मिक दुर्घटना के होने पर जो सही अनुदान वह समझती है वह नहीं दे सकती। किशनगढ़ तहसील में जो आग लगने का केस हुआ था, उसमें राहत नहीं मिली। गवर्नमेंट की तरफ से जो सहयोग मिलता है, वह ऋण ले सकता है, तकावी ले सकता है, बीज ले सकता है, लेकिन यह सारा कुछ ऋण है, ऋण के रूप में ही उसको मिला, अनुदान के रूप में २५ रुपये से ज्यादा नहीं मिल पाया। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार का कानून बना कर पंचायत समितियों के हाथ बांध देते हैं, अनुदान देने के लिए, सहायता देने के लिए, तो आकस्मिक सहायता से वह क्या काम चला पायेगा ? इसके साथ ही जो ऋण देने का प्रोसीजर है, वह काफी लम्बा है। उसे पहले दर्ख्वास्त देनी होगी, फिर वह पंचायत समिति के सरपंच से तस्दीक कराये कि जो आग लग गई उसमें इतना नुकसान हुआ या बाढ़ आ गई, इसमें इतनी जमीन डूबी है, इतना नुकसान हुआ है और इतना ऋण ले सकता है। फिर पंचायत समिति है, उसके पास जायेगा और उसकी बैठक में स्वीकार होने पर ऋण मिलेगा और वह फिर दफ्तर से मिलेगा। इतना लम्बा प्रोसीजर है। जिस आदमी का सारा घर, माल खेत जल चुका है, उसको ऋण देने के लिए इतना लम्बा प्रोसीजर हो, इसके अलावा कोई राहत नहीं हो, कोई अनुदान नहीं दिया जाता हो, तो २५ रुपये में वह कितने दिन गुजारा कर सकता है। यह बात सोच सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति अधिनियम में जैसा लिखा है और जो राहत कार्य के लिये रुपया दिया गया है वह अगर ५० हजार रुपया रखें, तो मैं बताऊं कि राजस्थान के अन्दर आज २३२ पंचायत समितियां बनीं, उनमें भी अन्दाज लगा लिया जाय कि कितनी पंचायतें होंगी? अगर एक पंचायत समिति के अधीन १५-२० पंचायतें हों, कितनी पंचायतें आकर उनमें पड़ती हैं और उनको कितनी अनुदान की रकम मिलती है ? इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कितनी आकस्मिक घटनायें गर्मियों के दिनों में और बरसात के दिनों में होती हैं। उनकी संख्या को देखते हुए, मैं समझता हूं कि अनुदान का रेश्यो बहुत थोड़ा है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए था। लेकिन खैर, क्योंकि यह धनराशि वापिस जा रही है, पंचायत समितियों को देनी नहीं है, संभाव्यता निधि में से पहले ली गई थी पेशगी के रूप में, वही वापिस जा रही है, वहां देनी है। खैर, इसको आप दे दीजिये क्योंकि वहां से ली थी। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंचायत मंत्री हैं ही, आप अपने उस पंचायत समिति अधिनियम को दुरुस्त करवाइये ताकि पंचायत समिति के प्रधान, बी० डी० ओ० और विकास

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अधिकारी हैं, वे अधिक से अधिक राहत दे सकें और २५ रुपये तक की सहायता या अनुदान की रकम न दी जाय।

इसके अतिरिक्त हिन्दी टाइप राइटर्स के प्रश्न पर मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं कि जब देश के अन्दर राजस्थान उन प्रान्तों में से है जिसे मूलतः हिन्दी भाषा-भाषी कह सकते हैं, जहां हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और प्रदेशों की बात जाने दीजिये, मैं आपके सामने गुजरात राज्य का उदाहरण रखता हूं। उसने हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तों को करारी चपत दी है। वहां का विश्व विद्यालय सारा कार्य हिन्दी माध्यम से कर सकता है, लेकिन राजस्थान का विश्वविद्यालय, राजस्थान के कार्यालय, राजस्थान का सेक्रेटेरियट हिन्दी में किस प्रकार कार्य कर सकता है, जब कि हम गौरव के साथ कहते हैं कि हम हिन्दी भाषा–भाषी हैं, जब हम गौरव करते हैं कि हिन्दी हमारी मातृ भाषा है, हम लोग हिन्दी पढ़ते हैं, हम लोग हिन्दी बोलते हैं और हिन्दी में काम–काज करते हैं लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ इने गिने लोग, अंग्रेजी पढ़े हुए लोग शासन करते हैं। राजस्थान की पौने दो करोड़ जनसंख्या में कितने लोग अंग्रेजी पढ़े हुए हैं ? यह गिना जाय, तो बाहर से जो आर. ए. एस. और आई. ए. एस., आये हैं, जिनकी हजारों में गिनती होगी, जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट्स बन कर बैठे हुए हैं वे राज्य करते हैं और हम परेशान होकर सुनते हैं कि आज हिन्दी का प्रसार नहीं हो सकता। आज हिन्दी सब जानते हैं, पहले भी हिन्दुस्तान में अंग्रेजी पढ़े व्यक्ति नहीं होते थे। लेकिन हमने देखा कि हमारी रियासतों का कुल काम जितना हिन्दी में होता था, उतना काम हिन्दी में आज भी नहीं होता है। जितनी जनता को सुख–सुविधा पहुँचा सकते हैं वह हिन्दी से पहुंचा सकते हैं, अंग्रेजी से नहीं। आज पटवारियों के पास जितने सर्क्युलर्स जाते हैं, जितने सर्क्युलर्स ग्रामीण पाठशालाओं के पास पहुंचते हैं, वे सब अंग्रेजी में होते हैं। वे किसी अंग्रेजी पढ़ने वाले को तलब करते हैं और वह सर्क्युलर को समझाता है। यह हमारा दुर्भाग्य है और मैं समझता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार इस मायने में फेल हुई है। हिन्दी का जितना विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि केवल टाइप राइटर्स खरीदने से यह मनोवृत्ति नहीं बदल जायगी। जब तक देश में हिन्दी पढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक टाइप राइटर्स खरीदने से हिन्दी का महत्व नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में हिन्दी का हमें गौरव है, हिन्दी हमारी मातृ भाषा है तो उसके प्रसार के लिए कदम उठाना चाहिए। यदि अधिक से अधिक टाइप राइटर्स मंगाने में देरी हुई तो बजट में दूसरे प्रावधान करने चाहिए थे, दूसरे प्रबन्ध करने चाहिए थे, जिससे देर से आने के बाद भी दुरुस्त कर सकते। मैं समझता हूं कि कल का भूला हुआ भी आज घर वापिस आ जायगा तो ठीक समझा जायेगा। अगर राजस्थान सरकार इस कदम को उठाती है तो मैं उसकी प्रशंसा कर सकता हूं। आज मुझे दुःख होता है, जब दूसरे प्रदेश हिन्दी के मामले में आगे बढ़ रहे हैं दक्षिण में हिन्दी का प्रसार हो रहा है, हम लोग अंग्रेजी के पीछे पड़े हुए हैं। हम अंग्रेजी को, चाहे अंग्रेज भारत छोड़ गये,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

छोड़ना नहीं चाहते हैं और जो अंग्रेजी के सारे सरक्युलर्स की कोई बात नहीं समझ सकता, उसे अंग्रेजी में काम करने, सारी बातें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हमारी पंचायत समिति में जहां हिन्दी पढ़े-लिखे लोग बैठते हैं, वहां कोई कागज जाता है तो वह अंग्रेजी में जाता है और वह बी. डी. ओ. के द्वारा पढ़ कर सुना दिया जाता है जबानी और सरपंच का अंगूठा कराया जाता है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के अन्दर केवल अंगूठा लगा कर ही शासन नहीं करा सकते। हमारे लिए यह आवश्यक है कि जिस भाषा को बहु-संख्यक जनता पढ़ती है उस हिन्दी का अधिक से अधिक प्रसार करें। इसलिए मैं आवश्यक समझता हूं कि जिन टाइप राइटर्स को खरीदने में देरी हुई है अब उसमें जल्दी की जाय और इस राशि का भुगतान कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग के सम्बन्ध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। एक प्रस्ताव तो उसी नेचर का है जिस पर कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है और प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसलिये इस प्रस्ताव पर तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसलिये मैं इसको प्रस्तुत नहीं करना चाहता। दूसरा जो मेरा प्रस्ताव कटौती का है, इसका संबन्ध आइटम नं० २ से है जिसमें ६८ हजार रुपयों की राशि की मांग की गई है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार की राशि की मांग की गई है और इस संबन्ध में जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसको देखने से स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार का मतलब इससे निकल सकता है, जैसी मेरी जानकारी है, मैं उसके आधार पर यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मांग की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि २५ आर. ए. एस. ऑफिसर्स हमें ट्रेनिंग रिज़र्व में रखने चाहिये, क्यों रखने चाहिये और अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इस संबन्ध में तो सरकार अपना दृष्टिकोण बतलाएगी; लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि सरकार ने इसकी आवश्यकता इसलिये महसूस की है कि हमें विकास अधिकारियों की नियुक्ति पंचायत समिति में करनी है और जो अधिकारी हों वे आर. ए. एस. हों।

अब प्रश्न इस प्रकार आता है कि सरकार अपनी पॉलिसी किस प्रकार से निर्धारित करे? सरकार किस प्रकार अपनी पॉलिसी निर्धारित करती है और उस पर पालन किस तरह से करती है? अगर सरकार यह कहे कि २५ आर. ए. एस. ऑफिसरों की आवश्यकता होगी, अगर फाइनेन्शियल कमेटी के सामने पेश करें जो सरकार ने मितव्ययता के लिये रखी थी उस कमेटी ने मितव्ययता के बारे में एक एक आइटम को कम करने के बारे में आपको लिखा था। फिर आप २५ आर. ए. एस. ऑफिसरों को ट्रेनिंग रिज़र्व में रखना चाहते हैं। इसके अलावा अभी आपने जब बजट पेश किया था उसमें यह मांग की थी कि हम फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को कमी में ला रहे हैं उससे जो बचत होगी उसका प्रयोग तीसरी पंचवर्षीय योजना में होगा। एक तरफ तो आप फोर्थ क्लास

(श्री मैरोंसिंह)

सर्वेन्ट्स को कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आर. ए. एस. ऑफिसरों को ज्यादा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस समय आप इसका उत्तर देंगे तो इसका एक ही उत्तर होगा कि हमें बी. डी. ओज़. की जरूरत है। मैं समझ नहीं पाया कि आपको अचानक ही इनकी क्या जरूरत हुई ? यह बात सही है कि दो अक्टूबर के बाद कुछ शेडो ब्लॉक्स और कुछ ब्लॉक्स खुले और उनके लिये बी. डी. ओज. की आवश्यकता हुई। मैं इसके लिये यह निवेदन करूंगा कि सरकार कहीं से भी उनका एपोइन्टमेंट कर सकती है। सरकार उनकी नियुक्ति पी.एस.सी. से कर ले। समझ में नहीं आता कि रिज़र्व क्यों रखे? अब यह कहा जाता है कि अगर कोई छुट्टी में चला जावेगा तो उसके लिये क्या प्रबन्ध होगा ? मैं इस बात को नहीं मानता कि जब कोई छुट्टी में चला जाएगा तो उसका क्या होगा ? मैं यह कहूँगा कि आज भी सरप्लस है और इसी विभाग में है जिनका उपयोग अच्छी तरह से किया जा सकता है।

जब सरकार रिज़र्व रखेगी तो सरकार का दृष्टिकोण यह रहता है कि वे अपनी स्वीट विल पर जिनको जहां रखना चाहें, रखेंगे। इसका मतलब यह होगा कि यदि सरकार किसी आर. ए. एस. ऑफिसर पर नाराज हुई तो उसको दंड किस तरह से दिया जावे ? तो उसके लिये दंड देने का यही तरीका होगा कि उसको रिफ्रेशर्स कोर्स में भेज दिया जावेगा और वह वहां पर बैठा रहेगा और यदि कोई सरकार को कहेगा कि आप उनसे काम नहीं ले रहे हैं तो सरकार यही कहेगी कि हम उनसे काम ले रहे हैं। उनको किसी प्रकार की जेल नहीं होगी, किसी प्रकार से वे सरप्लस में नहीं कहे जा सकते हैं। सरकार एकदम यही कहेगी कि उनको रिफ्रेशर्स कोर्स के लिये व्यवस्था की है। जब सरकार यह कहती है कि हम मितव्ययता के नाम पर पैसा बचावें तो इस सरकार के लिये यह कतई उचित नहीं है कि इस प्रकार से २५ आर. ए. एस. अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिये रिज़र्व रखें। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, कि इस प्रकार के लोगों को रखने से ६८ हजार का खर्चा होगा वह खर्चा कोई मामूली खर्चा नहीं है और यह फाइनेन्शियल कमेटी की सिफारिश के विपरीत जावेगा। आपने बजट में घोषणा की थी कि मितव्ययता के लिये क्लास फोर्थ में कमी लावेंगे, मगर मैं यह कहूंगा कि आप बड़े बड़े अधिकारियों को बढ़ाते जा रहे हैं और छोटे कर्मचारियों को कम करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर एक बात कहूँगा। क्योंकि यहां पर कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, इसलिये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आर. ए. एस. ऑफिसरों का दुरुपयोग किया जाता है। एनिमल हस्बेन्ड्री में एक व्यक्ति की नियुक्ति हुई, वहां उसके खिलाफ डाइरेक्टर की शिकायत थी कि इनके कारण से सारे एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ होती है। वहां पर पहले एनिमल हस्बेन्ड्री में एक डिप्टी डाइरेक्टर था। मगर जब उसकी शिकायत हुई तो वहां पर एक तो टेक्निकल और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल के लिये मुकर्रर कर दिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जहां पहले एक डिप्टी डाइरेक्टर था वहां पर दो डिप्टी डाइरेक्टर मुकर्रर कर दिये ; एक को टेक्निकल और दूसरे को एडमिनिस्ट्रेशन के लिये बना दिया। जहां

(श्री भैरोंसिंह)

पर आज तक एक व्यक्ति काम करता था आपने उसकी शिकायत पर एक के बजाय दो कर दिये। समझ में नहीं आता कि आपने दो क्यों किये और आपने वहां पर एक आर. ए. एस. को एपोइन्ट किया ! इस प्रकार की राजस्थान में कई एग्ज़ाम्पल्स हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप इस प्रकार व्यक्तिगत लोगों के लिये यह करना चाहते हैं तो यह २५ आर. ए. एस. तो क्या ५० भी कम होंगे और उनसे भी आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि यह तो आपकी मर्जी के जिम्मे हैं। आप गरीब कर्मचारियों का तो गला घोंटते हैं और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उन्हें रजिस्ट्रार के सामने सेक्रेटेरियेट में उपस्थित करें और उनको कम करने के लिये रजिस्ट्रार को मजबूर करें और इस प्रकार नई पोस्ट २५ आर. ए. एस. ऑफिसरों की क्रिएट करें तो मैं यह निवेदन करूंगा कि यह उचित नहीं है और ऐसा करके सरकार गरीबों के गले पर छुरी चला रही है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की इस मांग को कि आर. ए. एस. को भर्त्ती करना चाहिये, इस मांग को स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं कहूंगा कि इसके लिये किस बात की आवश्यकता है ? कौनसी कमी आ गई है कि जिसके लिये आप रिज़र्व रखना चाहते हैं ? अगर आप आर. ए. एस. में रिज़र्व रखना चाहेंगे तो आप आई. ए. एस. में भी रिज़र्व क्यों नहीं रखते ? इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि आपने किस आधार पर इन २५ आर. ए. एस. ऑफिसरों को रखने का निश्चय किया है और इसी प्रकार से आपके आई. ए. एस. और आर. पी. एस. आदि में भी कोटा होगा ? मैं कभी भी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि इस मांग को स्वीकार किया जावे।

मैं अंत में एक बात की ओर संकेत करूंगा, हालांकि इस बात का प्रसंग है, नहीं मगर मैं कहना चाहता हूं। आर. ए. एस. को बी. डी. ओ. की ट्रेनिंग दी जाती है उनके डिस्ट्रिक्ट में जुडिशियल वर्क होते हैं। जो लोग जुडिशियल नेचर का काम करते हैं उनको चाहिये कि वे उसी प्रकार का काम करते रहें उनको आपको पोलिटिकल पार्टी में नहीं घसीटना चाहिये। मेरे सामने कई आर. ए. एस. ऑफिसरों के उदाहरण हैं। सीकर में जुडिशियल ओफिसर थे उनको उसी स्थान पर बी. डी. ओ. बना दिया गया। मैं यह कहूंगा कि अगर जुडिशियरी में काम करने वालों को प्लानिंग और दूसरी पोलिसीज़ में काम कराया जावे तो वे इम्पार्शियल रह नहीं सकते और इम्पार्शियल जजमेंट दे नहीं सकते। मैं यह अपने अनुभव पर कहता हूं कि जनता को उनसे किसी प्रकार की जुडिशियरी का फायदा नहीं हो सकता और इसका नतीजा यह होगा कि नीचे की जुडिशियरी है उसमें सरकार के इशारों पर जजमेंट मिलेंगे और लोग अपना विश्वास खोते जाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां तक मेरा दृष्टिकोण है, यह रुपया खर्च करना राज्य सरकार के लिये उचित नहीं है और राज्य सरकार को यह खर्चा नहीं करना चाहिये। अगर कहीं पर किसी प्रकार की कमी हो तो सरकार को चाहिये कि पी. एस. सी. को भेज कर वहां से आदमी ले ले, या योग्य व्यक्ति को प्रोमोशन

(श्री भैरोंसिंह)

के द्वारा लिया जा सकता है। इसमें रिज़र्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन इसको स्वीकार न करें।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

वित्त मंत्री महोदय जबाब दे दें तो डिमान्ड पास हो जावेगी।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस डिमान्ड पर जो कट मोशन्स पेश किये गये हैं उनमें दो-तीन बातें मुख्य रूप से कही गई हैं जिनका स्पष्टीकरण हो जाना जरूरी है। पहले तो हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में टाइप राइटर्स मांगे गये थे, उनके लिए रकम रखी गई। राज्य के कई महकमों में हिन्दी भाषा प्रवेश करने के लिए राज्य ने घोषणा की है लेकिन अब तक पालन नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात के लिए जागरूक है। उसके ध्यान में भी यह बात है कि जितनी तेजी से हिन्दी का प्रसार और प्रचार होना चाहिये उतना तेजी से नहीं हो सका। कई दफा चर्चा हुई। पिछली केबिनेट मीटिंग मे भी यह विषय आया था और मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि उसके लिए यह तय हुआ कि एक स्पेशल केबिनेट की मीटिंग जल्दी से जल्दी इस बात के लिए बुलाई जाय और उस पर विचार किया जाय कि अब तक उसका पालन क्यों नहीं हुआ, क्या कठिनाई थी ताकि उन आज्ञाओं का पूरी तरह से पालन किया जा सके। और भी कई बातें हो सकती हैं जिससे हिन्दी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग राज्य के महकमों में किया जा सके। मैं समझता हूं, इससे अधिक इस विषय पर यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है।

बाढ़ के लिए सहायता के विषय में यहां पर काफी कहा गया। मैं मानता हूं कि जो पंचायत समितियों के सुपुर्द रकम बाढ़ की सहायता के लिए की गई है वह रकम की दृष्टि से कम है। (२५) रु. का अधिकार दिया है वह भी हम कम पाते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि सब जगह बाढ़ और आग लगती नहीं है और भी असाधारण परिस्थिति पैदा नहीं होती है। इसलिए इस पर विचार किया जा सकता है कि यदि रकम कम है तो बढ़ा दी जा सकती है लेकिन आखिर प्रश्न वही रुपयों का आता है। जितना होगा उतना ही तो खर्च करेंगे। बाढ़ और आग जब बड़े रूप में आती हैं तो कोई भी सरकार तुरन्त उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। आखिर जनता की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार से थोड़ी बहुत राहत दी जा सकती है। मैं नहीं समझता कि सरकार ही सब रकम खर्च कर सकती है और तमाम सामग्री दे सकती है। यह नामुमकिन भी है। हां, रकम जल्दी मिलनी चाहिये और इसीलिए पंचायत समितियों के पास यह रकम रखी गई है। कलेक्टर के पास पहले थी, पहुँचने में देर लगती थी। तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार के ध्यान में बात

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

है और यह सही बात भी है कि यदि समय पर सहायता नहीं मिलती है तो वह सहायता ही फिर बेकार हो जाती है। एक-दो उदाहरण बतायें हैं तो वे मैं देख लूंगा कि क्यों देर हुई ? बहरहाल इसमें कोई मतभेद की बात नहीं है। सरकार का ध्यान दिलाने की बात है और मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के ध्यान में यह बात है।

आर. ए. एस. की ट्रेनिंग के बारे में दो माननीय सदस्यों ने खास तौर पर कहा। एक ने तो बताया कि देर बहुत होती है सरकारी कामों में और जो आर. ए. एस. ट्रेनिंग है उसमें ऐसी व्यवस्था है कि उसके होने से वह देरी दूर हो सके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकारी कामों में देरी होती है। यह सचमुच सब ही राज्य सरकारों के लिए सिर-दर्द हो गया है, यह केवल इस राज्य के लिए ही नहीं है। मंत्रीगण भी बराबर इस बात के लिए सचेष्ट हैं कि किस प्रकार यह देरी दूर की जाय। सब जगह कामयाबी नहीं हुई है। माननीय सदस्य तो केवल प्रश्न पूछ कर ही रह जाते हैं, जिम्मेदारी तो हमारी होती है। उसके लिए हमको अफसोस भी होता है। सरकारी फाइलों में नोटिंग होता है। उसमें कमी कैसे की जा सकती है ? जो पॉवर्स सेक्रेटरी को हैं उनको डिप्टी सेक्रेटरी को देकर कैसे उस देरी को दूर किया जा सकता है, ऐसा प्रयास भी इस ओर हो रहा है। डेवलपमेंट के कामों में देरी न हो, इस ओर भी ध्यान दिलाया जाता रहा है। माननीय श्री माधोपुर से आने वाले सदस्य....

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय श्रीमाधोपुर तो नहीं है।

श्री सभापति : श्रीमाधोपुर से आने-वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : शब्द इधर से उधर कभी आप भी कर लिया करें।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर): श्रीमाधोपुर में नहीं लगना चाहिये था 'माननीय'।

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उसमें बात यह है कि अब सरकार ने पिछले साल से यह बनाया है कि जितने आर. ए. एस. ऑफिसर्स हैं उनको विशेष ट्रेनिंग दी जाय और उसके लिए एक साल का पीरियड रखा है। यह शासन की एफिशियेन्सी के लिए जरूरी है। जब ट्रेनिंग में जायेंगे और काफी तादाद में जाते हैं तो उनकी पूर्त्ति कैसे हो, तो उसके लिए रिज़र्व रखने की जरूरत होती है। उस लिहाज से २५ तो बहुत ही कम हैं। जब से पंचायत राज्य का हमारे यहां प्रयोग शुरू किया है, दिन प्रतिदिन अनुभव होता जा रहा है कि बी. डी. ओज़. इस सुविधा के योग्य व्यक्ति होने चाहिये। इसलिए यह तय किया गया कि आर. ए. एस. में से कुछ उनका पर्सेन्टेज़ होना चाहिये। पुराने बी. डी. ओ. हैं उनको आर० ए० एस० की ट्रेनिंग के लिए भी भेजना पड़ता है। ट्रेनिंग काल की पूर्त्ति के लिए रिज़र्व रखा गया है। जिस

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

इकॉनोमिक कमेटी का आपने जिक्र किया, फाइनेन्स के द्वारा छान–बीन करने के बाद ही कोई भी बड़ा आइटम....

श्री भैरोंसिंह : फाइनेन्शियल कमेटी ने रिपोर्ट दी उसकी मार्फत आई हैं क्या ? पूछ लीजिये आप नाथूरामजी से ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पूछ लिया ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : रिजर्व की स्कीम है तो उसको इकॉनोमिक कमेटी ने एप्रूव किया है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के बारे में आपने कहा तो उनमें कमी का मतलब यह नहीं है कि उनको हटा दिया जाय। हटाया नहीं है, अलग अलग डिपार्टमेंट से कमी करके रिज़र्व में रखा है । जहां कमी खलती है पहले उनको वहां जगह दी जाती है । छंटनी नहीं की है सरप्लस डिक्लेअर किया गया है । इतने स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे अपने कटमोशसन वापिस लेने की कृपा करेंगे और मूल मांग को स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

श्री पी० के० चौधरी : ऑन ए पोइन्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन सर, आप ट्रेनीज़ को जो सिखाते हैं डेवलपमेंट वर्क्स में क्या क्या सिखाते हैं ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं ।

श्री पी० के चौधरी (फुलेरा) : I beg leave of the House to withdraw my cutmetion.

श्री सभापति : श्री लक्ष्मीचन्द ।

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

श्री पी० के० चौधरी : We will like to withdraw our cut motions. we have asked for that.

श्री सभापति : That will be deemed as withdrawn. It is not necessary for me to put evey cut motion before the House. We have a precedent of that type. They shall be automatically deeemed as negatived or withdrawn.

श्री पी० के० चौधरी : The time is up, Sir.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन की कार्यवाही २ मिनिट के लिये और चलाई जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री सभापति)

को ३,१८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

अब सदन की कार्यवाही कल ११ बजे प्रात: तक के लिये स्थगित की जाती है ।

५. १. म. प.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५. १. म. प. दिनांक १० सितम्बर, १९६० के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त–विवरण

(शुक्रवार, ६ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ... २६१६

उनियारा कस्बे में नव–निर्मित भवन में हाई स्कूल का स्थानान्तरण ।

संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा पांच हजार रुपयों से मच्छी ठेकों की स्वीकृति ।

बगड़ी के सब–इन्सपेक्टर श्री बालमुकन के विरुद्ध हुई शिकायतें ।

अहिन्दी भाषी प्रान्त ।

टोंक के लोगों को प्रदत्त हाउस लोन ।

संचालक, पशु पालन विभाग द्वारा पॉल्ट्री फार्मिंग हेतु दिये गये मुर्गे तथा मुर्गियां ।

पंचायत समिति, बांसवाड़ा के क्षेत्र में वितरित फसल प्रतियोगिता, तलवाड़ा पारितोषिक ।

माइनिंग इन्जीनियर, भीलवाड़ा के कार्यालय से गायब हुई फाइलें ।

सन् १९५९ में बेसिक एस. टी.-सी. ट्रेनिंग के वास्ते भेजे गये अध्यापकों में से कुछ को छात्र-वृत्ति न मिलना ।

बुनियादी शिक्षा की स्थिति की जांच करनेवाली समिति की सिफारिशों पर हुई कार्यवाही ।

डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज, जयपुर की अदालत अथवा अधीनस्थ अदालत से फाइल की चोरी ।

जयपुर शहर में सरकारी स्कूल एवं कॉलेज की लड़कियों के लिए पर्याप्त बसों की व्यवस्था करना ।

मैसर्स फूसालाल मानसिंहका, मालिक महादेव कॉटन मिल्स, भीलवाड़ा को मिल के सम्बन्ध में मिली भूमि का मसला ।

सी. आई. डी. में नियुक्तियें एवं पदोन्नतियें ।

स्कम्भ

जालोर की जेल का सुरक्षा की दृष्टि से नव-निर्माण।

नागोर में आयोजित लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण प्रदर्शनी व राजस्थान प्रदर्शनी, १९५९ में आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग में लगे स्टालों के इन्चार्ज।

जिला परिषद् व पंचायत समितियों की जांच हेतु मुकर्रर मूल्यांकन कमेटी द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट।

बीकानेर के नायकों की वर्षा—ग्रस्त बस्ती के लोगों को प्रदत्त सहायता।

चूरू जिले के पुलिस कर्मचारीगण व अधिकारीगण को समय पर टी. ए., डी. ए. न मिलना।

ग्राम धनारी, जिला सिरोही के स्कूल भवन को पूरा करवाना।

जयपुर शहर में गुन्डागर्दी एवं स्त्रियों के साथ होनेवाली छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकना।

लाडपुरा ब्लॉक में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के हितार्थ बसाई गई बस्तियां।

स्कम्भ

बांसवाड़ा जिला जेल निरीक्षण हेतु निर्मित कमेटी।

जिला जालोर की पंचायत समितियों में लाइबिलिटीज़ के विचाराधीन बिलों का भुगतान।

बापूनगर, जयपुर के क्षेत्र में पुलिस चौकी की स्थापना।

अनुसूचित जन–जाति सलाहकार मंडल।

जयपुर नगर के लिए एक स्थाई एवं सुविधाजनक बस स्टेन्ड की अपेक्षा।

शिक्षा विभाग में अध्यापकों को मिलनेवाली पदोवृद्धि के नियम।

सरपंच नगर, तहसील देवली के विरूद्ध अदालत टोंक में किया गया चालान।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन **३००१**

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री एवं सभापति प्रवर समिति, ने राजस्थान जमींदारी तथा बिस्वेदारी उत्सादन (संशोधन)

विधेयक, १६६० से सम्बन्धित प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापन किया ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६६०–६१ (प्रथम खण्ड) पर विचार

१. मांग संख्या ५८, मुख्य शीर्षक ता–राज्यों सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम । ३००१

उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई । इस मांग पर १४ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

वित्त मंत्री के उत्तर के पश्चात् ३ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए जिनमें से एक पर विभाजन हुआ (पक्ष में १५ मत व विपक्ष में ४१) ।

मांग सदन द्वारा स्वीकार भी की गई ।

२. मांग संख्या ५४, मुख्य शीर्षक ५७–विविध ३१२६

उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई । इस मांग पर ८ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

वित्त मंत्री के उत्तर के पश्चात्, मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई ।

सदन की बैठक ५ बज कर १ मिनट पर शनिवार, दिनांक १० सितम्बर, १६६० को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

शनिवार, १० सितम्बर, १६६० की कार्य-सूची

अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १६६०–६१ (प्रथम खण्ड) पर मत–दान

(क) मांग संख्या ५६–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत ।

(ख) मांग संख्या ५५–सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि ।

(ग) मांग संख्या ५७–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा ।

(घ) मांग संख्या४५–राजस्व

Page No.131

स्कम्भ

(ङ) मांग संख्या ४५–सिंचन (संयुक्त) स्थापना इत्यादि।

(च) मांग संख्या ४६–सामान्य प्रशासन।

स्कम्भ

(छ) मांग संख्या ४७–पुलिस

(ज) शेष मांगों पर मुख-बन्ध

(२) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६० (पुर:स्थापन–पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४४६ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF LOAN ADVANCED IN TONK UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME.

1958-59

S. No.	Name of Loanee.	Amount Sanctioned.	Amount Drawn. Rs.
1	2	3	4
1.	Shri Bhanwar Lal	5,000	5,000
2.	„ Aktin Husain	5,000	5,000
3.	„ Vidhya Bhushan	6,500	6,500
4.	„ Mukat Singh	6,500	6,500
5.	„ Prami Khemraj	6,500	6,500
6.	„ Nand Kishore	5,000	5,000
7.	„ Ram Naraian	5,000	5,000
8.	„ Ahamad Ali	3,500	3,500
9.	„ Peerumal	4,000	800
		Total:- 47,000	43,800
		1959-60	
1.	Shri Peerumal	Sanctioned last year.	Rs. 3,200
2.	„ Mohan Lal	5,000	3,500
3.	„ Faiyaz Ali	4,000	2,800
4.	„ Sharfuddin	3,000	3,000
5.	„ Mangi Lal Harijan	1,500	1,050

Page No.133

1	2	3	4
6.	Shri Saidullah	5,000	5,000
7.	,, Mahmozdullah Khan	3,000	3,000
8.	,, Hafiaullah Khan	3,000	2,100
9.	,, Chowth Mal Sharma	3,000	2,100
		Total:-27,500	25,750
		1960-61	
1.	Shri Chowth Mal Sharma	(Loan was sanctioned	900
2.	,, Hafizullah	(in 1959-60 and the	900
3.	,, Mangi Lal	(instalment has been	450
4.	,, Faiyaz Ali	(paid.	12,00
5.	,, Mohan lal	(	15,00
			49,80

क्रम संख्या	नाम लोनी	लोन जो स्वीकृत हुआ	रकम किश्त जो ड्यु हुई		रकम जो पहली किश्त वसूल हुई		ऋण देने के वर्ष से ३० वर्ष तक की अवधि तक वसूली होगी		
			मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	मूल	ब्याज	कुल योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१.	श्री भंवरलाल, टोंक	५,०००	१६६.६७	७३.३५	१६६.६७	७३,३५	४,८३३.३३	३,७४५.९३	८,५७९.२६
२.	,, अतिक्या हुसैन, टोंक	५,०००	१६६.६७	११३.०२	१६६.६७	११३.३५	४,८३३.३३	३,७४५.९३	८,५७९.२६
३.	,, विद्या भूषण, टोंक	६,५००	२१६.६७	१५४.८३	२१६.६७	१५४.८३	६,२८३.३३	४,८६९.१०	११,१५२.४३
४.	,, मुकुटसिंह, टोंक	६,५००	२१६.६७	१५०.०९	२१६.६७	१५०.०९	६,२८३.३३	४,८६९.१०	११,१५२.४३
५.	,, खेमराज प्रेमी, टोंक	६,५००	२१६.६७	१५०.०९	२१६.६७	१५०.०९	६,२८३.३३	४,८६९.१०	११,१५२.४३
६.	,, नन्दकिशोर, टोंक	५,०००	१६६.६७	११४.५२	१६६.६७	११४.५२	४,८३३.३३	३,७४५.९३	८,५७९.२६
७.	,, भैरूं चरणदास, टोंक	१,०००	१,०००.००	२३.००	१,०००.००	२३.००	—	—	—
८.	,, रामनारायण, टोंक	५,०००	१६७.६७	११४.५२	१६७.६७	११४.५२	४,८३३.३३	३,७४५.९३	८,५७९.२६
९.	,, अहमदअली, टोंक	३,५००	११६.६७	८६.६०	११६.६७	८६.६०	३,३८३.३३	२,६२२.१८	६,००५.५१

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१०.	श्री पीरूलाल, टोंक	४,०००	१३३.४३	६५.००	१३३.३४	६५.००	३,८६६.६६	२,९९६.५७	६,८६३.२३
११.	,, मोहनलाल, टोंक	५,०००	—	—	—	—	५,०००.००	३,८५१.५६	८,८५१.५६
१२.	,, फयाजअली, टोंक	४,०००	—	—	—	—	४,०००.००	३,०७८.६८	७,०७८.६८
१३.	,, शर्फुद्दीन, टोंक	३,०००	—	—	—	—	३.०००.००	२,३१९.६७	५,३१९.६७
१४.	,, मांगीलाल हरिजन	१,५००	—	—	—	—	१,५००.००	१,१५५.९४	२,६५५.९४
१५.	,, सईदुलाखां, टोंक	५,०००	—	—	—	—	५,०००.००	३,८६६.८४	८,८६६.८४
१६.	,, मेहमदुल्ला हसन टोंक	३,०००	—	—	—	—	३,०००.००	२,३२१.०८	५,३२१.०८
१७.	,, हफीजुल्लाखां टोंक	३,०००	—	—	—	—	३,०००.००	२,३११.९२	५,३११.९२
१८,	,, चोथमल टोंक	३,०००	—	—	—	—	३,०००.००	२,३११.४६	५,३११.४६
	कुल	७५,५००	२,५६७.७०	१,०४५.०२	२,५६७.७०	१,०४५.०२	७२,९३३.३०	५६,४२६.९२	१,२९,३६०.२२

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५० का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE NO. OF BIRDS SUPPLIED & AMOUNT RECEIVED FROM THE DEVELOPMENT BLOCK DURING THE YEAR 1958-59 and 1959-60 IN THE OFFICE OF THE POULTRY DEVELOPMENT OFFICER, RAJASTHAN, JAIPUR

S. No.	Name of the Development Block	Amount Received.	Date of Deposit.	Number of Birds Suppied	Date of Supplies.	Information regarding out-standing in the office of the Poultry Development Officer, Raj., Jaipur.	Remarks.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Vikas Adhikari, Panchayat Samiti. Bhinai.	Rs. 320.00	15—4—58	160	8—3—1959	No. Dues.	
2.	,, ,, ,, Bagidora.	Rs. 500.00 Rs. 82.50 Rs. 582.50	25—4—58 25—4—58	292 150 20 462	15-6—1958 16-1—1959 23-6—1959	—do—	

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Antah.	Rs. 77.00	26—4-58	36	15-4—1958	No Dues.	
4.	„ „ „ Jhalrapatan.	Rs. 95.00	26—4-58	40 at the	August 1958		
		Rs. 55.00	10—6-58	57 rate of	2—7—1958		
		Rs. 100.00	27-10-58	18 Rs.3/-	8—11-1958	—do—	
		Rs. 289.50	21-1—59	6 @ Rs.3/- per bird	29-1—1959		
		Rs. 539.50		188	9—3—1959		
				310 bird			
5.	„ „ „ Abu Road.	Rs. 119.75	27-4—59	60	4—5—1959		
		Rs. 79.38	12-8—59	50	9—8—1959		
		Rs. 149.38	16-3—59	49	25-2—1960	Rs. 30/-Duee.	
		Rs. 348.51		159			
				50	1—5—59		
6.	„ „ „ Nokha.	200/-	25-4—59	150	7—2—59	No dues.	
7.	„ „ „ Jodhpur.	200/-	12-10-59	100	Supplied from Ajmer.	„	

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Vikas Adhikari, Panchayat Samiti.	Atru. 40C/-	19-9—59	50 @ the Rs. 4/-	27-6—59	Rs. Two Hundred are due.	The Vikas Adhikari was requested to take away 50 birds from the farm Udaipur but he had not taken the delivery.
9.	,, ,, ,,	Kot-Kasim. 100/-	11-2—60	50	15-7—59	No Dues.	
10.	,, ,, ,,	Simalwara. 100/- 227-50 427-50	8—7—58	214	9—7—58	,,	
11.	,, ,, ,,	Mandalgarh. 94-50 50/- 144-50	7—7—58 12-9—59	48	30-5—59	Rs. 48-50 Due.	

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Vikas Adhikari, Panchayat Samiti, Pratapgarh.	110/-	8—7—58	55	29-1—59	No Dues.	
13.	„ „ „ Baran(Kotah)	525/-	12-7—58	100	24-12-58	Rs. 221·50 nP.	
				70	24-12-58	Dues.	
				8	from Kotah.		
				178			
14.	„ „ „ Kuchaman City.	133/-	26-8—58	67	19-5—59	No Due	
		129/-75 nP.	12-9—59	65	27-7—59		
		262/75 nP.		132			
15.	„ „ „ Nagar.	113/-	15-8—58	68	5—2—59	„	
		23/-	26-8—58				
		136/-					
16.	„ „ „ Siwana.	196/-	23-7—58				
		112/-	20-6—59	—	—	Rs. 448/-	
		140/-	27-4—59			Dues.	
		448/-					

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Vikas Adhikari Panchayat Semiti Hanuman-Garh.	291/-	8—7—58	200	Supplied from Jaipur.	No Dues.	
18.	„ „ „ Laxmangarh. (Sikar)	76/- 70/- 96/- 16/- 258/-	23-7—58 26-7—58 8—9—59 3—8—59	50 28 51 129	—do— 10-2—59 14-5—59	„	
19.	„ „ „ Relmegra.	500.00	26-7—58	—	—	500/- Due	
20.	„ „ „ Desuri	140.00 107.50 50.00 297.50	26-4—58 16-4—58 6-6—59	124 25 149	16-3—59 13-5—59	No Dues.	
21.	„ „ „ Talwara(Bundi)	825.00	25-4—58	102	May 1958	Rs. 219 Dues.	

परिशिष्ट

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	Vikas Adhikari Panchayat Samiti, Sambhar Lake	100.00	26-4—59	50	31-5—59	No Dues.	
23.	,, ,, ,, Karoli	184.50	10·6—58	93	6-7—58	,, ,,	
24.	,, ,, ,, Sojat.	224.00	22-5—58	112	1-2—59	,, ,,	
25.	,, ,, ,, Bilara	473.00	19-9—59	94	8-5—59	225 Dues.	
26.	,, ,, ,, Gaddi	449.00	16-5—58	150 95 245	1-7—58 27-5—59	No Dues	
27.	,, ,, ,, Pindwara	525.00 240.00 765.00	26-4—58 4-8—58	50 50 100	July,58 31-7—58	660-Dues	
28.	,, ,, ,, Kekri	210.00 30.00 240.00	26-8—58 29-9—59	—	—	240-Dues	

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Vikas Adhikari Panchayat Samiti, Kushalgarh	888.50	25-4—58	225	8-7—58	No Dues.	
		1142.50	10-6—58	90	10-12-58		
		2031.00		100	29-1—59		
				100	30-3—59		
				38	13-7—59		
				477	6-1—60		
				1030			
30.	" " " Govindgarh	509.00	25-4—58	60	17-9—58	389-Dues	
31.	" " " Ahore.	525.00	26-8—58	100	20-1—59	325 "	
32.	" " " Kotah.	45.00	25-4—58	51	June'58		
		450.00	25-4—58	114	July'58		
		1135.00	25-4—59	19	Aug'58		
		219.00	29-9—58	2	Sept'58	Rs. 875.50 Dues.	
		280.00	19-9—59	160	Nov'58		
		8,00	—	10	Dec'58		

परिशिष्ट

1	3	4	5	6	7	8
		6.50	16-12-59	32	Jan '59	
		2143.50		35	April'59	
				26	May'59	
				28	June'59	
				350	14-4—60	
				834		
33. Vikas Adhikari Panchayat Samiti, Pisangang		235.00	6-6—59	25	19-9—59	
		242.00	12-9-59	10	10-1—60	Rs. 269 Dues.
				12	30-1—60	
		477.00		80	3-11-59	
				127		

— — — —

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ का उत्तर देखिए)

लिस्ट सामान नागोर प्रदर्शनी

नक्शा ४'×३' हार्ड बोर्ड में कटे हुए नक्शे मय फ्रेम सागवान के ४ रु० प्रति	रु० न० पै०
१	२
नक्शा एक बड़े उद्योगों का	४०–००
नक्शा एक लघु उद्योगों का	४०–००
नक्शा एक खनिज पदार्थों का	४०–००
स्टेन्ड ६×४ के ३ के, प्रति १० रु०	३०–००
फाल्डर्स २, प्रति १३ रु०	२६–००
फ्रेम १	१३–००
कपड़ा लाल ६ गज	६–००
चद्दरें १६ नग गज ४०	६३–०६
१२ दर्जन छोटे लट्टू नक्शे के लिए ५ रु० प्रति दर्जन	६०–००
१२ दर्जन छोटे होल्डर नक्शे के लिए ६ रु० प्रति दर्जन	७२–००
१० घन्टी के बटन स्वीच के लिए ७॥ रु० प्रति दर्जन	६–२५
१० टेबल लैम्प	६–२५
छोटी मोटर १ वाल्ट की	१४–००
तीन नक्शों में लट्टू फिट करने की मजदूरी १०) रु० प्रति नक्शा	३०–००
तीन नक्शे में छेद निकलवा कर तार के लगाने की ४) रु० प्रति नक्शे से	१२–००
अजमेर के ४ नक्शे कांच में मंढे हुए ४॥ प्रति नक्शे	१८–००
हार्ड बोर्ड १४×३	६–००
हार्ड बोर्ड पर स्प्रे पेन्टिंग	२–४०

१	२
रिबन	२–५०
प्लास्टिक के अक्षर २४७	२३–२५
रस्सी १ सेर	३–१२
लकड़ी की पट्टी नक्शे के लिए	१–२५
ट्यूब लाइट फ्यूज होने के कारण	१३–००
स्टारटर व स्विच २ और १०	१५–१६
४ टेबुल लाइट का किराया ३) रु० प्रति	१२–००
३ नक्शे में बाउन्ड्री आर्ट का काम व रंग आदि के १५) १५) २०) रु०	५०–००
दो चार्ट गन्ने व तेल के आर्ट कागज पर प्रति ६ रु०	१२–००
बैटरी के मसाले	२–०६
पानी की मूण	५–५०
कांच के गिलास ३	१–३१
प्लास्टिक की पट्टी	०–६४
तांगा कुली गाडी व रिक्शा जयपुर से नागौर प्रदर्शनी का सामान लाने व लेजाने के खर्चे	३५–२५
लाल कपड़ा खादी का १६ गज सफेद कपड़ा खादी का १५ गज	४८–३७
५ मजदूरों के २॥ रु० प्रति	१२–५०
प्लास्टिक की नाम पट्टीयां १०	१०–००
सोल्युशन	१–००
बिजली की ३ ट्रांसफारमर का किराया व बैन्ड स्वीच व २ नोब के	२५–००
	कुल जोड़ ७५६–२०

नागौर प्रदर्शनी के लिए १०,०००) रु० की स्वीकृति थी जिसमें में ७५६ रु० २० नये पैसे खर्च किए गए।

राजस्थान प्रदर्शनी १६५६ में लगे आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण विभाग की स्टाल का ब्योरेवार खर्चा

हार्डबोर्ड ६२४ वर्ग फुट दर ०–१०–६ पति फुट से	रु० न० पै०
१	२
एरो प्लाई बोर्ड ३८४ फुट दर ०–७–६ ,, ,, ,, मरीट प्लाई बोर्ड ३२ वर्ग फुट दर ०–६–० ,, ,, ,, मय प्रदर्शनी में पहुँचाने के खर्च के	८०६–३७
जूट की पट्टी ४॥ फीट चौडी १० गज दर ६ रु० प्रति गज	६०–००
राजस्थान का नक्शा ४×३ का हार्ड बोर्ड में कटा हुआ मय राजस्थान की विभिन्न कटी मेडों के बाउन्ड्री रंग व चिन्ह आदि के	७०–००
हार्ड बोर्ड के कटे हुए १५×१२ के अक्षर ३२ दर २ रु० प्रति से मयरंग के	६४–००
,, ,, मय ,, ६×६ के २५ अक्षर दर ३७ नये पैसे ,, ,, ,, ,,	९–६२
प्रदर्शनी के बड़े दरवाजे १०×८×१० इंच चोड़े मय रंग लकड़ो व मजदूरी इत्यादि के जो कि खुलने व वापिस काम में लाये जाने लायक मय सूर्यनुमा दरवाजे के ३००) रु० प्रति दरवाजे से	६००–००
रिक्शा ठेला व गाड़ी सामान ले जाने का	२०–३२
डोर रेशमी	००–६४
अगरबत्ती	४–८२
छोटे कप रंग के लिए ०–२–० प्रति कप से २ कप का	००–२५
प्लास्टिक की तस्तरियां ०–६–० प्रति से ५ के	१–८७
सब किस्म की लोहे की कीलें ७ सेरू	१६–३२
लकड़ी चिराई के	३–१२
लकड़ी के कारीगरों को स्टाल बनाने की मजदूरी के	१६१–००
चीड़ की लकड़ी के स्लीपर ५॥–नाप १०×५×१०	१५६–००
प्लास्टिक अक्षर हिन्दी व अंग्रेजी के	२–३७

१	२
स्टाल की रंगाई पुताई व ६२४ वर्ग फुट पर पॉलिश व ३८४ वर्ग फुट प्लाई बोर्ड पर पेन्टिंग के लिए मजदूरों के	४१–००
प्रदर्शनी में चौकीदार को	४४–००
ब्यावर से मिल के दो माडल नये व पुराने लाने व ले जाने में ट्रक किराया	२२०–००
विभिन्न दस्तकारी उद्योगों के वसर्वेक्षण के २५ चित्र बनवाने के दर ७रु० प्रति से ५ रु० १ चित्र खराब होने के कारण काटे गए	१७०–००
६ वाल्ट के छोटे लट्टू १० दर्जन दर ६रु० प्रति दर्जन	६०–००
२ दर्जन छोटे खटके दर ७।। रु० प्रति दर्जन (टेबुल लैम्प के खटके)	३–७५
३ खटके व सेल्स टैक्स	१–५३
बिजली के सामान का किराया १।। माह का	
१० ट्यूब लाइट ४ फिट की ८रु० प्रति माहवार	१२०–००
६ मरकरी के लट्टू २०० वाल्ट के ३रु० ,, ,,	२७–००
६ बिजली के लट्टू २०० वाल्ट के २रु० ,, ,,	१८–००
१५ रंगीन छोटे लट्टू ।) ,, ,,	५–६२
१ टीन सफेदा	३२–००
२ गैलन वारनिस	२०–००
१ नील पेन्ट	१–७५
३ सेर व्हाइटिंग	०–६६
१।। पौंड एलिम्युनियम पेन्ट	२–७५
२ बेश	६–००
१ गैलन तारपीन का तेल	४–५०
सेल्स टैक्स	३–५०
३ ट्रांसफारमर का किराया छोटी बत्तियां लगाने के लिए ६) रु० माहावार प्रति माह से १ माह का	२७–००

१	२
विभाग के नाम के बड़े बोर्ड पर इनेमेल्ड पैन्ट के ।) प्रति वर्ग फुट से ६० फुट के	१५–००
अक्षर चिपकाने की ट्यूब का	१-२५
नागौर प्रदर्शनी वाले ३ बड़े नक्शे के रंग व तार आदि फिर से स्टाल के व ठीक कराने के १०) रु० से	३०–००
स्टाल उखाड़ने के लिए कारीगरों को	२०–००
मिल के मोडलों को ट्रक में चढ़ाने व उतारने व स्टाल के सामान को ट्रक व ठेलों में लादने व दफ्तर में उतारने की मजदूरी	१०-१०
ठेला रिक्शा तांगा गाडी व ट्रक भाडे के सारा सामान दफ्तर पहुँचाने के	२०–००
जन संपर्क विभाग द्वारा लिया गया स्टाल के लिए जमीन का किराया	२४०–००
करीबन ५०० रु० का बिजली किराए का बिल जन सम्पर्क विभाग से आने पर चुकाया जायगा	५००–००

कुल जोड़ ३६४५-६३ नये पैसे

———

सूची (ख)

श्री मोहन प्रसाद पुरोहित की शैक्षणिक योग्यता निम्न प्रकार है :-

परीक्षा १	विषय २	साल ३	श्रेणी ४	विश्वविद्यालय ५	बोर्ड ६
हाई स्कूल	अंग्रेजी, हिन्दी, इतिहास, सवाल व वाणिज्य	१९४२	द्वितीय	बिड़ला कॉलेज, पिलानी	अजमेर बोर्ड
इन्टर	अंग्रेजी, इतिहास, नागरिक शास्त्र व अर्थ शास्त्र	१९४४	द्वितीय	बिडला कॉलेज़, पिलानी	अजमेर बोर्ड
बी० ए०	अंग्रेजी, इतिहास, अर्थ शास्त्र व अंग्रेजी साहित्य	१९४६	द्वितीय	जसवन्त कॉलेज, जोधपुर	आगरा यूनिवर्सिटी
एल एल० बी०	सब विषय	१९४७-४९			राजस्थान विश्व विद्यालय

विशेष योग्यता

(क) इन्होंने बी. ए. डिग्री अंग्रेजी साहित्य और अर्थ शास्त्र के साथ १९४६ में द्वितीय श्रेणी में पास किया ।

Page No.150

परिशिष्ट

(ख) इन्होंने संवाददाता के कार्य की शिक्षा नागपुर में एक साल तक ली।

(ग) इन्होंने ५ साल तक १९५० से ५५ तक जोधपुर डिविज़न के न्यायालय में वकालात की।

(घ) इन्होंने १ साल तक ५६ से ५७ तक त्रिपुरा राज्य में भूलेख एवं सर्वेक्षण विभाग में ऑफिस अधीक्षक का कार्य किया।

(ङ) इन्होंने जोधपुर में ५ साल (५० से ५५) संवाददाता का कार्य किया।

(च) इन्होंने २ साल तक ५७ से ५६ तक भारत सरकार के पुनर्स्थापन मंत्रालय के कस्टोडियन विभाग में नायब तहसीलदार के पद पर रह कर जोधपुर व जयपुर डिविज़न के १० जिलों की निष्क्रमणार्थी भूमि का संरक्षण का कार्य, भूलेख एवं सर्वेक्षण कार्य कुशल होने से बड़ी कुशलता से काम किया।

(छ) इस अधिकारी की लेखन क्षमता बहुत उच्च कोटि की है।

पूरा विवरण १	पद का नाम	वेतन २	श्रेणी	समय	जगह ३	राज्य ४	कुल वेतन
१.	राशनिंग इन्सपेक्टर	८०–५–१२०	ई. बी. १०–२००	१७–३–४७ से १–३–५० तक		जोधपुर	१००–११५
२.	ऑफिस अधीक्षक भूलेख एवं सर्वेक्षण विभाग त्रिपुरा राज्य	१३०–५–१८०	ई. बी. १०–३००	२४–१–५६ से २–३–५७	अगरतला		१६७ रु० ५० न० पै०
	नायब तहसीलदार	११०–५–१८०	ई. बी. १०–३००	५–१–५७ से १६–१–५६ तक	कस्टोडियन		रु० १६५ से १७५ तक

सूची (ग)

संख्या	पद	नाम	शिक्षा	नियुक्ति तिथि राज्य सेवा में	वेतन	विशेष योग्यता
१	२	३	४	५	६	७
१.	संचालक	डॉ० आर० एस० बागची	एम० ए० पी एच० डी० लंदन	२१–७–४७	६००+१५०	सांख्यिक व आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण तथा अर्थ शास्त्र के विशेषज्ञ
२.	सहायक संचालक	डा० डी० एम० सरीन	एम० ए० पी० एच० डी०	१–१२–५८	रु. ३००)	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण तथा अर्थ शास्त्र के प्रवीण
		अब तारीख ११ अप्रेल ६० से उप संचालक			रु. ५००)	
३.	सांख्यिक	श्री पी० कृष्णन्	एम० एस सी० अंक शास्त्र	८–१२–५८	रु. २५०)	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण व अर्थ शास्त्र में प्रवीण
		अब तारीख ११–५–६० से सहायक संचालक			रु. ३००)	
४.	सांख्यिक	श्री जी० डी० मिश्र	एम० एस सी० अर्थ शास्त्र	अप्रेल १६५५ २६–१२–५८ से सांख्यिक	रु. २५०+१५	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण तथा अर्थ शास्त्र में प्रवीण

Page No.152

परिशिष्ट

१	२	३			४	५
		जनवरी में एक साल पूरा होने पर १ ग्रेड–वृद्धि दी गई				
५.	सांख्यिक	श्री के० बी० सक्सेना	एम० कॉम० एल एल० बी०	२७–१२–५८	२५०+१५	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण व वाणिज्य में प्रवीण
		जनवरी में एक साल पूरा होने से ग्रेड वृद्धि दी गई				
६.	सांख्यिक	श्री एम० पी० पुरोहित	बी० ए० एल एल० बी०	५–१–५७ १७–१–५६ से सांख्यिक	२५०+१५	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण तथा अर्थ प्रकाशन व लेखन कार्य में कुशल
		एक साल पूरा होने १ ग्रेड वृद्धि दी गई				
७.	सांख्यिक	श्री आर० पी० भार्गव	एम० ए०, एलएल० बी	श्रम विभाग से	२५०+१५	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण तथा अर्थ शास्त्र में प्रवीण
		एक साल पूरा होने पर १ ग्रेड वृद्धि दी गई				
८.	सांख्यिक	श्री ओ० पी० भार्गवा	एम० ए०, एलएल० बी	१४–७–५६	२५०+१५	आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण तथा अर्थ शास्त्र में प्रवीण

परिशिष्ट

	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
		एक साल पूरा होने पर १ ग्रेड की वृद्धि जोड़ दी गई								
६.	सांख्यिक	श्री हीरो नदलानी	एम० ए० अंग्रेजी व अर्थ शास्त्र		१४-७-५७ से सांख्यिक	१४-७-५६	२५०) रु.			आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण व अंग्रेजी तथा अर्थ शास्त्र में प्रवीण
		अब तारीख ६-३-६० से सहायक संचालक					३००) रु.			
१०.	सांख्यिक	कुमारी बीना मजूमदार	एम० ए० अर्थ शास्त्र		१७-१०-५८ और ७-३-६० से सांख्यिक		२५०)			आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण एवं अर्थ शास्त्र में प्रवीण
११.	सांख्यिक	श्री बी० एल० बाहेती	एम० कॉम०		२६-६-५८ और १०-८-६० से सांख्यिक		२५०)			आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण एवं वाणिज्य में प्रवीण
१२.	सांख्यिक	श्री जे० पी० अग्रवाल	एम० ए० गणित शास्त्र		१७-१२-५८ और १३-८-६० से सांख्यिक		२५०)			आर्थिक एवं औद्योगिक सर्वेक्षण में निपुण एवं गणित में प्रवीण

उपरोक्त तीनों अधिकारियों को प्रोमोशन दिया गया है और सांख्यिक के पद पर नियुक्त किया गया है ।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४७२ का उत्तर देखिये)

जिला जालोर की पंचायत समितियों में २ अक्टूबर, १६५६ से पहले की लाएबिलिटीज के पेंडिंग्ग बिलों की सूची

क्र० सं०	पंचायत समिति का नाम	पेन्डिंग बिलों का विवरण	
		बिल संख्या एवं दिनांक	रकम
१	आहोर	(१) २३ / २१–३–५६	१६५५८.७६
		(२) ,, ,,	३२.६८

————

(३)

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६०)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२६२४	२	में थे उ	में थे उस
,,	२३	किसा बात	किस बात
२६२५	अन्तिम से २	the nformation	the information
२६२८	७	चहते हैं।	चाहते हैं।
२६३०	प्रथम	उनको लिये	उनके लिये
,,	२४	एग्ज़ेम्प	एग्ज़ेम्प्ट
२६३२	प्रथम	श्रृण	ॠण
२६३३	३	,,	,,
२६३५	३	सहित सूच ?	सहित सूची
,,	१४	की मकान	का मकान
२६३६	६	दी गई	दी गई
२६४८	१३	प्रोविझन था	प्रोविज़न था
२६५०	३-४	सिफारिशे	सिफारिशें
२६५१	१६ व २२	डिक्कशन	डिस्कशन
२६५३	१५	हरिटास।	हरिदास।
२६५५	१२ व १३	कस्टैडी में	कस्टडी में
२६५८	१४	महाराजा बहुहशीय	महाराजा बहुद्देशीय
२६६१	१६	बीघा ६	बीघा १
२६६३	३	किक्लयर नहीं	क्लियर नहीं
२६६६	३	१३५६ में	१९५६ में
२६७०	१०	योग्यता ? पूर्ण	योग्यता पूर्ण
,,	२८	ऑफिस अधिक्षक	ऑफिस अधीक्षक
२६७२	२०	उतमें आपने	उसमें आपने
२६७६	४	श्री सरदारसिह	श्री सरदारसिंह
२६८०	८	(छाबड़ा)	(छबड़ा)
२६८२	१८	क्या सही	क्या यह सही
२६८३	१५	भूमि बैल	भूमि, बैल
२६८४	८	श्री रखबचंद	श्री रिखबचन्द
२६८७	४	ड्युटी ली	ड्युटीली

(२)

१	२	३	४
	३	रही है	रही हैं
२९९७	१९	आप-त्तिपत्रों	आपत्ति-पत्रों
३००१	२०	बिस्वेदारी	बिस्वेदारी
३००२	अन्तिम से ३	करने हेतु)	करने हेतु)
३००६	१२	संक्षेप से में	संक्षेप में वे
३००७	प्रथम	ड०	डॉ०
,,	९	है।	हैं।
३००९	शीर्षक	५८-रांज्य	५८-राज्य
,,	१७–१८	है ; मकान गिर जाते हैं,	है, मकान गिर जाते हैं ;
३०११	२३	हूं उत्तर कि	हूं कि उत्तर
३०१५	११	पुर्नसस्थापन	पुनर्संस्थापन
३०१६	अन्तिम से ३	मांगी थी।	मांगी थीं।
३०२२	,, ,, ,,	आररबिट्रेरिली	आर्बिट्रेरिली
३०२७	४	करने हेतु"	करने हेतु)
३०२९	१२	लालाफीताशाही	लाल फीताशाही
३०३२	२५	में कहा	ने कहा
,,	२८	पीढ़ियों को	पीड़ितों को
३०३५	१६	पहायता देने	सहायता देने
३०३७	११	मैरा था	मेरा था
३०४६	१२	Mr. Panwats	Mr. Panwar
३०५१	११	आधभार	आभार
३०५६	२	ढांला करना	ढीला करना
,,	७	उत्तम हैं।	उत्तम है।
३०६०	शीर्षक	तडा	तथा
,,	१८	mike,	mike......
३०६१	७	नछर अन्दाज	नरज़ अन्दाज़
३०६३	६	उधस दोनों	उधर दोनों
३०६४	१	लेप्प नहीं	लैम्प नहीं
३०७०	३	की बात है जिस में	की बात है और जिस
३०७१	४	इम्पवमेण्ट	इम्प्रूवमेण्ट
३०७३	१२	अन ए	ओन ए
३०८१	शी i	श्र सम्पतराज	श्री सम्पतराज
३०८३	२२	वेहतर होता	बेहतर होता

१	२	३	४
३०८३	३०	जिलां वाइज़	जिलावाइज़
३०८८	१४	आये है	आये हैं
३०६०	७	गअरबत्ती बनाने	अगरबत्ती बनाने
३०६२	१७	लोन देने	लोन देने का
३०६६	१०	मिधा	मिर्धा
३०६७	अन्तिम से ३	रुपये का कि	रुपये का
३१०२	१८	ent ?	rent ?
३१०६	अन्तिम से ५	मोंरल की	मोरल की
३१११	१	सारा के सारा	सारे का सारा
,,	अन्तिम से ५	ि मर्धा	मिर्धा
३११४	१३	कहना चहेंगे	कहना चाहेंगे।
३१२०	शीर्षक	अण तथा	ऋण तथा
३१२१	१८	Ibage	I beg
,,	२०	moti.	motion.
३१२५	२३	utmst I	utmost I
,,	२४	separatc	separate
,,	२५	motion	motions
३१२६	१५	पुन;	पुन:
३१३२	२३	ममझ मैं	समझ में
३१३३	शीर्षक	मांग संख्या ५५	मांग संख्या ५७
३१३६	६	यों देखे	यों देखें
३१३७	१३	मेडिशन	मेडिसिन
३१४०	५	काडिबेट	का डिबेट
,,	२७	के जा	के जो
३१४२	६	कॉन्ट्रेक्स्ट	कॉन्टेक्स्ट
,,	१४	डिसक्शन	डिस्कशन
३१४४	२४	फाइनेन्यिल मैटर	फाइनेन्शियल मैटर
३१४८	२४	thatthere is	that there is
३१५५	१६	णग ले	ऋण ले
३१५७	शीर्ष	(श्री दयाकृष्ण	(श्री दयाकृष्ण
३१६६	२१	कट मोशसन्स वापिस	कट मोशन्स वापिस
३१७४	७	सेशन जज	सैशन्स जज
३१७७	६	राज्यों सरकारों	राज्य सरकारों
३१८१	" 1. Shri	last year.s	last year.

१	२	३	४
	Peeru mal" के सामने का कॉलम ३		
३१८२	सीरियल ८ कॉलम २	Hafiaullah Khan	Hafizullah Khan
,,	सीरियल ४ व ५ के कॉलम ४	12,00 15,00 49,80	1,200 1,500 4,980
३१८३	सीरियल १ कॉलम ७	७३,३५	७३.३५
३१८५	८ (कॉलम ५)	suppled	supplied
३१८६	सीरियल ४ कॉलम ५ पंक्ति ४-५	6 @ Rs. 3/— per bird	6. per bird
३१८६	सीरियल ५ कॉलम ८	Rs. 30/-Duee	Rs. 30/-Dues
३१९९	५	पुर्नस्थापन	पुनर्संस्थापन